लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

चतुर्थ माला

Fourth Series

खंड 3, 1967 / 1889 (शाक)

Volume (iii), 1967/1889 (Saka)

[22 मई से 5 जून, 1967 / 1 ज्येष्ठ से 15 ज्येष्ठ, 1889 (शाक)]

[May 22 to June 5, 1967/ Jyaistha 1 to Jyaistha 15, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शाक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

(Volume (iii) Contains Nos. 1 to 10)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

1353

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय—सूची/CONTENTS

अंक 1—सोमवार, 22 मई, 1967/1 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

No 1—Monday, May 22, 1967/Jyaistha 1, 1889 (Saka)

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	Members Sworn	1
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	2

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

1. छिपे नागाओं के प्रतिनिधिमंडल को ब्रिटेन में श्री फिजो से मिलने के लिए सुविधाएं	Facilities to Underground Naga Delegation to meet Mr. Phizo in U. K.	2
2. डा. धर्म तेजा का स्वदेश प्रत्यावर्तन	Repatriation of Dr. Dharma Teja	9–15
3. ब्रिटेन की सरकार द्वारा हिन्द महासागर में द्वीपों की खरीद	Purchase of Islands in the Indian Ocean by the British Government	15–17
23. श्री फिजो की अमरीका यात्रा	Mr. Phizo's visit to USA	3–9

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.

4. अमरीका के श्री रिचार्ड निक्सन के साथ वार्ता	Talks with Mr. Richard Nixon of USA	17–18
5. संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ विचार विमर्श	Discussions with UN Secretary General	18–19
6. वियतनाम	Vietnam	19–20
7. पाकिस्तान के लिये सैनिक सामान	Military Equipment for Pakistan	20
8. पाकिस्तान तथा चीन द्वारा सीमा का उल्लंघन	Border Violations by Pakistan and China	21
9. दलाई लामा	Dalai Lama	21
10. संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर का प्रश्न	Kashmir issue in UNO	22
11. अमरीका की सेन्ट्रल इन्टेलीजैन्स एजेन्सी की गतिविधियां	Activities of CIA	22
12. पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई	Supply of US arms for Pakistan	23–24
13. पूर्वी अफ्रीका में भारतीय	Indians in East Africa	25
14. श्रीमती स्वेतलाना	Madam Svetlana	26

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय Subject

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
15. दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर दक्षिण अफ्रीका के प्रदेश का प्रतिसंहरण	Revocation of South Africa's Mandate over South West Africa	26-27
16. सेवानिवृत राजदूतों का विदेशों में बस जाना	Retired Indian Ambassadors Staying Abroad	27
17. परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के बारे में संधि	Nuclear Non-proliferation Treaty	28-29
18. चीन से नागाओं की वापसी	Return of Nagas from China	29-30
19. ताशकन्द करार की क्रियान्विति	Implementation of Tashkent Agreement	30-31
20. भारत को चावल देने की चीन की पेशकश	Chinese offer of Rice to India	34
21. सैनिक अधिकारियों की संख्या	Strength of Army Officers	31-32
22. हिन्द महासागर के द्वीप	Islands in Indian Ocean	32
24. मुख्य मंत्री सम्मेलन	Chief Ministers' Conference	32-33
25. विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों पर खर्च	Expenditure on Indian Missions Abroad	33-34
26. कुवैत सरकार के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण की सुविधाएं	Training Facilities for Kuwait Personnel	34
27. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर	Hindustan Aeronautics Limited, Kanpur	35
28. पड़ोसी देशों की सहायता	Aid to Neighbouring Countries	35
29. गोआ के स्वतन्त्रता सेनानियों की रिहाई	Release of fighters for Goa's freedom	36
30. पंजा साहिब (पाकिस्तान) के तीर्थयात्री	Pilgrims to Panja Sahib (Pakistan)	36-37

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1. विदेशी चल चित्र समारोह	Foreign Film Festivals	37
2. विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिए खरीदे गये भवन	Buildings Purchased for Indian Missions Abroad	37-39
3. तिब्बती शरणार्थी	Tibetan Refugees	39-40
5. अहमदनगर में 'लावारिस भूमि'	No man's land' in Ahmednagar	40-41
6. भारत में प्रेस	Presses in India	41
7. अणु बम	Atom Bomb	41
8. पाकिस्तान के लिये इरानी लड़ाकू विमान	Iranian Fighter Planes for Pakistan	42
9. लेफ्टीनेंट जनरल कौल द्वारा लिखित 'अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक	"The Untold Story" by Lt. General Kaul	42-43
10. संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का प्रश्न	Tibet Issue in UNO	43
11. भारतीय वैदेशिक सेवा सम्बन्धी पिल्ले समिति का प्रतिवेदन	Report of Pillai Committee on IFS	44
12. आकाशवाणी के लिये निगम	Corporation for AIR	44
13. व्यापार सम्बन्धी प्रसारण	Commercial Broadcasting	45
14. हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi	45-46

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*		
15. कोयम्बटूर में भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि	Land for Ex-Servicemen in Coimbatore	46
16. पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारत सर्वेक्षण अधिकारियों की गिरफ्तारी तथा उनको तंग किया जाना	Arrest and Harassment of Indian Survey Officials by Pakistan authorities	46–47
17. आकाशवाणी से फरमायशी गाने	Farmaishi Songs on AIR	47
18. छावनी बोर्डों के प्रधानों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Presidents of Cantonment Boards	47–48
19. बर्मा में भारतीय शहीदों का स्मारक	Memorial, for Indian Patriots in Burma	48
20. भारत तथा पाकिस्तान के शस्त्रास्त्रों पर होने वाले व्यय में कटौती का प्रस्ताव	Proposal re. Reduction in Arms Expenditure of India and Pakistan	48–49
21. भारत आने के लिऐ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को वीसा दिया जाना	Visas Given to Pak. Nationals for Visiting India	49–50
22. गाजियाबाद के निकट हेलीकोप्टर की दुर्घटना	Helicopter Accident near Ghaziabad	50
23. हज तीर्थयात्रा	Haj Pilgrims	50
24. सेवामुक्त होने पर गैर कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को असैनिक विभागों में लगाना	Absorption of non-commissioned officers on release in the Civil Department	51
25. राज्यों के लिये रेडियो सेटों का नियतन	Allotment of Radio Sets to States	51–52
26. अक्तूबर, १९६४ का भारत श्रीलंका करार	Indo-Ceylon Agreement of October, 1964	52
27. बिहार राज्य में मगही भाषा के लिये आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station for Magahi Language in Bihar State	53
28. ट्रांसमीटरों का आयात	Import of Transmitters	53
29. प्रादेशिक भाषाओं में कार्यक्रम	Programmes in Regional Languages	53
30. भारतीय सांख्यिकी संस्था	Indian Statistical Institute	54
31. शक्तिशाली ट्रांसमीटर	Powerful Transmitters	54–55
32. सैनिक अस्पताल	Military Hospitals	55
33. भारतीय सेना	Indian Army	56
36. कुवैत में औद्योगिक उद्यम	Industrial Ventures in Kuwait	57
37. भारत स्थित अमरीकी सैनिक सप्लाई मिशन	US Military Supply, Mission in India	57–58
38. संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करने वाले भारतीय लोग	Indians serving in UNO	58
39. भारतीय तकनीकियों तथा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार की गई विदेशी नागरिकता	Foreign citizenship accepted by Indian Technicians and Scientists	58–59
40. संयुक्त राष्ट्र संघ के कमान में भारतीय सेना	Indian Troops with UNO	59
41. भारत चीन संघर्ष के पश्चात् चीन से आये हुये भारतीय	Indians who came from China after Indo China conflict	59–60

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ Pages
42. पाकिस्तान में गुरुद्वारों तथा मन्दिरों की हालत	Conditions of Gurdwaras and Temples in Pakistan	60
43. चीन में मस्जिदों का गिराया जाना	Demolition of Mosques in China	61
44. बाल चलचित्र संस्था (चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी)	Children's Film Society	61–62
45. समाचार पत्रों में विज्ञापन	Advertisements in Newspapers	62
46. पाकिस्तान के लिये अमरीका में निर्मित सैनिक सामान	American made Military Equipment for Pakistan	63
47. केरल में खनिज संयंत्र	Mineral Plants in Kerala	63–64
48. सूचना और प्रसारण के माध्यम के बारे में चन्दा समिति का प्रतिवेदन	Chanda Committee's Reports on Media of Information and Broadcasting	64–65
49. परमाणु हथियारों के प्रासर को रोकने की संधि का प्रारूप	Draft of Nuclear Non-Proliferation Treaty	65
50. भारत की अमरीकी सैनिक सहायता	US Military Assistance to India	65–66
51. विदेशों में चले गये नागा तथा मिजो लोग	Nagas and Mizos gone to Foreign countries	66–67
52. भारतीयों की अमरीका यात्रा	Visit of Indians to USA	67
53. प्रादेशिक सेना	Territorial Army	67–68
54. भारतीय सेना में किसान	Farmers in Indian Army	68
55. गोरखों की भर्ती के लिये भारत में ब्रिटिश भर्ती कैम्प	British Recruiting Camps for Gurkhas in India	68–69
56. वाशिंगटन में भारतीय राजदूतावास में विशेष सूचना विभाग	Special Information Cell in Indian Embassy at Washington	69
57. जम्मू में सैनिक स्कूल	Sainik School in Jammu	70
58. भारत और चीन के सम्बन्ध	Relations between India and China	70
59. आकाशवाणी के संवाददाता	AIR Correspondents	70–71
60. विदेशी भाषाओं में प्रसारण	Broadcast in Foreign Languages	71
61. विद्रोही नागाओं द्वारा विदेशों से सम्पर्क स्थापित करना	Naga Rebels' Contacts with Foreign countries	71–72
62. विदेशों में भारतीय दूतावास	Indian Missions Abroad	72
63. उडिया वृत्त चित्र	Oriya Documentaries	72
64. नागाओं के सम्बन्ध में चीन द्वारा प्रसारण	Chinese Broadcasts about Nagas	73
65. पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री की रेडियो वार्ता का सम्पादन	Editing of Radio Talk of Labour Minister, West Bengal	73–74
66. आकाशवाणी द्वारा 'हवा महल' रूपक का प्रसारण	Hawa Mahal Feature broadcast by A. I. R.	74–75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.***	
67. भारत तथा नेपाल के बीच सम्बन्ध	Relations between India and Nepal	75–76
68. केरल के प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्र	Kerala Regional Daily Papers	76–77
69. चरागाहों को पट्टे पर देना	Lease of Grazing Land	77
70. छम्ब के निकट बम विस्फोट	Bomb Explosion Near Chhamb	77–78
71. आकाशवाणी का समाचार सेवा डिवीजन (न्यूज़ सर्विसिज डिवीजन)	News Services Division of AIR	78
72. संसत्सदस्यों की विदेश यात्रा	Visit of M. Ps. Abroad	78–79
73. पाकिस्तानी सेना का जमाव	Mobilisation of Pakistani Army	79
74. सैनिक स्कूल	Sainik Schools	79–80
75. सैनिक स्कूल भुवनेश्वर	Sainik School, Bhubaneshwar	80
76. सैनिक स्कूल भुवनेश्वर	Sainik School, Bhubaneshwar	80
77. पाकिस्तानी सेना	Pakistani Army	81
78. दरभंगा में आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station Drbhanga	81
79. भारत में समाचार पत्रों पर एकाधिकार	Monopoly of Press in India	81–82
81. इजराइल और फारमोसा के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with Israel and Formosa	82
82. केरल के लिए अणु शक्ति संयंत्र	Atomic Power Plant for Kerala	82
83. नई दिल्ली में स्टाफ आर्टिस्ट	Staff Artistes at New Delhi	83
84. चीनियों द्वारा अपहृत पुलिसमैन तथा अन्य व्यक्ति	Policemen and other Persons Kidnapped by Chinese	83
85. जेपुर (उड़ीसा) में स्टाफ आर्टिस्ट	Staff Artistes at Jeypore (Orissa)	83–84
86. हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर	Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore	84
87. एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों का सेवा मुक्त किया जाना	Release of Emergency Commissioned Officers	84–85
88. एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों का विदेशों के राजनयिक दूतावासों से सम्पर्क करना	Emergency Commissioned Officers approaching Foreign Diplomatic Mission	85
89. एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers	86
90. सेना, भारतीय वायु सेना तथा नौ सेना में एमरजेंसी कमीशन	Emergency Commissions in Army, Air Force and Navy	86
91. उदयपुर (राजस्थान) में स्टाफ आर्टिस्ट	Staff Artistes at Udaipur (Rajasthan)	86–87
92. आंध्र प्रदेश में परमाणु बिजलीघर	Atomic Power Station in Andhra Pradesh	87
93. रूस के मानचित्रों में काश्मीर	Kashmir in Soviet Maps	87
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	**Calling Attention to Matter of Urgent Public Importances**	**88**
देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्न की भीषण स्थिति और भूख से मृत्यु के समाचार	Serious food situation and reported starvation deaths in vari ous parts of the country	88

विषय	Subject	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.***	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	88
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	88
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	89–90
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notice (Query)	90–91
सदस्य का त्याग पत्र	Resignation of Member	91
(डा० बसन्त नारायण सिंह)	(Dr. Basant Narain Singh)	91
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges	91
पहला प्रतिवेदन	First Report	91
कुप्पम स्टेशन पर रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Railway Accident at Kuppam Station	91–94
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poanacha	91
वैदेशिक कार्य मन्त्री की कुवैत, ईरान, जनेवा, मलयेशिया तथा सिंगापुर की यात्राओं के बारे में वक्तव्य	Statement Re. External Affairs Minister's visits to Kuwait, Iran, Geneva, Malaysia and Singapore.	94–99
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla	94
रेलवे आय-व्ययक, 1967–68 प्रस्तुत	Railway Budget, 1967-68 Presented	99–106
श्री चे. मु. पुनाचा	Shri C. M. Poonacha	99–106
सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक पुनस्थापित	Government (Liability in Tort) Bill Introduced	106–107
संघ लोक सेवा आयोग के वर्ष 1964–65 के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Report of Union Public Service Commission, 1964-65	107–113
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	107
श्री च० चू० देसाई	Shri C. C. Desai	110–111
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	111–112
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand	112
श्री राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	113
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	
स्थगन प्रस्ताव–अस्वीकृत हुआ	Motion for adjournment Negatived	113
देश में खाद्य स्थिति	Food situation in the country	113–127
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	113–115
श्री पिलु मोडी	Shri Piloo Mody	115–116
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	116
श्री अ० क० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	117
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri A. B. Vajpayee	117–118
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	118–119
श्री श्री अ० डांगे	Shri S. A. Dange	119–121
श्री सन्त बख्श सिंह	Shri Sant Bux Singh	121–122
श्री राजाराम	Shri Rajaram	122–123
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	123
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	123–124
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	124–127
कार्य मन्त्रणा समिति	Business Advisory Committee	127
पहला प्रतिवेदन	First Report	127

चतुर्थ लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अांकिनीडु, श्री (गुडिवाडा)
अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)
अंबाजागन, श्री (तिरूचेंगोड)
अंबुचेजियान, श्री (डिंडीगुल)
अगाडी, श्री (कोम्पल)
अचलसिंह, श्री (आगरा)
अदिचन, श्री (अडूर)
अनिरूधन, श्री (चिरयिन्कील)
अब्राहम, श्री (कोट्टयम)
अमात, श्री दे० (सुन्दरगढ़)
अमरसे, श्री म० मनुभाई (बनस्कंठा)
अमीन, श्री रा० की० (ढढंका)
अमीन, श्री रामचन्द्र ज० (मेहसाना)
आयरवाल, श्री राम सिंह (सागर)
अरूमुगम, श्री (टेन्कासी)
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री (फरूंखाबाद)
असगर हुसैन, श्री (अकोला)
अहमद, डा० इ० (गिरिडीह)
अहमद, श्री ज० (धुबरी)
अहमद, श्री फ० अ० (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री अहमद (बारामुल्ला)
आज़ाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आत्मदास, श्री (मुरैना)

इ

इक़बालसिंह, श्री (फाज़िलका)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उमानाथ, श्री (पुद्दू कोटै)
उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापुट)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय)
एरिंग, श्री डा० (उत्तर-पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
एस्थोस, श्री (पुवात्तपुजा)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
ओराओं, श्री कार्तिक (लोहारडगा)

क

कछवाय, श्री हुकम चन्द (उज्जैन)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
क्य्यम, श्री बी० ना० (जलपाई गुड़ी)
कन्डप्पन, श्री (मैटूर)
कपूर, श्री लषणलाल (किशनगंज)
कबिर, श्री हुमायून (बसिरहाट)
कमलनाथ, श्री (कृष्णगिरि)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कर्णसिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णीसिंह, डा० (बीकानेर)
कलिता, श्री धीरेश्वर (गौहाटी)
कस्तूरे, श्री अ० श्री० (खामगांव)
काबड़े, श्री भा० रा० (नासिक)
कांबले, श्री (लातूर)
कामेश्वर सिंह, श्री (खगरिया)
काहानडोल, श्री ज० मं० (मालेगांव)
किकर सिंह, श्री (भटिंडा)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री (शिवगंडा)
किस्कु, श्री अ० कु० (झाडग्राम)
कुंटे, श्री दत्तात्रेय (कोलाबा)
कुचेलर, श्री (वेल्लोर)
कुरील, श्री बे० ना० (रामस्नेहीघाट)

क—क्रमश :

कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुशवाहा, श्री यशवन्तसिंह (भिंड)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
कृपालानी, श्री जी० भा० (गुना)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (गोंडा)
कृष्णन, श्री (कोलार)
कृष्ण, श्री मं० रं० (पेद्दपल्लि)
कृष्णप्पा, श्री (हस्कोटे)
कृष्णमूर्ति, श्री (कड्डलूर)
कुण्डू, श्री स० (बालासोर)
केदरिया, श्री छ० म० (मांडवी)
केसरी, श्री सीताराम (कटिहार)
कोठारी, श्री स्वतन्त्रसिंह (मंदसोर)
कौशिक, श्री कृ० मां० (चांदा)

ख

खां, श्री अजमल (पेरियाकुलम)
खां श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खाँ, श्री गफूर अली (केराना)
खां, श्री मु० अ० (कासगंज)
खां, श्री लताफत अली (मुजफ्फरनगर)
खन्ना, श्री प्रे० के० (शाहजहांपुर)
खाडिलकर, श्री (खेड)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलाल गंज)
गजराजसिंह, राव, श्री (महेन्द्रगढ)
गणेश, श्री (अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)
गणपतसहाय, श्री (सुल्तानपुर)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरिजाकुमारी, श्रीमती (शहडोल)
गिरिराज शरणसिंह, श्री (मथुरा)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुप्त, श्री कंवरलाल (दिल्ली सदर)
गुप्त, श्री रामकृष्ण (हिसार)
गुप्त, श्री लाखनलाल (रायपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेविट, श्री तुकाराम (नानदरबार)
गोपलान, श्री अ० कु० (कासरगोड)
गोपालन, श्री प० (तेल्लीचेरी)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (अम्बलपुजा)
सोमसुन्दरम, श्री (थंजावूर)
गोयल, बाबू श्रीचन्द (चंडीगढ़)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गौंडर, श्री मुत्तु (तिरुपतूर)
गौडर, श्री नंजा (नीलगिरि)
गौड, श्री गाडिलिंगन (कुरनूल)
गौडा, श्री हुचे (चिकमगलूर)
गौतम, श्री चिं० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री गणेश (कलकत्ता दक्षिण)
घोष, श्री परिमल (घाटल)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची)
घोष, श्री विमल कान्ति (सेरामपुर)

च

चक्रपाणि, श्री सी० के० (पोन्नाणि)
चटर्जी, श्री कृष्ण कुमार (हावड़ा)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चटर्जी, श्री ह० प० (कृष्ण नगर)
चतुर्वेदी, श्री रो० ला० (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (भोलपुर)
चन्द्रशेखर सिंह, श्री (जहांनाबाद)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री दा० रा० (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चित्तिबाबू, श्री (चिंगलपट)
चुबातोशी, श्री (नागालैंड)
चौधरी, श्री जे० के० (त्रिपुरा-पश्चिम)
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बालमीकी (हाजीपुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छत्रपति, श्रीमती विजयमाला (हतकंगले)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जगैया, श्री को० (ओंगोल)

ज—क्रमश:

जनार्दनन, श्री (त्रिचूर)
जमुना लाल, श्री (टोंक)
जयपाल सिंह, श्री (खुन्टी)
जयबहादुर सिंह, (घोसी)
जाधव, श्री वें० न० (जालना)
जाधव, श्री तुलसीदास (बारोमती)
जेना, श्री (भद्रक)
जेवियर, श्री (तिरूनलवेल्लि)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (भोपाल)
जोशी, श्री एस० एम० (पूना)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झा, श्री शि० चं० (मधुबनी)

ठ

ठाकुर, श्री गुणानन्द (सहरसा)
ठाकुर, श्री प्र० रं० (नवद्वीप)

ड

डांगे, श्री श्री० अ० (बम्बई मध्य दक्षिण)
ढिल्लो, श्री गु० सिं० (तरनतारन)

त

तापड़िया, श्री सु० कु० (पाली)
तमस्कर, श्री (दुर्ग)
तारोड़कर, श्री वें० बा० (नांदेड़)
तिवारी, श्री द्वा० ना० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री क० ना० (बेतिया)

त्र

तुलसीदास, श्री (मैसूर)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
त्यागी, श्री ओ० प्र० (मुरादाबाद)
त्रिपाठी, श्री कृ० दे० (उन्नाव)

दण्डपाणि, श्री (धारापुरम)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दाडेकर, श्री नारायण (जामनगर)
दामानी, श्री (शोलापुर)
दार, श्री अब्दुल गनी (गुड़गांव)
दास चौधरी, श्री विनयकृष्ण (कूचबिहार)
दास, श्री सी० (तिरूपति)
दास, श्री न० ता० (जमुई)
दिग्विजय नाथ, श्री (गोरखपुर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गं० च० (खंडवा)
दीपा, श्री (फूलबनी)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरिचि)
दुरायरासु, श्री (पेरम्बलूर)
देव, श्री क० प्र० सिंह (ढेंकानाल)
देव, श्री प्र० के० (कालाहांडी)
देव, श्री रा० रा० सिंह (बोलनगीर)
देवगुण, श्री हरदयाल (पूर्व दिल्ली)
देवघरे, श्री न० रा० (नागपुर)
देव वर्मा, श्री विक्रम किशोर (त्रिपुरापूर्व)
देविन्दर सिंह, श्री (लुधियाना)
देशमुख, श्री कृ० गु० (अमरावती)
देशमुख, श्री भा० दा० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्री शिवाजी राव शं० (परमणी)
देसाई, श्री चं० चु० (साबरकंठा)
देसाई, श्री दिनकर (कनारा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धीरेन्द्रनाथ, श्री (अंगुल)
धौलेश्वर मीना, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (कैथल)
नम्बियार, श्री आनन्द (तिरूचिरापल्ली)
नायनार, श्री (पालघाट)
नाघतूर, श्री मु० न० (बेलगांव)
नागेश्वर श्री (मछली शहर)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नायडू, श्री चेंगलराया (चित्तूर)
नायक, श्री र० वे० (रायचूर)
नायक श्री गु० चं० (क्योंझर)
नायडू, श्री रामभद्र (तिन्डीवनम)
नैयर, डा. सुशीला (झांसी)

न—क्रमशः

नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन (पीरमाडे)
नायर, श्री क० कृ० (बहराइच)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नारायणन, श्री (पोलाची)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निर्लेप कौर, श्रीमती (संगरूर)
निहाल सिंह, श्री (चन्दोली)
नेसामणि, श्री ए० (नागरकोइल)

प

पंडित, श्रीमती विजय लक्ष्मी (फूलपुर)
पटेल, श्री जे० एच० (शिमोगा)
पटेल, श्री ना० नि० (बुलसार)
पटेल, श्री पाशाभाई (बड़ौदा)
पटेल, श्री बाबूराव (शाजापुर)
पटेल, श्री मणीभाई जे० (दमोह)
पटेल, श्री मनुभाई (डभाई)
पटोदिया, देवकीनन्दन (जालोर)
पद्मावती देवी, श्रीमती (राजनन्दगांव)
पन्त श्रीकृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री द० रा० (पाटन)
परमार, मालजीभाई (दोहद)
पास्वान, श्री केदार (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री (हिंडौन)
पाओकाई हाओविघ (बाहल मनीपुर)
पाटिल, श्री अ० वि० (अहमदनगर)
पाटिल, श्री गु० दे० (बीजापुर)
पाटिल, श्री चू० आ० (धुलिया)
पाटिल, श्री तुलसीराम आबजी (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री देवराज (यवतमाल)
पाटिल, श्री ना० रा० (भीर)
पाटिल, श्री स० दा० (संगली)
पाटिल, से० ब० (बागलकोट)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाण्डेय, श्री काशीनाथ (पदरोना)
पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
पाण्डेय, श्री सरजू (गाजीपुर)
पार्थसारथी, पी० सी० (राजपेट)
पुनाचा, चे० मू० (मंगलोर)
पुरी, डा० सूर्यप्रकाश (नवादा)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधानी, श्री ख० (नौरंगपुरा)
प्रमाणिक, श्री जि० ना० (बलूरघाट)
प्रसाद, श्री य० अ० (मछलीपटनम)

फ

फरनेण्डीज़, श्री जार्ज (बम्बई-दक्षिण)

ब

बक्स सिंह, संत (फतेहपुर)
बख्शी गुलाम मुहम्मद, श्री (श्रीनगर)
बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदरूद्दूजा, श्री (मुर्शिदाबाद)
बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)
बरुआ, श्री रा० (जोरहाट)
बरुआ, श्री वेदव्रत (कलियाबोर)
बरुआ, श्री हेम (मंगलदाई)
बलराम राजू, श्री द० न० (नरसापुर)
बसवन्त, श्री (भिवाडी)
बसी, श्री सो० सिं० (फीरोजपुर)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमण्ड आर्बर)
बसु, डा० मैत्रेयी (दारजीलिंग)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री प० ला० (गंगानगर)
बिड़ला, श्री रा० कृ० (झुंझनू)
बिरुआ, श्री कोलाई (सिंहभूम)
बिष्ट, श्री जं० ब० सिं० (अल्मोड़ा)
बिस्वास, श्री जि० मो० (बांकुरा)
बृजभूषण लाल, श्री (बरेली)
बृजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
श्री बृजेन्द्र सिंह, (भरतपुर)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेहेरा, श्री बेघर (जाजपुर)
बेसरा, श्री स० च० (दुमका)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेरो, श्री (नामनिर्देशित आंग्लभारतीय)
बोस, श्री अमिय नाथ (आरामबाग)
बोहरा, श्री ओंकारलाल (चित्तौड़गढ़)

ब—क्रमशः

ब्रह्म प्रकाश, श्री (बाह्य–दिल्ली)
ब्रह्मानन्द जी, श्री (हमीरपुर)

भ

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री (तेजपुर)
भगवान दास, श्री (औसग्राम)
भट्टाचार्य, श्री चपलाकांत (रायगंज)
भण्डारे, श्री रा० ढो० (बम्बई–मध्य)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भानु प्रकाश सिंह, श्री (सीधी)
भारती, श्री महाराज सिंह (मेरठ)
भार्गव, श्री ब० ना० (अजमेर)
भोलानाथ, श्री (अलवर)

म

मंगलाथुमाडोम, श्री जी० पी० (मवेलिक्करा)
मंडल, डा० पषुपति (विष्णुपुर)
मंडल, श्री जु० कि० (उलुबेरिया)
मंडल, श्री बि० प्र० (माधीपुरा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मधुकर, श्री क० मि० (केसरिया)
मधोक, श्री बलराज (दिल्ली–दक्षिण)
मनोहेरन, श्री (मद्रास–उत्तर)
मयाबन, श्री (चिदाम्बरम)
मंरडी, श्री (राजमहल)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
मसानी, श्री मी० रू० (राजकोट)
मसुरियादीन, श्री (चैल)
महतो, श्री भजहरि (पुरुलिया)
महादेव प्रसाद, श्री (महाराजगंज)
महादेवप्पा यशवन्तप्पा, श्री रामपुर (गुलवर्गा)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महीडा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
महिषी, डा० सरोजिनी (धाखाड़–उत्तर)
माहति, श्री श० ना० (पिल्गपुर)
माझी, श्री म० (मयूरभंज)
माने, श्री शंकरराव (कोल्हापुर)
मालीमरिप्पा, श्री (मधुगिरी)
मिनीमाता, श्रीमती अगम दास गुरू (जंजगीर)
मिर्जा, श्री बाकर अली (सिकन्दराबाद)
मिश्र, श्री गा० रां० (छिन्दवाड़ा)
मिश्र, श्री श्रीनिवास (कटक)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मीठालाल, श्री (सवाई माधोपुर)
मुकने, श्री यशवन्तराव (दहानु)
मुकर्जी, श्री ही०ना० (कलकत्ता–उत्तर पूर्व)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रतनागिरि)
मुत्तुस्वामी, श्री सी० (कनर)
मुद्रिका सिंह, श्री (औरंगाबाद)
मुल्ला, श्री आ० ना० (लखनऊ)
मुहम्मद इमाम, श्री (चित्रदुर्ग)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (बैरकपुर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)
मुहम्मद शरीफ, श्री (रामनाथपुरम)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमलापुरम)
मूर्ति, श्री मि. सू. (अनकापल्लि)
मृत्युजंय प्रसाद, श्री (महाराजगंज)
मेघचन्द्र, श्री एम० (आन्तरिक मनीपुर)
मेघराजजी, श्री (सुरेन्द्रनगर)
मेहता, श्री अशोक (भंडारा)
मेहता, श्री प्र० (भावनगर)
मेनन, श्री गोविन्द (मुकन्दपुरम)
मेनन, श्री विश्वनाथ (एरणामुकलम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मोडक, श्री वि० कु० (हुगली)
मोडी, श्री पीलु होमी (गोधरा)
मोलहू प्रसाद, श्री (बांसगांव)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धाखाड दक्षिण)
मोहिन्दर कौर, श्रीमती (पटियाला)

य

याज्ञिक, श्री (अहमदाबाद)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री जगेश्वर (बाँदा)
यादव, श्री न० प्र० (सीतामढ़ी)

य—क्रमशः

यादव, श्री रामसेवक (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (देहरादून)
यूसुफ, श्री मुहम्मद (सीवन)

र

रघुरामैया, श्री (गुन्टूर)
रजनी गंधा, कुमारी (रायगढ)
रणजीत सिंह, श्री (खालीलाबाद)
रणधीर सिंह, श्री (रोहतक)
रमानी, श्री (कोयमत्रूर)
राज देव सिंह, श्री (जोनपुर)
राजाराम, श्री (सलेम)
राजाशेखरन, श्री (कनकपुरा)
राजू, डा० द० स० (राजामुंदडी)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती (धनवाद)
राधाबाई, श्रीमती (भद्राचलम)
राणा, श्री (भडौच)
राणे, श्री (बुलडाना)
राम, श्री तु० (ग्ररारिया)
राम किशन, श्री (होशियारपुर)
राम चरण, श्री (खुर्जा)
राम धन, श्री (लालगंज)
रामजी राम, श्री (ग्रकबरपुर)
रामधनी दास, श्री (गया)
राममूर्ति, श्री (मदुरै)
राममूर्ति, श्री पी. (शिवकासी)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सुभग सिंह, डा० (बक्सर)
राम सेवक, श्री (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रोबर्टसगंज)
राय, श्री चरणजीत (दौसा)
राय, श्री चितरंजन (जयनगर)
राय, श्री रबी (पुरी)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती उमा (माल्दा)
राव, डा० वी० के० ग्रार० वी० (बेल्लारी)
राव, श्री क० नारायण (बोब्बिली)
राव, श्री कु० ल० (विजयवाडा)
राव, श्री जगन्नाथ (छतरपुर)
राव, श्री मुत्याल (नगरकुरनूल)
राव, श्री जु० रामपथी (करीमनगर)
राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री तिरूमल (कोकिनाडा)
राव, श्री वि० नरसिम्हा (पार्वतीपुरम)
राउत्त, श्री भोला (बगहा)
रेड्डी, श्री जी० एस० (मिरियालगुडा)
रेड्डी, श्री नी० संजीव (हिन्दूपुर)
रेड्डी श्री पी एंथनी (ग्रनन्तपुर)
रेड्डी, श्री गंगा (ग्रादिलाबाद)
रेड्डी, श्री नारायण (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्री दशरथ राम (कावली)
रेड्डी, श्री ईश्वर (कडप्पा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्हार)

ल

लकप्पा, श्री क० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्मम)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (मेडक)
ललित सेन, श्री (मण्डी)
लास्कर, श्री नि० रं० (करीमगंज)
लोबो प्रभु, श्री (उदीपी)
लिमये, श्री मधु (मुंगेर)
लुत्फल हक श्री, (जंगीपुर)
लोहिया, डा० राम मनोहर (कन्नोज)

व

वंश नारायण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
वर्मा, श्री प्रेम चन्द (हमीरपुर)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री ग्रटल बिहार (बलरामपुर)
वाजपेयी, श्री विद्या धर (ग्रमेठी)
वाजपेयी, श्री शशिभूषण (खारगोन)
विजय राजे, श्रीमती (छतरा)
विद्यार्थी, श्री राम स्वरूप (बरोलबाग)
विश्वनाथन, श्री (वंडीबारा)
विश्वनाथन, श्री तन्नेटि (विशाखापटनम्)
विश्वम्भरन, श्री (त्रिवेन्द्रम्)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

व—क्रमशः

वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वेंकटासुब्बया, श्री पें (नन्दपाल)
वेंकटास्वामी, श्री (सिद्धिपेट)
व्यास, श्री रामचंद्र (भीलवाडा)

श

शंकरानन्द, श्री (चिकोडी)
शम्भू नाथ, श्री (सैदपुर)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (भजनगर)
शर्मा, श्री दी० चं० (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री ना० स्व० (डुमरियागंज)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री य० द० (अमृतसर)
शर्मा, श्री योगेन्द्र (बेगुराय)
शर्मा, रामावतार (ग्वालियर)
शर्मा, श्री वेणीशंकर (बंका)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शारदानन्द, श्री (सीतापुर)
शालवाले, श्री रामगोपाल (चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (हापुड़)
शास्त्री, श्री रघुवीरसिंह (बागपत)
शास्त्री, श्री रामानन्द (बिजनौर)
शास्त्री, रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री वि० ना० (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शाह, श्री टी० पी० (कांकर)
शाह, श्री वीरेन्द्रकुमार (जूनागढ़)
शाह, श्री शान्तिलाल (उत्तर पश्चिम-बम्बई)
शाह, श्रीमति जयाबेन (अमरेली)
शिंकरे, श्री जनार्दन जगन्नाथ (पंजिम)
शिन्दे, श्री अन्नासाहिक (कोपर गांव)
शिव चण्डिका प्रसाद, श्री (जमशेदपुर)
शिवचरण लाल, श्री (फिरोजाबाद)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शिव नारायण, श्री (बस्ती)
शिवप्पा, श्री (हसन)
शिवशंकरन, श्री (दरेम्बदर)
शिव शर्मा, श्री (विदिशा)
शुक्ल, श्री श० ना० (रीवाँ)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमन्द)
शेरसिंह, श्री (झज्जर)
श्रीधरन, श्री (बडागरा)
देवशर्मा, श्री विक्रम किशोर (त्रिपुरा-पूर्व)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संजी रूपजी, श्री (दादर तथा नगर हवेली)
संघी, श्री न० कु० (जोधपुर)
संतोषम्, डा० म० (तिरुचेंडर)
सम्बन्धन, श्री (तिरुत्ताणि)
साम्बसिवम्, श्री (नागापट्टिणम्
साम्भली, मोलाना इसहाक, (अमरोहा)
सत्य नारायण सिंह, श्री (बाराणसी)
सप्रे, श्रीमति तारा (बम्बई-पूर्वोत्तर)
सलीम, श्री मु० यू० (नागालैंड)
सहगल, श्री अ० सिं० (विलासपुर)
साल्वे, श्री न० कु० (बेतूल)
साधुराम, श्री (फिल्लौर)
साबू, श्री श्रीगोपाल (सीकर)
सामन्त, श्री स० चं० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री (गोबीचेट्टियलयम)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, डा० शि० कु० (वीरभूम)
सिंह, श्री जि० ब० (शाहाबाद)
सिंह, दि० ना० (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री देवेन्द्र विजय (सतना)
सिद्दय्या, श्री (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालंदा)
सिन्हा, श्री रा० कृ० (फैजाबाद)
सिंह, श्री सत्यनारायण (दरभंगा)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ)
सुदर्शनम, श्री म० (नरसारावपेट)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुन्दरलाल, श्री झाडू (बस्तर)
सूपकार, श्री क्षद्धाकर (सम्बलपुर)

स—क्रमशः

सुब्रावेलू, श्री (मयरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर सिंह, श्री (झबुग्रा)
सूरज भान, श्री (ग्रम्बाला)
सूर्य नारायण, श्री (एल्लूरू)
सेक्वीरा, श्री (मर्मागोग्रा)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री ग्रब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठ, श्री तु० मू० (कच्छ)
सेठी, श्री प्र० चं० (इन्दौर)
सेतुरामे, श्री नं० (पांडिचेरी)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री ग्र० कु० (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री देवेन (ग्रासनसोल)
सेन, श्री द्वैपयान (कटवा)
सेन, श्री फ० गो० (पूर्णिया)
सैयद ग्रली, श्री (जलगांव)
सैयद, श्री प० मु० (लक्कादीव मिनि-कोय तथा ग्रमीनदीवी द्वीपसमूह)
सोंधी, श्री म० ला० (नई दिल्ली)
सोनार. डा० ग्र० ग० (रामटेक)
सोनावने, श्री (पेंढरपुर)
सोमानी, श्री नन्द कुमार (नागौर)
सोंलकी, श्री प्र० न० (कैरा)
सोंलकी, श्री सोमचन्द (गांधीनगर)
स्नातक, श्री नरदेव (हाथरस)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालन्धर)
स्वेल, श्री (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हजरनवीस, श्री (चिमूर)
हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हनुमन्तय्या, श्री (बंगलौर)
हरिकृष्ण, श्री (इलाहाबाद)
हाल्दार, श्री कं० (मथुरापुर)
हिम्मतसिंहका, श्री (गोड्डा)
हीरजी भाई, श्री (बांसवाडा)
हेमराज, श्री (कांगडा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री नी० संजीव रेड्डी

उपाध्यक्ष

श्री र० के० खाडिलकर

सभापति तालिका

डा० द० स० राजू

श्री प्र० के० देव

श्री मनोहरन

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य

श्री गु० सिं० ढिलो

श्री बलराज मधोक

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री—श्रीमती इन्दिरा गांधी
उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई
औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री—श्री फखरुद्दीन अली अहमद
वैदेशिक कार्य मंत्री—श्री मु० क० चागला
गृह-कार्य मंत्री—श्री यशवन्तराव चव्हाण
वाणिज्य मंत्री—श्री दिनेशसिंह
श्रम तथा पुनर्वास मंत्री—श्री हाथी
खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री जगजीवन राम
पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री—डॉ० कर्णसिंह
योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री—श्री अशोक मेहता
विधि मंत्री—श्री गोविन्द मेनन
रेलवे मंत्री—श्री चे० मु० पुनाचा
संसद् कार्य तथा संचार मंत्री—डॉ० राम सुभग सिंह
परिवहन तथा नौवहन मंत्री—डॉ० वी० के० आर० वी० राव
इस्पात, खान तथा धातु मंत्री—डॉ० चन्ना रेड्डी
शिक्षा मंत्री—डॉ० त्रिगुण सेन
सूचना तथा प्रसारण मंत्री—श्री के० के० शाह
बिना विभाग के मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह
प्रतिरक्षा मंत्री—श्री स्वर्णसिंह

राज्य-मन्त्री

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री ब० रा० भगत
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री—डॉ० श्री चन्द्र शेखर
रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री परिमल घोष
समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री—श्रीमती फूलरेणु गुह
निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री—श्री जगन्नाथ राव
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री—श्री ल० ना० मिश्र
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में
राज्य मन्त्री—श्री रघुरामैया
सिंचाई और बिजली मंत्री—डॉ० कु० ल० राव
औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री रघुनाथ रेड्डी

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री प्र० चं० सेठी

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री शेरसिंह

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री अन्ना साहिब शिन्दे

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री विद्याचरण शुक्ल

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री भागवत झा आजाद

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री— श्री इ० कु० गुजराल

अणु शक्ति विभाग में राज्य मंत्री—श्री गुरुपादस्वामी

उप-मन्त्री

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री—श्री भक्त दर्शन

संसद् कार्य विभाग में उप-मन्त्री—श्री रोहनलाल चतुर्वेदी

विधि मन्त्रालय में उप-मन्त्री—श्री दा० रा० चव्हाण

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री—डा० एरिंग

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री—श्रीमती जहांआरा जयपालसिंह

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री—श्री स० चु० जमीर

उप मन्त्री—श्रीमति सरोजनी महिषी

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मन्त्री—श्री ब० सू० मूर्ति

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री—श्री मुहम्मद शफी कुरेशी

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री—श्री के० एस० रामस्वामी

संसद् कार्य विभाग में उप मन्त्री—श्री मुत्याल राव

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री—श्रीमति नन्दिनी सत्पथी

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री—श्री भानु प्रकाशसिंह

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री—श्री इकबालसिंह

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री—श्री सुरेन्द्रपालसिंह

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

खंड ३ } चौथी लोक-सभा के दूसरे सत्र का पहला दिन { अंक १

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 22 मई, 1967/1 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

Monday, May 22 1967/Jyaistha 1, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण

MEMBERS SWORN

+

श्री जयपालसिंह (खुन्टी) [अंग्रेजी]

श्रीमती तारा सप्रे (बम्बई उत्तर पूर्व) [अंग्रेजी]

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) [अंग्रेजी]

डा. करणसिंह (उधमपुर) [हिन्दी]

श्री सूरसिंह (झाबुआ) [हिन्दी]

श्री वीरभद्रसिंह (महासू) [अंग्रेजी]

श्री जी. भा. कृपलानी (गुना) [हिन्दी]

+ सदस्य के नाम के आगे दी गई भाषा इस बात की द्योतक है कि सदस्य ने उसी भाषा में शपथ ली थी।

+ The language shown against the name of a member indicates that he took oath in that language.

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री लोटन राम की मृत्यु का शोक समाचार देना है जो कि 30 अप्रेल, 1967 को 63 वर्ष की आयु में उरई में देहान्त हो गया।

श्री लोटन राम 1952—57 के दौरान प्रथम लोक सभा के सदस्य थे।

हमें इस मित्र के निधन पर गहरा दुःख है और मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजने में यह सभा मेरा साथ देगी।

सभा अपना खेद व्यक्त करने के लिए कुछ क्षणों के लिये मौन खड़ी हो जाये।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न आरम्भ करने से पूर्व मैं प्रश्नों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। कुछ प्रश्नों की सूचना देने वालों के नामों की सूची बहुत लम्बी है और कुछ प्रश्नों के साथ तो नामों की संख्या 20 से 100 तक है। यदि मुझे उन सभी सदस्यों को बुलाना पड़े जिनके नाम प्रश्नों की सूची में दिये हैं तो हम प्रश्नकाल के समय में केवल एक या दो प्रश्न ही समाप्त कर पायेंगे। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक में यह फैसला किया गया था कि एक प्रश्न की सूची में से केवल चार या पांच नाम पुकारे जायेंगे और उसके बाद एक या दो अन्य नाम पुकारे जायेंगे और फिर अगला प्रश्न ले लिया जायेगा। पिछली बार मेरा अनुभव यह रहा कि कुछ सदस्यों ने जिनके नाम प्रश्न सूची में थे, इस बात का बुरा मनाया कि उनको नहीं बुलाया गया। अत: यदि सभा सहमत हो, तो मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा दिये गये उस सुझाव को स्वीकार कर लूं कि छपी प्रश्न सूची में से केवल तीन या चार नाम ही पुकारे जायेंगे और उनके अतिरिक्त एक या दो अन्य सदस्यों को बुलाया जायेगा और उसके बाद अगला प्रश्न ले लिया जायेगा। इस प्रकार हमें कम से कम आठ या दस प्रश्नों के उत्तर मिल सकेंगे। मैं इस तरीके को अपनाना चाहता हूँ, और एक बार फिर मैं आज शाम को कार्य—मंत्रणा समिति की बैठक में नेताओं से परामर्श करूंगा। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे इसका बुरा न मनायें।

छिपे नागाओं के प्रतिनिधि मंडल को ब्रिटेन में श्री फिजो से मिलने के लिए सुविधाएं

\+

*1. **श्री हेम बरुआ :**	**श्री प्र० के० देव :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :	**श्री के० पी० सिंह देव :**
श्री यशपाल सिंह :	**श्री डी० एन० देव :**
श्री स० चं० सामन्त :	**श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री मोहनस्वरूप :	**श्री राम किशन गुप्त :**

श्री मधु लिमये :　　　　　　　　　　**श्री मोहसिन :**
डा० राम मनोहर लोहिया :　　　　　　**श्री काशी नाथ पांडे :**
श्री स० मो० बनर्जी :　　　　　　　　**श्री रा० बरुग्रा :**
श्री जार्ज फरनेंडीज :　　　　　　　　**श्री सी० सी० देसाई :**
श्री ग्रातम दास :　　　　　　　　　　**श्री डी० एन० पटौदिया**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे हुए विद्रोही नागा नेताओं ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि नागालैंड के राजनैतिक ढांचे के बारे में, जिस विषय में कि इस समय बात-चीत चल रही है, श्री फिजो से परामर्श करने के लिये उन्हें एक प्रतिनिधि मण्डल लंदन भेजने की अनुमति दी जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्तावित यात्रा के लिये उन्होंने विशेष सुविधायें मांगी हैं; और

(ग) वे सुविधाएं क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : छिपे नागाओं ने भारत सरकार से कहा है कि उनके दो प्रतिनिधियों को लंदन जाने और श्री ए० जेड फिजो से सलाह-मशविरा करने के लिए पासपोर्ट और विदेशी मुद्रा की सुविधाएँ दी जाएं।

भारतीय राष्ट्रिकों के रूप में आवेदन-पत्र भर कर देने पर भारत सरकार ने उन्हें सुविधाएं देना स्वीकार कर लिया है।

+　　श्री फिजो की अमेरीका यात्रा

*23. **श्री विभूति मिश्र :**　　　　　　　　**श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री क० ना० तिवारी :　　　　　　　　**श्री नि० ई० लास्कर :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :　　　　　**श्री सूपकर :**
श्री ओंकार सिंह :　　　　　　　　　　**श्री लीलाधर कटकी :**
श्री डी० एन० पटौदिया　　　　　　　　**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री दी० चं० शर्मा :　　　　　　　　　**श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
डा० रानेन सेन :　　　　　　　　　　　**श्री प्र० के० देव :**
श्री यशपाल सिंह :　　　　　　　　　　**श्री के० पी० सिंह देव :**
श्री स० चं० सामन्त　　　　　　　　　　**श्री डी० एन० देव :**
श्री मधु लिमये :　　　　　　　　　　　**श्री एन० एस० शर्मा :**
श्री स० मो० बनर्जी :　　　　　　　　　**श्री शारदानन्द :**
डा० राम मनोहर लोहिया :　　　　　　**श्री बृज भूषण लाल :**

श्री अटलबिहारी बाजपेयी :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री भारत सिंह :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रा० बरुआ :
श्री पार्थसापथी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री मनोभाई जे० पटेल :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री रामेश्वर राव :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पी० गोपालन :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री काशीनाथ पांडे :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री ए० जेड० फिजो ने हाल ही में अमरीका की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी यात्रा का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या अमरीका में उसकी गति-विधियों की कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : अमरीका की सरकार ने डाक्टरी इलाज के निमित्त न्यूयार्क जाने के लिए श्री ए० जेड० फिजो को एक अस्थायी दर्शक वीज़ा दे दिया है। लेकिन 17 अप्रैल, 1967 को न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित एक इन्टरव्यू में श्री फिजो ने कहा है कि वह भारत से नागा राज्य की स्वाधीनता के लिए समर्थन पाने के निमित्त अमरीका आये हैं।

(घ) भारत सरकार ने इस मामले को अमरीका सरकार के साथ उठाया है जिन्होंने यह आश्वासन दिया है कि अमरीका सरकार भारत के विरुद्ध राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार की कार्यवाहियां करने में कोई सहायता अथवा समर्थन प्रदान नहीं करेगी।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री फिजो एक विदेशी नागरिक हैं, क्योंकि उन्होंने 7 नवम्बर, 1951 को ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार कर ली थी और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि श्री फिजो ने भारतीय न्याय के विरुद्ध लन्दन में जाकर शरण ली, भारत सरकार कुछ छिपे नागा नेताओं को एक ऐसे व्यक्ति से मिलने की अनुमति क्यों देना चाहती है जो कि एक विदेशी नागरिक हैं और इसके साथ ही समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिये यहां पर छिपे नागाओं से सरकार क्यों बातचीत करती है ? ये दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं। क्या माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण करेंगे ?

श्री मु० क० चागला : सौभाग्य से या दुर्भाग्य से छिपे नागाओं पर श्री फिजो का कुछ प्रभाव है।

श्री नाथ पाई : आप उनको यहां क्यों नहीं बुलाते ?

श्री मु० क० चागला : हमने महसूस किया कि यदि हमने इन दो व्यक्तियों को श्री फिजो के साथ बातचीत करने की सुविधाएं दे दीं तो हो सकता है इससे छिपे नागाओं के साथ हो रही शांति वार्ता में सहायता मिले ।

श्री हेम बरुआ : आपने श्री फिजो के भाई श्री येल्ली को लन्दन जाने और उनके साथ बातचीत करने की सुविधाएं दीं । श्री येल्ली वापस आगये और उन्होंने कहा कि नागालैंड को स्वतन्त्र बनाने के बारे में श्री फिजो के विचार वही हैं । इसके बाद, आप दूसरा प्रतिनिधि मण्डल लन्दन क्यों भेजना चाहते हैं ? यह मैं नहीं समझ पाया ।

श्री मु० क० चागला : ऐसा हमने कड़ी शर्तों पर किया है । विजा दो सप्ताह के लिये है । यह केवल लन्दन के लिये ही है और हमने आग्रह किया है कि वे भारतीय पारपत्र पर वे भारतीय राष्ट्रकों के रूप में ही जायें । इसके लिये हमने सभी पूर्वोपाय कर लिये हैं । यदि वे बात करना चाहते हैं, हमने सोचा, हो सकता है इससे शांति वार्ता में सहायता मिले......... ।

श्री हेम बरुआ : यह समाचार आया था कि हथियार और गोलाबारूद इकट्ठा करने और गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये नागा विद्रोहियों के दो दल पहले ही चीन पहुंच चुके हैं । इससे पता चलता है कि चीन की शैतानी पर अब तक हम जो शक करते रहे थे आज वह स्पष्ट रूप से हमारे सामने है । वह कुछ भी सही, क्या सरकार ने उन छिपे नागा नेताओं को, जो प्रधान मंत्री के साथ बातचीत करने के लिये दिल्ली आये हैं, स्पष्ट रूप से बता दिया है "या तो आप बातचीत करो या युद्ध करो । दोनों चीजें—नागा समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिये वार्ता और विदेशों को नागाओं के जत्थे भेजना साथ-साथ नहीं चल सकती ।" सरकार ऐसे क्यों नहीं कहती है ?

श्री मु० क० चागला : चीन के हाथ के बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं । परन्तु हमारा अनुमान है कि छिपे नागाओं की एक बहुत बड़ी संख्या इन कार्यवाहियों का समर्थन नहीं करती ।

श्री हेम बरुआ : एक भी छिपे नागा नेता ने उन लोगों की खुले तौर पर निन्दा नहीं की है जो हथियार संग्रह करने के लिये चीन गये हैं ।

श्री मु० क० चागला : बहुत थोड़े से लोगों ने हिंसात्मक कार्यवाहियों में भाग लिया है और हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन थोड़े से लोगों को भी हम शांति प्रिय तरीके अपनाने के लिये मना लेंगे ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं अपना प्रश्न पूछने से पूर्व सरकार से यह स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि क्या यह नागा नेता जिनसे यह बात कर रहे हैं उन्होंने अपने आपको उन नागा नेताओं से अलग कर दिया है जो चीन से हथियार लाये थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान बातचीत किस स्तर पर है तथा क्या भूमिगत नागा नेताओं ने भारत से अलग होने के

विचार को छोड़ दिया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वे अब इस बात को ध्यान में रख कर बातचीत कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत उन्हें किस सीमा तक रियायतें दी जा सकती हैं। क्या वार्ता इस सीमा तक पहुंच चुकी है ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि सदस्य महोदय को पता है वार्ता अभी बंद नहीं हुई है। जो भी बातचीत उनसे हुई प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नागालैंड भारत के अन्तर्गत ही रह सकता है। हां उन्हें सांस्कृतिक स्वतंत्रता होगी। बातचीत अभी ऐसी सीमा तक नहीं पहुंची जब यह कहा जा सके कि नागा नेताओं के विचारों का ठीक-ठीक पता चल सके। परन्तु जैसा कि श्री बरुआ ने कहा है कि यदि बातचीत और गोली मारने के बीच में एक बात को छाँटना हो तो लोकतन्त्र में हमें गोली चलाने से पहले जहां तक हो सके बातचीत करते रहना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देना चाहिये कि क्या नागा लोगों ने उन लोगों की भर्त्सना की है जो चीन से हथियार लाये हैं।

श्री मु० क० चागला : उन्होंने स्पष्ट रूप से तो उनकी भर्त्सना नहीं की है परन्तु प्रधान मंत्री से उनकी बातचीत का होना अपरोक्ष रूप से भर्त्सना है क्योंकि हमारा उनसे समझौता है कि उन्होंने लड़ाई बन्द कर दी है तथा वह सरकार के प्रति वफादार हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस प्रकार कहने का क्या लाभ "कि स्पष्ट रूप से तो नहीं।" मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जब प्रधान मंत्री से बातचीत की तब निजी रूप से ऐसा कह दिया था ? हम प्रधान मंत्री से इसका उत्तर चाहते हैं।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जैसा कि हमने बार-बार इस सदन में कहा है कि यह बड़ी पेचीदा बातचीत है तथा जो कुछ यहां होता है उसका प्रभाव होगा। एक बार प्रो० मुकर्जी ने भी कहा था कि जब वह वहाँ का दौरा करके आये थे कि वह अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अब वह इंगलैंड गये हैं ताकि फीजो के विचारों का पता लग सके। पहले जब हमने इस समस्या पर विचार किया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें और समय देना चाहिये ।

श्री हेम बरुआ : कितना समय और ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : चाहे कितना ही समय क्यों ने लगे। जैसा कि अभी वैदेशिक-कार्य मंत्री ने कहा कि लड़ाई की तुलना में हमें इसे बातचीत से सुलझाना चाहिये। यदि उन्हें और समय की आवश्यकता है तो और समय देना चाहिये ताकि और अधिक लोग हमारे विचारों के बन जायें और यदि साधारण लोग यह समझ गये कि लड़ाई से शान्ति ठीक है तो वह भूमिगत नागाओं पर भी जोर डालेंगे ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या प्रधान मंत्री से बातचीत के समय नागा नेताओं ने उन दो दलों की भर्त्सना की जो चीन से हथियार लेकर आये थे ? वह यह स्पष्ट करें।

श्रीमति इन्दिरा गांधी—मैं उन विषयों पर बात करने को तैयार नहीं हूं जिन पर मैंने नागा नेताओं से बात की थी।

श्री हेम बरुआ : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठता हूं। प्रधान मन्त्री कहती हैं कि इस विषय पर चर्चा करने को तैयार नहीं है जबकि वैदेशिक-कार्य मन्त्री कहते हैं कि बातचीत निजी रूप की थी। फिर इनमें से कौनसी बात ठीक है।

श्री म०ला० सोंधी : यह निजी बात लन्दन में नहीं होनी चाहिए।

Shri Yashpal Singh : The Government has not clerified as to how Phizo went great Britain and America without obtaining passport from the British Government. He does not have our passport. Instead of asking the British Government to hand over him to us. We send these teams for talks there. Is it not an insult to injury ?

श्री मु० क० चागला : उसके पास ब्रिटिश पारपत्र है। उसने अमरीका से वीजा प्राप्त किया। हमने इसका विरोध किया और कहा कि चिकित्सा कराना तो एक बहाना है जोकि यह इंगलैण्ड में भी प्राप्त कर सकता था। परन्तु अमरींकी सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वह फिजो को भारत के विरुद्ध कोई प्रचार करने की अनुमति नहीं देंगे।

Shri Yashpal Singh : I said that he went to England without obtaining passport from Indian Government and as such is he not our culprit ?

श्री मु० क० चागला : मुझे पता है कि फिजो इंगलैंड किन परिस्थितियों में गया था। उसके पास ब्रिटिश पारपत्र था। उसने ठीक रूप से आवेदन-पत्र दिया और अमरीका ने उसे बीजा दे दिया। वह सब अब बीती बात है। जहां तक उसके अमरीका जाने का सम्बन्ध है, हमने इसके विरुद्ध पूरा विरोध प्रकट किया कि वह उसे भारत के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने दें।

श्री स० च० सामन्त : क्या नागालैंण्ड मन्त्रिमण्डल से विशेष सुविधायें देने के लिए कहा गया था और यदि हां, तो नागालैंड मन्त्रिमण्डल की उस पर क्या प्रतिक्रिया थी।

श्री मु० क० चागला : जहां तक मुझे पता है नागालैंड का मन्त्रिमण्डल हमारे इस सुझाव के विरुद्ध नहीं था कि इन दो व्यक्तियों को छोटी सी यात्रा के लिए भेजा जाये।

श्री हेम बरुआ : आपने उसकी बिल्कुल सलाह नहीं ली।

श्री मु० क० चागला : यह सही नहीं है।

Shri A.B. Vajpayee: Is it not a fact that under the suspension of operations agreement with Naga Rebels they have not been precluded from going to China or Pakistan without arms and it is advantage only because of this loop hole that the Naga rebels go to China and Pakistan for receiving military training ? Do Government Contemplate to rectify this defect in the cease fire agreement ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है सैनिक कार्यवाही रोकने के समझौते के अन्तर्गत छिपे हुए नागा बाहर से हथियार नहीं मंगा सकते हैं और न ही बाहर जा सकते हैं . . . .

श्री हेम बरुग्रा : क्या यह एक पक्षीय करार है ?

श्री मु० क० चागला : मैं मानता हूं कि उस करार का उल्लंघन किया गया है। उस पर हमने विरोध प्रकट किया है, और उसकी ओर उत्तरदायी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। परन्तु जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया, वे लोग अल्प संख्यक हैं—हमें यह मानना पड़ेगा—जो कि आज इस करार का पालन नहीं करते। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इन अल्प संख्यकों को बहुसंख्यकों की बात के लिए मना लें जो कि हमारे देश में शान्ति चाहते हैं।

Shri A.B. Vajpayee: My question has not been answered. I wanted to know whether the Government have examined the suspension of operations agreement with a view to plugging the loophole which enables Naga hostiles to go to China and Pakistan ? A spokesman of the Naga rebels had claimed that under the agreement Naga rebels are not precluded from going to China or Pakistan, they are only precluded from fetching arms therefrom.

श्री मु० क० चागला : जी नहीं। करार के अन्तर्गत छिपे नागाओं का चीन या पाकिस्तान जाना, वहां से हथियार लेकर भारत लौटना और उन हथियारों का हमारे देश के विरुद्ध प्रयोग करना वर्जित है। यह तो एक स्पष्ट बात है।

श्री प्र० के० देव : नागालैण्ड की समस्या एक आन्तरिक समस्या है इसलिए इस कार्य को वैदेशिक कार्य मन्त्रालय को सौंपना सरकार की नीति से कहां तक मेल खाता है।

श्री मु० क० चागला : नागालैंड पर हुई चर्चा में मैंने बताया था कि नागालैण्ड मंत्रिमण्डल के कहने पर नागा समस्या के विषय को वैदेशिक कार्य मंत्रालय के पास रखा गया है। हम इस विषय को गृह कार्य मंत्रालय को देना चाहते थे परन्तु नागालैंड मंत्रिमण्डल ने कहा कि कम से कम कुछ समय के लिए इस विषय को वैदेशिक कार्य मंत्रालय के पास ही रहने दिया जाये।

श्री दी० चं० शर्मा : नागालैंड में एक लोकप्रिय सरकार है और उसके साथ ही हमें बातचीत करनी चाहिए। सरकार ने इन छोटे-छोटे ग्रुपों से बातचीत करके क्या लाभ उठाया है जो कि हमारी समझौता करने की नीति से फायदा उठाते हैं और जो न केवल अपने लोगों से अवैध सहायता प्राप्त करते हैं अपितु विदेशों से भी सहायता प्राप्त करते हैं ? क्या अभी समय नहीं आया है जबकि हमें नागालैण्ड की सरकार को पूर्ण और स्पष्ट रूप से मान्यता देनी चाहिये और इन पृथककारियों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिये ?

श्री मु० क० चागला : हमने हमेशा ही नागालैंड की सरकार को उस राज्य की उचित रूप से गठित सरकार के रूप में मान्यता दी है, परन्तु जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया, बातचीत के 5 या 6 दौर से पता चलने की संभावना है कि ये छिपे नागा भारत में रहने के लिये राजी हो जायें जो कि एक सही दृष्टि कोण है।

Shri Madhu Limaye : In view of the fact that four foreign powers, viz., America, Britain, foreign missioneries and China are actively encouraging the separatist policies in the Nagaland and in North-Eastern area, may I know whether an accord with Naga rebels is possible in the race of this interference ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मैंने बताया हमें इसकी आशा करनी चाहिये और इसके लिये प्रार्थना करनी चाहिये। मुझे पता है कि इसके मार्ग में कठिनाइयां हैं और छिपे नागाओं पर दबाव डाला जा रहा है और यह भी कि कुछ विदेशी शक्तियां नागालैंड और हमारे बीच गड़बड़ी पैदा करना चाहती है। परन्तु हमें प्रयत्न करते रहना चाहिये। इसके लिये और दूसरा तरीका क्या है ?

Shri Sheo Narain : Has the Government of India declared Mr. Phizo an outland and if, so, why any team be sent to him for talks ?

श्री मु० क० चागला : इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यदि वह यहां आकर कोई अपराध करता है तो उसके लिये उस पर मुकदमा चलाया जायेगा। इस समय वह ब्रिटेन और अमरीका के सुरक्षित घिराव में है। अत: उनकी कार्यवाहियों पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 2।

श्री बलराज मधोक : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न पर चला गया हूं।

श्री नाथ पाई : हम आपके आदेश को ठीक से नहीं समझ पाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इधर से भी माननीय सदस्यों को बुलाया है। आपके दल ने दो या तीन प्रश्न पूछे हैं।

श्री हेम बरुआ : प्रश्न काल के दौरान हमें राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं चलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अभी मुझे चैम्बर में बताया गया था कि हमें राजनीतिक दलों के आधार पर भी चलना चाहिये। खैर कुछ भी सही मैं 4 बजे इस पर चर्चा कर रहा हूं।

श्री बलराज मधोक : ये प्रश्न विभिन्न सत्रों में पूछे जाते हैं और यदि सरकार के पास देने के लिये कोई उत्तर अथवा जानकारी नहीं है अथवा सरकार ने मामले को टालना ही है तो इन प्रश्नों को स्वीकार ही क्यों किया जाता है ? इनको स्वीकार न किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होता है तो हम बाद में चर्चा कर सकते हैं; किसी प्रस्ताव या किसी चीज पर हम निश्चय ही चर्चा कर सकते हैं। एक और अनुपूरक प्रश्न से समस्या हल नहीं होगी।

डा० धर्म तेजा का स्वदेश प्रत्यावर्तन

\+
*2. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री मधु लिमये :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री बलराज मधोक :

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री अनिरुधन :
श्री वी० विश्वनाथ मेनन :
श्री उमानाथ :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री बाबूराव पटेल :
श्री काशीनाथ पांडे :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डा० धर्म तेजा, जो आजकल अमरीका में हैं, के लौटाये जाने के बारे में अमरीकी अधिकारियों से कोई पत्र मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) डा० धर्म तेजा को उस देश से वापिस लाने के लिये सरकार और आगे क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रत्यर्पण के मामले में डाक्टर और श्रीमती तेजा के खिलाफ भारत में मुकदमें की कार्रवाई पूरी कर ली गई है और अब न्यूयार्क में उनके खिलाफ प्रत्यर्पण संबंधी मुकदमा शुरू करने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इस मामले में कार्यवाही इस कारण से शीघ्र नहीं की जा सकी चूंकि डा० तेजा का कुछ मन्त्रिमंडल के मंत्रियों पर, तथा प्रधान मंत्री पर भी प्रभाव है और यदि हां तो क्या सरकार उसकी भारत में सम्पत्ति को जब्त करने पर विचार कर रही है ताकि वह भारत वापिस आ जायें ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह कहना सच नहीं है कि भारत सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । वास्तव में हमने कार्यवाही की है । उसके विरुद्ध प्रत्यावर्तन कार्यवाही आरंभ कर दी गई है । जहां तक उसकी सम्पत्ति का सम्बन्ध है उसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि डा० धर्म तेजा का विदेशी बैंकों में बहुत धन जमा है और यह एक कारण है कि वह बिल्कुल भारत आना नहीं चाहता । यदि हां तो सरकार विदेशी बैंकों में उस धन को जब्त करवाने तथा उसे फिर भारत में लाने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह प्रत्यावर्तन कार्यवाही उसके विरुद्ध इसी उद्देश्य से की गई है । यदि हम इसमें तथा उसके भारत वापिस लाने में सफल हो गये तो उस पर मुकदमा

चलेगा और वह उन आरोपों से अपने आपको बचावेगा। यदि उसमें भी हम सफल हो गये तो संसार में जो उसकी सम्पदा है उनसे यह धन वसूल करने का रास्ता तलाश करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ या। मेरा प्रश्न यह है कि उसका विदेशी बैंकों में धन है तथा क्या सरकार को उसका ज्ञान है। मंत्री जी इसे स्वीकार करते हैं अथवा नहीं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मुझे उनकी सम्पदा जो कि विदेशी बैंकों में है, की सूचना नहीं है। इसे सम्बन्धित मंत्रालय को भेजा जाये।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि इस देश से डा० धर्म तेजा का पहली बार बाहर जाना कुछ भारतीय प्रशासन के कार्यकर्ताओं के द्वारा संभव हुआ क्योंकि उन्हें डर था कि यदि उस पर यहां मुकदमा चला तो वह कुछ भेद खोल देगा जिससे उन लोगों का प्रशासन में ठहरना कठिन हो जायेगा ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य के लिए भारत सरकार के अधिकारियों पर इस प्रकार आरोप लगाना उचित नहीं है। मुझे उन परिस्थितियों का पता नहीं है जिनमें वह देश से बाहर चला गया परन्तु यह वास्तविकता है कि सरकार के सदस्य तथा अधिकारियों का इसमें हाथ नहीं है।

Shri Madhu Limaye : It is a fact that last year during the months of May and June, Dr. Dharam Teja came here, stayed in the Hotel Inter continental and gave constant parties but inspite of the report against him he was not arrested as a relative of the Prime Minister had through talks with the government secured safe conduct for Dr. Teja which meant that in case of his visiting India he will not be arrested ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मेरी कठिनाई इस प्रश्न का उत्तर देने में यह है कि मेरे मन्त्रालय का सम्बन्ध केवल प्रत्यावर्तन से है। जो कुछ पीछे हो चुका है उसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है तथा मैं यह सदन को नहीं दे सकूंगा।

Shri Madhu Limaye : The Prime Minister should give information about it.

श्री रंगा : सरकार तो जारी रहती है। यदि उनके पास इस समय सूचना नहीं है तो वह यह प्राप्त करें तथा सदन को दें।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि मेरा कोई रिश्तेदार इसमें शामिल नहीं था।

Shri Madhu Limaye : The question is whether he was given safe conduct or not. The Prime Minister should say "no" to it. What does "involvement" mean here.

Shrimati Indira Gandhi : It comes to the same thing.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन : डा० धर्म तेजा के प्रत्यावर्तन के बारे में क्या विशेष कदम उठाये तथा किस समय से किस समय तक ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमने डा० धर्म तेजा के विरुद्ध दिल्ली की एक अदालत में मुकदमा चलवाया है तथा सारी गवाहियां रिकार्ड की जा चुकी हैं। इस मुकदमे का रिकार्ड, जिसे दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास से प्रमाणीकृत किया है, अमरीका भेज दिया गया है तथा हम न्यूयार्क में डा० धर्म तेजा के विरुद्ध प्रत्यावर्तन का मुकदमा चलवाने वाले हैं और हमें आशा है कि उसके फलस्वरूप हम उसे भारत में वापिस ले आयेंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या यह सच है कि डा० धर्म तेजा के पास बहुत से पार पत्र थे ? क्या सरकार को इसका पता है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मुझे ऐसी सूचना नहीं है। हमने ही उसे केवल एक पारपत्र जारी किया था और मेरे विचार में वह भी रद्द कर दिया गया है।

श्री नाथ पाई : डा० धर्म तेजा का मामला इस सदन के सामने तबसे आ रहा है जब आपने यह विभाग संभाला है तथा सदन को चौकस कर दिया कि डा० तेजा के इस देश से गायब हो जाने की संभावनायें हैं और बाद में हमें पता चला कि डा० तेजा तो विदेश में हैं। फिर प्रश्न पूछे गये कि वह विदेशों में क्या कर रहा है तथा उसका इस देश के प्रशासन में कुछ बड़े-बड़े व्यक्तियों से सम्बन्ध है। तो क्या यह काफी हद तक मानने योग्य नहीं है कि उसका भारत से बाहर जाने में जानबूझ कर साँठगांठ की गई तथा कुछ लोगों ने इसमें सहायता दी क्योंकि उन्हें डर था कि यदि उस पर मुकदमा चला तो वह कुछ ऐसे व्यक्तियों का नाम ले देगा तथा कुछ ऐसी बातें बतलायेगा जो चुनाव के वर्ष में प्रशासन के लिये बहुत हानिकारक होंगे ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस आरोप का पूरी तरह खंडन करता हूं। इसकी सिद्धि इस बात से होती है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय डा० तेजा को देश में लाने की प्रत्येक संभव कार्यवाही कर रहा है ताकि वह उन आरोपों का सामना कर सके जो उस पर लगाये गये हैं।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker I have a point of order. The hon. member asked about the going abroad of Dr. Teja. But the reply is quite different.

श्री मु० क० चागला : मेरा कहना यह है कि श्री नाथ पाई का आरोप गलत है और मुझे आश्चर्य है कि श्री नाथ पाई जैसा जिम्मेदार सदस्य इस प्रकार कह रहा है।

Shri Madhu Limaye : Then how he has run away.

श्री मु० क० चागला : इन्होंने कहा था कि सरकार के कुछ सदस्य इस बात के इच्छुक थे कि वह भारत से चला जाये क्योंकि यदि रहा तो वह सरकार के सदस्यों तथा सरकार के विरुद्ध कुछ ऐसे भेद खोल देगा जिससे इन्हें हानि होगी।

श्री नाथ पाई : क्या किसी का इसमें हाथ नहीं था, तो फिर वह चला कैसे गया ?

श्री मु० क० चागला : यह बिल्कुल गलत है। लोग इस देश से बाहर जाते ही हैं।

श्री उमानाथ : प्रत्यावर्तन कार्यवाही के मामले में स्थिति और भी खराब हो गई है। क्या सरकार को पता है कि इसी डा० धर्म तेजा ने अमरीका में एक नई शिपिंग कम्पनी चालू

की है जिसमें जयन्ती शिपिंग कम्पनी के जापान में जो पहले एजेंट थे वह सहयोगी हैं ? यदि हां तो क्या सरकार ने जांच की है कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी का जो धन गबन किया था वह धन तो कहीं इस नई कम्पनी के जारी करने में उपयोग नहीं हो रहा ? यदि हां तो सरकार ऐसा करने से रोकने तथा प्रत्यावर्तन कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न हो के बारे में क्या कर रही है ?

श्री मु० क० चागला : डा० तेजा के सारे मामलों की पड़ताल हो रही है। इस सारे वितरण का सम्बन्ध तो मेरे मित्र परिवहन मंत्री का है। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूँ कि डा० तेजा के सारे मामलों की पूरी जांच हो रही है तथा जब यह पता चल जायेगा कि उसने भारतीय कानून के अन्तर्गत कोई अपराध किया है तो उस पर मुकदमा चलाया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पिछले ही सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में वैदेशिक-कार्य मंत्री ने इस सदन को आश्वासन दिया था कि सरकार की इस बार तसल्ली हो गई है कि इस बार वह स्थिति नहीं है जैसी कि तब थी जब डा० तेज फ्रांस में थे। हमारा अमरीका के साथ जो प्रत्यावर्तन समझौता है उसके अनुसार उसे यहां वापिस लाने में देर नहीं होगी। अभी थोड़ी देर पहले उप मंत्री ने कहा कि "यदि हम प्रत्यावर्तन कार्यवाही में सफल हो गये" तो इससे सरकार के मन में कुछ संदेह प्रतीत होता है। सरकार को इन प्रत्यावर्तन कार्यवाही में क्या कठिनाइयां तथा रुकावटें हैं कि वह प्रत्यावर्तन कार्यवाही में सफल होने में बाधा डालें ?

श्री मु० क० चागला : मुझे कानून में देरी होने का पता है। परन्तु यदि आप रिकार्ड देखें तो पता चलेगा कि इसमें हमने काफी शीघ्रता की है। मुकदमा चलाया गया, गवाही ली गई तथा विदेशी दूतावासों से शपथ-पत्र प्राप्त किये। मजिस्ट्रेट ने कहा है कि पूर्व दृष्टि से मुकदमा बनता है। हमने उन कागजों को प्रमाणित करके अमरीका भेज दिया है। मेरे साथी ने कहा कि वहां हमें अमरीकी कानून के अन्तर्गत रहना है। अब हमें अमरीका की तसल्ली करनी है कि यह उनके कानून में भी अपराध है ताकि प्रत्यावर्तन की सिद्धि हो सके। मैं नहीं कह सकता कि अमरीका अदालत क्या करती है मैं आशा करता हूँ कि हमारी अदालत की भान्ति अमरीकी अदालत भी डा० तेजा के अपराध की गंभीरता को अनुभव करेगी।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने अमरीकी कानून के पीछे शरण ली है। क्या मैं जान सकता हूँ कि डा० तेजा के भारत से जाने में कुछ भारतीय अधिकारियों की सांठगांठ थी या नहीं ? श्री चागला ने कहा कि यह गलत है। क्या सरकार इस दिशा में एक जांच समिति नियुक्त करने को तैयार है ?

श्री मु० क० चागला : डा० तेजा के पास एक वैध भारतीय पारपत्र था तथा अन्य भारतियों की भांति उसे भी भारत से बाहर जाने तथा यहां आने का अधिकार है। जैसे ही हमें पता चला कि उसकी कार्यवाहियां अपराधपूर्ण हैं हमने उसका पारपत्र जब्त कर लिया परन्तु उससे पूर्व वह स्वतन्त्र नागरिक था। यदि हमें पता चला कि उसके देश छोड़ने में कुछ सन्देहजनक बात है तो हम अवश्य इसकी जांच करेंगे।

श्री नाथ पाई : मैं इसका विरोध करता हूँ। श्री चागला ने कहा कि वह भी अन्य भारतियों की भांति था। क्या अन्य भारतियों को भी 2 करोड़ रु० की पूंजी पर 20 करोड़

रु० का ऋण मिल जाता है ? ऐसा कहना संसद् का अपमान करना है आप इसकी क्यों अनुमति देते हैं ?

श्री बलराज मधोक : मैं अपने प्रश्न का सीधा उत्तर चाहता हूँ ।

श्री पीलु मोदी : वैदेशिक-कार्य मंत्री के उत्तर से, कि डा० तेजा के भारत से चले जाने में सरकार का कोई हाथ नहीं है, मेरी तसल्ली नहीं हुई । मैं तो कहता हूँ कि यह सरकार की सांठगांठ से हुआ है क्योंकि जब यह सारा भेद खुल गया तब भी उसे ऐसा करने से रोका नहीं गया । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है अथवा नहीं कि डा० तेजा सरकार के लिए सुरक्षा समस्या बन गया और यही ठीक समझा गया कि वह बच के निकल जाये ।

श्री मु० क० चागला : यह आरोप निराधार है । क्या इन आरोपों का कोई आधार भी है ?

श्री रंगा : मंत्री महोदय प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं दे रहे हैं । क्या वह इस मामले में एक स्वतन्त्र जांच कराने के हक में हैं ?

श्री मु० क० चागला : जब डा० तेजा यहां से भागे तो उनके विरुद्ध कोई आरोप निर्मित नहीं किये गये थे । जब उनके विरुद्ध मुकदमा तैयार हुआ तो वह भारत से बाहर जा चुके थे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या यह सच है कि जैसा श्री मधु लिमये ने कहा कि उनके लिए सरकार की ओर से किसी ने एक सेफ कन्डक्ट का इन्तजाम किया गया था ? डा० धर्म तेजा के विरुद्ध तो बहुत महिने पहले यह आरोप लग चुके थे । फिर इन आरोपों के होते हुए भी डा० धर्म तेजा को इस देश में आने तथा यहां से जाने पर कोई रोक नहीं थी । क्या सरकार इस बारे में एक जांच कराने का आश्वासन देने को तैयार नहीं है ?

श्री मु० क० चागला : मैंने इसका आश्वासन दिया है कि यदि यह पता चल गया कि डा० तेजा के बचने में किसी अधिकारी ने सांठगांठ की है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । यदि आवश्यक हुआ तो एक जांच भी की जायेगी ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. speaker, first of all the minister should apologize to the House for having stated the proceedings of a Delhi Court as the extradition proceedings. No action regarding extradition has so far been taken by the Government. It may have only an intention to do so. The proceedings of the Delhi court cannot be called the extradition proceedings. So for as USA is concerned, Dr. Teja was arrested there many months ago and under international law the extradition proceedings in those case do not take long if the offences are common in both the countries i. e. where he has been arrested and where he committed the offences and such offences are like forgery, dishonesty etc. Had Government taken, action the day when Dr. Teja was arrested in USA,the U.S.court would have extradicted him here. But the Government wilfully did not take any action. When they did not take any action then, how they claim to be taking action for extradition.

श्री मु० क० चागला : मैंने इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है ।

Dr. Ram Manoher Lohia : Mr. speaker when you were Transporti Mnister I explained the common offences like forged signatures etc. Now I want you to institute an inquiry of the House to know the facts about the mystery behind the minister's refused to reply to my question.

अध्यक्ष महोदय : इस पर फिर चर्चा हो सकती है । इसे अनुपूरक प्रश्नों से स्पष्ट नहीं किया जा सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप एक समिति नियुक्त कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मैं यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता । अब मैं एक मन्त्री नहीं अपितु अध्यक्ष हूं । मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता ।

Shri Madhu Limaye : There can be a probe by a committee of the Parliament.

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय किसी और अवसर पर इसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं । जब हम 4-30 बजे बैठेंगे तो देखेंगे कि क्या किया जा सकता है । अब प्रश्न संख्या 3 को लेते हैं ।

ब्रिटेन की सरकार द्वारा हिन्द महासागर में द्वीपों की खरीद

\+

*3. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**	**श्री यशपाल सिंह :**
श्री हेम बरुआ :	**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :	**श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :	**डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री वी० च० शर्मा :	**श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :	**श्री कंवरलाल गुप्त :**
श्री उमानाथ :	**श्री एन० एस० शर्मा :**
श्री बी० के० मोदक :	**श्री शारदा नन्द :**
श्री गणेश घोष :	**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री भगवान दास :	**श्री बृज भूषण लाल :**
श्री मोहन स्वरूप :	**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रामपुरे :	**श्री राम सिंह आयरवाल :**
श्री विभूति मिश्र :	**श्री वाई० ए० प्रसाद :**
श्री क० ना० तिवारी :	**श्री हेमराज :**
श्री एन० के० संघी :	**श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री जार्ज फरनेंडीज :	**श्री ही० का० मुकर्जी**
श्री जे० एच० पटेल :	**श्री सूपकर :**
श्री मधु लिमये :	**श्री मनीभाई जे० पटेल :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :	**श्री समर गुह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :	

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन हिन्द महासागर में कुछ द्वीप खरीदने के अपने

प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही कर रहा है और उसका विचार अमरीका के साथ मिल कर वहां पर कुछ पारगमन (ट्रांजिट) अड्डे स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को इस तथ्य की सूचना दे दी है; जैसा कि उन्होंने पिछले सत्र में आश्वासन दिया था ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) 24 देशों की संयुक्त राष्ट्र समिति की उपसमिति ने हाल में इस मामले पर विचार किया है निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं।

(1) प्रशासक देश से एक बार फिर कहा जाए कि वह मारशस और सिचेलीस की प्रादेशिक अखण्डता का आदर करे और इन प्रदेशों से अलग कर लिए गए द्वीप वापस दे दे।

(2) विशेष समिति प्रशासक देश से जोर देकर कहे कि वह इन प्रदेशों में कोई सैनिक कार्यवाही न करे, खास तौर से मारिशस और सिचेलीस (और ऐसा द्वीप में) से अलग कर लिए गए द्वीपों में। इस तरह की कार्यवाई अफ्रीका तथा एशिया के लोगों के प्रति और दरअसल संसार की शान्ति और सुरक्षा के लिए शत्रुतापूर्ण कार्यवाई मानी जायगी।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या ब्रिटिश सरकार ने इन द्वीपों की खरीद के सम्बन्ध में भारत सरकार से कभी परामर्श किया था और क्या उसने ऐसे द्वीपों के नाम भी बताये है ? क्या ब्रिटिश सरकार ने कोई ऐसा आश्वासन दिया है कि उनका सैनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या ब्रिटेन ने आरम्भ में ही भारत सरकार को इस सम्बन्ध में सूचित किया था। समाचार पत्रों में यह समाचार पढने के पश्चात् जब हमने ब्रिटेन की सरकार से इस बारे में सम्पर्क किया तो उसने बताया कि उसका उन द्वीपों को खरीदने का इरादा है। उसने साफ तौर पर यह भी बताया कि उसका या अमरीकी सरकार का उन द्वीपों पर सैनिक अड्डे स्थापित करने का कोई विचार नहीं है और वे उनका उपयोग अपने वायु-यानों को ठहराने, उनके लिये ईंधन लेने आदि के लिये करेंगे। ब्रिटेन की सरकार ने हमें ऐसा आश्वासन दिया है।

श्री हेम बरुआ : ब्रिटिश सरकार उन द्वीपों को खरीदना चाहती है और फिर वह इन्हें यातायात सम्बन्धी सुविधाओं के उद्देश्य से अमरीका को पट्टे पर देना चाहती है। इस प्रसंग में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पश्चिमी एशिया में विद्यमान युद्ध जैसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार से यह आश्वासन लिया है कि अमरीका इन शान्तिपूर्ण द्वीपों को युद्ध के अड्डों में नहीं बदलेगा ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमें यह नहीं बताया गया है कि इन द्वीपों को अन्ततः अमरीका को पट्टे पर दिया जायेगा। हमें केवल इतना पता है कि ब्रिटिश सरकार इन द्वीपों को खरीद कर उनका उपयोग वायुयानों के ठहरने और ईधन आदि की सुविधा के लिये लिया जायेगा। इसलिये हिन्द महासागर में शीत युद्ध भड़कने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri M. J. Patel : Mr. speaker, I would like to know whether the Govt. have contacted the UN in this respect; if so, what is the reaction of U. N. in respect thereto ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : प्रश्न के मूल उत्तर में यह बताया गया है कि 24 देशों की संयुक्त राष्ट्र समिति की उप समिति ने हाल में इस मामले पर विचार किया था। जैसे ही उपसमिति का प्रतिवेदन प्राप्त होगा वैसे ही २४ देशों की पूर्ण समिति उस पर विचार करेगी और इसके बाद यह निर्णय किया जायेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की जायेगी।

श्री गणेश घोष : क्या मन्त्री महोदय ने कुछ विदेशी सरकारों द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर ध्यान दिया है कि चीन को सीमित रखने की अपनी नीति के अनुसार ब्रिटेन और अमेरीका उनका उपयोग ऐसे अड्डों के रूप में करेगा जहाँ से परमाणु शस्त्रों के आक्रमण से रक्षा की जा सके ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस प्रकार के समाचार हमने भी देखे हैं, परन्तु ब्रिटेन की सरकार ने हमें एक आश्वासन दिया है तथा जब तक उसके विपरीत सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक हमें उनके आश्वासन पर ही विश्वास करना होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अमरीका के श्री रिचार्ड निक्सन के साथ वार्ता

*4. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :
श्री भगवान दास :
श्री वि० कु० मोदक :
श्री उमानाथ :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री नि० र० लास्कर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शारदा नन्द :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री पार्थसारथी :
श्री श्रीधरन :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री विश्वम्भरन् :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या अमरीकी रिपब्लिकन नेता श्री रिचार्ड निक्सन ने अपनी दक्षिण पूर्व

एशियाई यात्रा के दौरान 20 अप्रैल 1967 को भारत के उच्च नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने भारत तथा पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई के बारे में भी चर्चा की थी;

(ग) क्या श्री निक्सन की यह निजी यात्रा थी अथवा उन्होंने राष्ट्रपति जानसन के प्रतिनिधि के रूप में यह यात्रा की थी; और

(घ) उनके साथ हुई वार्ता का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां, 19 और 21 अप्रैल 1967 को।

(ख) से (घ) : श्री रिचार्ड एम० निक्सन ने निजी हैसियत से एशियाई देशों का दौरा किया जिससे कि वह इन देशों की वर्तमान समस्याओं और उनका दृष्टिकोण जान सकें। उन्होंने महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया जिनमें भारत और पाकिस्तान को अमरीका द्वारा शस्त्रों की सप्लाई का प्रश्न भी शामिल है जिस पर अमरीका की सरकार ने हाल में अपनी नीति की घोषणा की है। भारत में उन्होंने जो बातचीत की, वह सामान्य और सूचनात्मक थी और उनसे किसी खास तरह का परिणाम निकलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ विचार-विमर्श

*5. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री न० कु० सांघी :
श्री बलराज मधोक :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० के० देव :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री ओंकार सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री पी० एम० सईद :
श्री डी० एन० पटोदिया :
श्री रामपुरे :
श्री सूपकर :
श्री दि० रं० लास्कर :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० विभूति मिश्र :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० च० सामन्त :
श्री दी० च० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री भारत सिंह :
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री य० अ० प्रसाद :

श्री स्वैल :
श्री रा० बरुश्रा :
श्री ए० श्रीवरन :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री पी० विश्वम्भरन् :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री याज्ञिक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त **राष्ट्र महासचिव की अप्रैल,** 1967 में भारत यात्रा के दौरान उन्होंने उनके साथ प्रस्तावित परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने से सम्बन्धित सन्धि, वियतनाम, तिब्बत, काश्मीर, भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों तथा अन्य मामलों के बारे में विचार-विमर्श किया था; और :

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) वियतनाम और भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों पर सामान्य रूप से विचार-विनिमय हुआ था। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एटमी हथियारों का उत्पादन न करने की संधि पर और भारत-पाक संबंधों पर अपने विचारों से अवगत करा दिया था। तिब्बत पर विचार-विमर्श नहीं हुआ।

(ख) वह बातचीत गोपनीय विचार-विनिमय के ढंग की थी और उसका उद्देश्य कोई ठोस निर्णय करने या निष्कर्षों पर पहुंचने का नहीं था।

वियतनाम

*6. **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० कर्णी सिंह :
श्री स्वैल :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री किकर सिंह :
श्री कोलाई बरुश्रा :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री शि० चं० झा :
श्री बैरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में वियतनाम समस्या हल करने के बारे में अन्य देशों तथा/अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से कोई पत्रादि प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए पत्र में क्या लिखा है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में स्वयं अपना कोई नवीन प्रस्ताव अन्य देशों के सामने रखा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु०क० चागला) : (क), से (घ) : वियतनाम समस्या का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में सहायता देने के लिए भारत सरकार अन्य सरकारों से और संयुक्त राष्ट्र महासचिव से संपर्क बनाए हुए हैं । ऐसी स्थिति में इन संपर्कों के प्रकारादि के बारे में जानकारी देना उचित न होगा क्योंकि वे गोपनीय हैं ।

पाकिस्तान के लिए सैनिक सामान

***7. श्री जार्ज फरनेंडीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री एस० एम० जोशी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री स० मौ० बनर्जी :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान ने अमरीका के अतिरिक्त चीन, पश्चिम जर्मनी, कनाडा, ईरान और अन्य देशों से टैंक और विमान प्राप्त किये हैं; और

(ख) क्या सरकार ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता दिये जाने के विरुद्ध इन देशों को औपचारिक विरोध-पत्र भेजे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) चीन द्वारा पाकिस्तान को काफी तादाद में टैंक और हवाई जहाज देने के बारे में भारत सरकार के पास निश्चित सूचना है । पिछले साल ईरान सरकार ने 90 के आसपास एफ–86 सेवर जेट पाकिस्तान को भेजे थे और हमें आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान को दिए गए हवाई जहाज मरम्मत, सफाई और परिवर्तन करने के लिए भेजे गए थे और वे ईरान को लौट जाएंगे । हमारी सूचना के अनुसार, कनाडा और पश्चिम जर्मनी ने पाकिस्तान के हाथ सीधे ही कोई टैंक और हवाई जहाज नहीं बेचे हैं । उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि उनसे लिये जाने वाले टैंक और हवाई जहाज तीसरे देशों के ज़रिये पाकिस्तान को नहीं भेजे जाएंगे ।

(ख) जहां कहीं ठीक समझा गया, समुचित राजनयिक कार्यवाही की गई हैं । जहां तक चीन का संबंध है, भारत के प्रति उसकी सर्व विदित शत्रुता और पाकिस्तान के साथ उसकी सांठ-गांठ को देखते हुए, कोई भी राजनयिक कार्यवाई करना व्यर्थ है ।

पाकिस्तान तथा चीन द्वारा सीमा का उल्लंघन

*8. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री के० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में पाकिस्तान तथा चीन द्वारा कितनी बार भारतीय सीमा का उल्लंघन किया गया; और

(ख) इन उल्लंघनों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख): इस वर्ष के शुरू से हमारी स्थल सीमाओं के इस पार पाकिस्तानी सशस्त्र सेविवर्ग द्वारा अतिक्रमण की 3 घटनाएं हुईं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी सशस्त्र सेविवर्ग ने दो बार जम्मू काश्मीर में युद्धविराम रेखा के इस पार अतिक्रमण किया। पाकिस्तानी विमानों ने हमारी स्थल सीमावर्ती क्षेत्रों के इस पार भारतीय अन्तरिक्ष क्षेत्र का 11 बार अतिक्रमण किया और जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा के पार ७ बार। इस अवधि में हमारी सीमाओं के इस पार चीनियों द्वारा ताजा अतिक्रमणों की कोई रिपोर्ट नहीं है।

गश्त तेज करने के अतिरिक्त जहां आवश्यक समझा गया पाकिस्तान को विरोधपत्र भेजे गए हैं, और संयुक्त राष्ट्रों को युद्धविराम रेखा उल्लंघनों के विरुद्ध शिकायतें भेज दी गई हैं।

Dalai Lama

*9. **Shri Mohan Swarup :**
Shri Surendranath Dwivedy :
Shri Hem Barua :
Shri R. S. Vidyarthi :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Arjun Singh Bhadoia :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Dalai Lama is planning to go to New York this year with a view to place the issue of Tibet before the U. N. O.;

(b) if so, whether Government have made all arrangements for his visit; and

(c) Government's reaction in this regard?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का प्रश्न

*10. **श्री रामपुरे :**
श्री न० कु० सांघी :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री रामचन्द्र :
श्री हेम बरुआ :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री सुरेन्द्र द्विवेदी :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के नये राजदूत ने इस बात का संकेत किया है कि पाकिस्तान काश्मीर के प्रश्न को सुरक्षा परिषद् में उठायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देख ली है ।

(ख) कश्मीर प्रश्न के विषय में सरकार की स्थिति कई बार संसद और सुरक्षा परिषद् में स्पष्ट कर दी गई है । अगर यह प्रश्न सुरक्षा परिषद् में उठाया गया तो सरकार समुचित रूप से स्थिति पर कार्यवाई करेगी ।

अमरीका की सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेन्सी की गतिविधियां

*11. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री मधु लिमये :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री डी० एन० देव :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री काशी नाथ पांडे :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री के० रमणी :
श्री पी० पी० एसथोसे :
श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री एन० के० संघी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आरोप के बारे में कोई विस्तृत जांच की गई है कि भारत में कुछ व्यक्ति विशेष तथा संस्थाओं को अमरीका की सैन्ट्रल इन्टेलीजैन्स एजेंसी से धन मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच का परिणाम क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : जी हां । पूरी तरह पूछताछ की जा रही है । इसका परिणाम निकलने पर सरकार शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाई करेगी ।

पाकिस्तान को ग्रमरीकी हथियारों की सप्लाई

*12\. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री के० एम० मधुकर :
श्री देवन सेन :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री वी० कृष्णमूर्ति :
श्री दी० च० शर्मा :
श्री नि० र० लास्कर :
श्री सूपकर :
डा० कर्णीसिंह :
श्री सवैल :
श्री कीकर सिंह :
श्रीमती निरलेप कौर :
श्री बेरो :
श्री कौलाई बरुग्रा :
श्री ग्रार० के० बिड़ला :
श्री पी० एम० सईद :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री रा० बरुग्रा :
श्री ग्रटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बलराज मधोक :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्र० के० देव :
श्री नाथ पाई :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव :
श्री मोलूह प्रसाद :
श्री रविराय :
श्री ग्रोंकार सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री वी० एस० शर्मा :
श्री ग्रोंकार लाल बेरवा :
श्री रामपुरे :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री एन० के० संघी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मै० रं० कृष्ण :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री एन० एस० शर्मा : श्री शारदानन्द :
श्री राम सिंह ग्रयरवाल :
श्री भारत सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री प्र० क० घोष :
श्री स्वेल :
श्री स० च० सामन्त :
श्री ए० के० किसकू :
श्री एस० एन० मैती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री हेमराज :
श्री ग्रर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री के० लवकप्पा :
श्री ग्रातम दास :
श्री एम० एस० मूर्ति :
श्री पार्थसारथी :
श्री के० हलदर :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री रामेश्वर राव :
श्री काशी नाथ पांडे :

श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री डी० एन० पटोदिया :
श्री एस० के० तपुरिया :
श्री गार्डिलिगाना गौड़ :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री मोहसिन :
श्री श्रीधरन :
श्री पी० विश्वंभरभ् :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री वाई० ए० प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने पाकिस्तान को घातक हथियारों का उनके फालतू पूर्जों सहित सप्लाई करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या भारत ने इस निर्णय के विरुद्ध अमरीका को विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) यदि हां, तो अमरीका सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : जैसा कि सदन को मालूम है, अमरीका की सरकार कई वर्षों से पाकिस्तान को सारा सैनिक उपकरण देती रही है और उसने 1963 में भारत को भी कुछ सैनिक सहायता देनी शुरू की थी। अगस्त-सितम्बर 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय, उन्होंने दोनों देशों को सभी तरह का सैनिक सामान देना बंद करने का निर्णय किया। इस फैसले में घातक और गैर-घातक उपकरण, दोनों तथा अनुदान और बिक्री दोनों ही आते थे। उन्होंने अब घोषणा की है कि अन्य प्रकार की सैनिक सहायता के बारे में, जो वे 1965 में सप्लाई बंद करने से पहले दिया करते थे, घातक अथवा गैर-घातक, किसी भी उपकरण की सप्लाई अनुदानों के आधार पर फिर शुरू नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने दोनों देशों को अब तक दिए जानेवाले उपकरणों के फालतू पुर्जों की बिक्री पर पाबंदी हटा दी है।

दुर्भाग्य से पाकिस्तान के सैनिक आक्रमण का शिकार होने के कारण, हम निरंतर अमरीका की सरकार को यह बताते रहे हैं कि पाकिस्तान की सैन्य शक्ति बढ़ जाने से हमारी सुरक्षा को खतरा होता है। अमरीका से सहायता के रूप में प्राप्त हथियारों और गोलाबारूद से पाकिस्तान के सैन्य तंत्र के पुन: सक्रिय हो जाने से ऐसा होता है। हमने उन्हें बताया कि अमरीका के ताजे फैसले से पाकिस्तान ही लाभ उठाएगा क्योंकि हमने तो अमरीका से काफी मात्रा में हथियार नहीं लिए हैं और पाकिस्तान अपनी कमी पूरी करेगा और हमारे खिलाफ़ आक्रामक शक्ति को बढ़ाएगा। अमरीकी अधिकारियों ने हमें बताया है कि तमाम प्रार्थनाओं पर एक-एक मामले की जाँच करके फालतू पुर्जे दिए जायेंगे और हरेक मामले पर बहुत-सी बातों को ध्यान में रखकर निर्णय किया जायगा। उन्होंने हमें यह आश्वासन भी दिया है कि यह नीति शांति के हित में और तनाव कम करने के लिए अपनाई गई है और वे हमारे सुरक्षा हितों के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहते।

भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हथियारों का उपयोग करने की बात का स्मरण करते हुए हमें इस बात की अत्यन्त गम्भीर आशंकाएं हैं कि अमरीका की नई नीति का प्रभाव उनके घोषित उद्देश्यों के अनुरूप भी होगा या नहीं।

Indians in East Africa

*13. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that most of the Indians in East Africa have accepted British citizenship either at the instance of the Indian Government or the Indian Ambassador there and after the attainment of Independence by the East African countries, neither of the two Governments, British as well as Indian are prepared to shoulder the responsibility of safeguarding their rights and interests there ;

(b) whether Government propose to give them an opportunity, while residing there, to re-obtain Indian citizenship ;

(c) whether Government have started negotiations with the British Government n this direction ; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Policy of the Government of India has always been to urge Indians settled in foreign countries to identify themselves with the aspirations of the indigenous populations in the countries of their domicile and to take up the citizenship of these countries. Prior to the independence of the former British colonies in East Africa, the vast majority of these persons (in common with the indigenous population) possessed British nationality. When these countries achieved independence, persons of Indian origin were given an opportunity to acquire the new citizenship of the countries concerned and the Government of India and its representatives in East Africa urged persons of Indian origin to take up local citizenship. A number became citizens but the majority did not acquire local citizenship.

(b) The granting of Indian citizenship is regulated under the Indian Citizenship Act of 1955. Those who qualify under our laws to register as citizens of India whilst they are still abroad, are free to do so. Those who are not so eligible may, on return to India, apply for citizenship after the prescribed period of residence in this country.

It may be added that mere possession of Indian citizenship will in no way improve the condition of persons living and working in these countries. Indian citizens would be foreigners in these countries and would have to accept the same disabilities with regard to work and residence as apply to all other non-citizens.

(c) & (d) : The Government of India have endeavoured to safeguard the interests of persons of Indian origin generally, in these territories, to the extent possible. Whenever necessary and possible, we have interceded on their behalf with the Governments of the countries concerned and appropriate cases have also been taken up with the U. K. authorities.

*14. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री जार्ज फरेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सा० मे० बनर्जी :
श्री प्र० के० देव :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री वी० एन० देव :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री स्वैल :
श्री मोहसिन :
श्री डी० एन० पटौदिया :
श्री रा० वरुआ :
श्री सी० सी० देसाई :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टालिन की पुत्री श्रीमती स्वेतलाना ने न्यूयार्क पहुंचने के बाद भी भारत में बसने की इच्छा पुन:व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) : भारत सरकार को उन अखबारी रिपोर्टों की जानकारी है जिनमें कहा गया है कि श्रीमती स्वेतलाना ने भारत आने की इच्छा व्यक्त की है ।

(ख) भारत सरकार के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी प्रेस कान्फ्रेंस में दिए गए इस प्रकार के वक्तव्यों पर प्रतिक्रिया बताये ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का प्रतिसंहरण पर दक्षिण अफ्रीका के आदेश

*15 **डा० रानेन सेन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर दक्षिण अफ्रीका के प्रादेश के प्रतिसंहरण के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है; और

(ख) इस प्रश्न पर विश्व की अन्य शक्तियों ने क्या दृष्टिकोण अपनाया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने महासभा के प्रस्ताव नं० 2145 के पक्ष में वोट दिया जो 27 अक्तूबर 1966 को इसके 21वें सत्र में स्वीकार किया गया था । इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि दक्षिण अफ्रीका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के प्रशासन के सम्बन्ध अपना दायित्व नहीं निभा सका है और दरअसल उसने प्रादेश कर अवहेलना की है और इसलिए महासभा ने फैसला किया कि प्रादेश समाप्त हो गया और आगे से दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर सीधी संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी रहेगी । महासभा ने 14 सदस्य राज्यों की एक तदर्थ समिति बनाई कि वह ऐसे व्यावहारिक साधन बताये जिनसे संयुक्त राष्ट्र दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर प्रशासन कर सके । प्रस्ताव के पक्ष में 114 वोट आए और 2 वोट विरोध में, अर्थात दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल का । बड़ी संख्या में सदस्य राज्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया । महासभा का

जो पांचवां विशेष अधिवेशन आजकल न्यूयार्क में हो रहा है, उसमें तदर्थ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है जिसमें महासभा द्वारा कार्यवाही के लिए कोई विशेष सिफारिश नहीं की गई है। 57 देशों के साथ मिल कर भारत ने एक प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत किया है जिसमें और बातों के साथ-साथ एक संयुक्त राष्ट्र परिषद् की स्थापना करने और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के स्वाधीन हो जाने तक उसका प्रशासन करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र कमिश्नर नियुक्त करने की बात कही गई है। प्रस्ताव के मसौदे में उन उपायों का भी वर्णन है जो सुरक्षा परिषद् उस पर अमल करने में काम में लाएगी। प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत करने वाले देश आजकल अन्य देशों के साथ अनौपचारिक रूप से सलाह-मशविरा कर रहे हैं, जिससे कि प्रस्ताव का अधिकतम अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

सेवानिवृत्त राजदूतों का विदेशों में बस जाना

*16 **श्री सी० सी० देसाई :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उन राजदूतों के नाम क्या २ हैं जो सेवानिवृत्त होकर भारत लौटने के स्थान पर विदेशों में ही बस गये हैं;

(ख) इन राजदूतों की राष्ट्रीयता क्या है तथा सरकार ने इस बात के लिये क्या सावधानी बरती है अथवा क्या पूर्वोपाय किये हैं कि केवल भारत के प्रति सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों को ही विदेशों में भारत का राजदूत बना कर भेजा जाये; और

(ग) क्या सरकार भविष्य में राजदूतों से यह वचन लेने का विचार कर रही है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् वे विदेशों में नहीं बसेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) : जहां तक हमें मालूम है, जर्मनी संघ गणराज्य में भारत के पूर्व राजदूत, श्री ए० सी० नम्बियार और बेल्जियम और बाद में स्विटज़रलैंड में भारत के पूर्व राजदूत, स्वर्गीय डाक्टर एम० ए० रऊफ़। श्री ए० एस० लाल भी संयुक्त राज्य अमरीका में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं; इन्होंने १९६३ में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था।

(ख) उनकी भारतीय राष्ट्रियता थी, भारत के प्रति उनकी वफादारी के बारे में भारत सरकार को संदेह का कोई कारण नहीं है।

(ग) किसी भी व्यक्ति को इच्छानुसार संसार में कहीं पर बस जाने की जो स्वतंत्रता है उसे सरकार नहीं छीन सकती बशर्ते कि राज्य को स्पष्ट खतरा न हो। इस तरह के आश्वासन की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के बारे में संधि

*17. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री वी० कृष्णमूर्ति :
श्री पी० एम० सईद :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ओंकार सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सैझियान :
श्री डी० एन० पटौदिया :
श्री रा० बरुआ :
श्री मनीभाई जे० पटेल :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री रामपुरे :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री आर० के० सिन्हा :
श्री मोहसिन :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीकान्तन नायर :
श्री एन० के० संघी :
श्री प्र० के० देव :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री डी० एन० देब :
श्री एन० एम० शर्मा :
श्री शारदानन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री एस० एस० कोठारी :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री स्वैल :
श्री हेमराज :
श्री बलराज मधोक :
श्री काशीनाथ पांडे :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री नम्बियार :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री नंगलथमडम :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब तक अमरीका और सोवियत संघ परमाणु खतरे से भारत की रक्षा का आश्वासन नहीं देते । भारत ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के बारे में संधि पर हस्ताक्षर न करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अमरीका और सोवियत संघ की सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हमारे प्रतिनिधियों ने इस बारे में अन्य सरकारों से बातचीत की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : एटमी हमले के खिलाफ़ भारत की और अन्य गैर-एटमी हथियार वाले देशों की सुरक्षा के आश्वासन का ऐसा मसला है जो कि अनुत्पादन संधि से पृथक् है और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के किन्हीं तथ्यों और वास्तविकताओं से उद्भूत है। ई० एन० डी० सी० में विचार-विमर्श के बाद अनुत्पादन संधि का जो भी स्वरूप उभर कर सामने आयेगा, उसका निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर करना होगा और अपने राष्ट्रीय हितों तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव २०२८ (*XX*) में स्थिर किये गये सिद्धान्तों की रोशनी में किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अनुत्पादन संधि पर हस्ताक्षर करना या न करना इस पर निर्भर करता है कि ई० एन० डी० सी० में विचार-विमर्श के बाद संधि का जो अन्तिम स्वरूप सामने आयेगा, वह इन आवश्यकताओं को पूरा भी करता है या नहीं।

(ग) और (घ) : हमारे प्रतिनिधियों ने अनुत्पादन संधि के प्रश्न पर और एटमी हमले के विरुद्ध भारत की और अन्य गैर-एटमी हथियार वाले देशों की सुरक्षा की समस्याओं पर कई सरकारों के साथ विचार-विनिमय किया है। यह विचार-विनिमय गोपनीय है और अन्य सरकारों का कहना है कि उनके विचार फिलहाल न बताये जायें।

चीन से नागाओं की वापसी

*18 **श्री पी० एम० सईद :**
श्री अब्दुल गनी दार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री नाथ पाई :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० के० देव :
श्री जी० सी० नायक :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री ए० दीपा :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री सुपाकर :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स्वैल :
श्री कीकर सिंह :
श्री कोलाई बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री यशपाल सिंह :
श्री डी० एन० देव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री ए० के० किसकु :
श्री एस० एन० मैती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री हेमराज :
श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री मनीभाई जे० पटेल :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री एन० के० संघी :
श्री जे० एच० पटेल:
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री एन० एस० शर्मा :

श्री शारदानन्द :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री बलराज मधोक :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री म० रं० कृष्ण :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वी० कृष्णमूर्ति :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री रवि राय :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री पी पार्थसारथी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री डी० एन० पटौदिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं के दो जत्थे जो चीन को भाग निकले थे हथियार लेकर नागालैण्ड में लौट आये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है; और

(ग) इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत सरकार के पास जो सूचना सुलभ है; उसके अनुसार छिपे नागाओं के दो दल अभी नागालैंड वापस नहीं आये हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Implementation Of Tashkent Agreement

***19 Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri K. Lakkappa :
Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Hem Barua :
Shri Surendranath Dwivedi :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri D. N. Patodia :
Shri Balraj Madhok :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Ram Avtar Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shaewale :
Shri C. C. Desai :
Shri R. Barua :
Shri K. N. Pandey :
Shri Y. A. Prasad :
Shri N. K. Sanghi :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 10 on the 20th March, 1967 and state :

(a) whether any special efforts have since been made by Pakisthan to implement the Tashkent Agreement ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) if not, the efforts made by Government to bring about talks between the two Governments on the various matters as envisaged in the Tashkent Agreement ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) to (c) : The House is aware that we have continued our efforts to bring about a resumption of the dialogue between the two Governments on various matters, as envisaged in the Tashkent Declaration. Our earlier proposal for discussions on various subjects to normalise relations between India and Pakistan has evoked a limited response from the Government of Pakisthan, who have expressed the desire to have talks for normalisation of telecommunication facilities between the two countries. They have also proposed discussions for restoration of civil air flights. We have welcomed this trend and are pursuing through diplomatic channels the possibility of having the scope of the talks widened, so as to include other closely related matters. We have also offered to receive in Delhi a team of Pakisthan officials for talks on questions that either side may bring up. The final reply of the Government of Pakistan is still awaited, but the response so far has not been very encouraging.

भारत को चावल देने की चीन की पेशकश

*20. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री एन० के० संघी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री स्वेल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मीठा लाल :
श्री जार्ज फरनेंन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री बी० एस० शर्मा :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री पी० एम० सईद :
डा० कर्णी सिंह :
श्री कीकर सिंह :
श्री आर० के० बिड़ला :
श्री कोलाई बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री वाई० ए० प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने भारत को चावल देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर यह पेशकश की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) जी नहीं

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

सैनिक अधिकारियों की संख्या

*21. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रणजीत सिंह :
श्री बी० एस० शर्मा :
श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में अधिकारियों की वर्तमान संख्या प्राधिकृत संख्या से कम है ।

(ख) क्या आपातकालीन कमीशन के अधिकारियों को हटा दिये जाने से यह संख्या और भी कम हो जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : खेद है कि सेना में अफसरों की संख्या के संबंध में कोई संकेत देना संभव नहीं है, क्योंकि यह लोकहित में न होगा। मैं सदस्य महोदय को विश्वास दिलाता हूं कि आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों की विमुक्ति और अल्प-कालीन नियमित कमीशन प्राप्त अफसरों की भर्ती इस प्रकार प्रावस्थित की जा रही है कि सेना में अफसरों की जनशक्ति पर उसका प्रभाव न पड़े।

हिन्द महासागर के द्वीप

*22. **श्री मधु लिमये** :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द महासागर में ऐसे कितने छोटे द्वीप हैं, जिनकी प्रभुसत्ता के बारे में कोई सन्देह नहीं है ;

(ख) ऐसे कितने द्वीप हैं जिनकी प्रभुसत्ता संदिग्ध मानी जाती है; और

(ग) सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है कि विदेशी शक्तियाँ इन द्वीपों का सैनिक अड्डों, भारत पर आक्रमण करने के साधनों अथवा आणविक विस्फोटों के प्रयोग के लिए उपयोग न करें ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : इस संबंध में सरकार के पास फिलहाल पूरी सूचना नहीं है। आवश्यक पूछताछ की जा रही है।

(ग) हिन्द महासागर क्षेत्र में अड्डे स्थापित करने के लिए विदेशी सरकारों के किसी भी प्रस्ताव के बारे में भारत सरकार सचेत है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संबंध सरकारों से सलाह-मशविरा करके आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।

मुख्य मंत्री सम्मेलन

*24. **श्री सूपकर** :
श्री मधु लिमये :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रवि राय :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

श्री डी० एल० पटौदिया :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री रामपुरे :
श्री एन० के० संघी :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री हेम राज :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामचंद्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री के० प्रधानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1967 में हुए मुख्य मंत्री सम्मेलन में भविष्य में केन्द्र और राज्यों के आपसी संबंधों के बारे में क्या मुख्य निर्णय किये गये; और

(ख) सम्मेलन में किन अन्य विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किये गये ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : एक ऐसा विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया—देखिये संख्या एल० टी० 332/67**]

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों पर खर्च

*25. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री पी० राममूर्ति :
श्री एस० एस० कोठारी :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री शारदानंद :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री पार्थसारथी :
श्री आर० डी० रेड्डी :
श्री हलदर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और उच्च आयोगों का व्यय हाल ही से अत्यधिक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यय में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) देश में आर्थिक कठिनाइयों तथा विदेशी मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस व्यय में कमी करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) पिछले साल से 2.72 करोड़ रुपए अधिक। इसका कारण अवमूल्यन और विदेशों में बढ़ी हुई कीमत है।

(ग) जी हां।

(घ) विदेश मंत्रालय के बजट अनुदान का बहुत किफायत से इस्तेमाल करने के लिए जो उपाय बरते गए हैं, उनकी मोटी रूपरेखा इस प्रकार है।

(i) विदेश-स्थित मिशनों में अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की मंजूरी कार्य अध्ययन के आधार पर प्रस्तावों की पूरी जांच कर लेने तथा विदेश मंत्रालय के किफायती बोर्ड की स्वीकृति के बाद दी जाती है।

(ii) विदेश मुद्रा की विकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तावों की जांच करते समय किफायत पर बहुत जोर दिया जाता है लेकिन, साथ ही इस पर भी ध्यान रहता है कि कार्य की प्रभावकारिता पर आंच न आने पाये।

(iii) दूसरे देशों में साथ ही प्रत्यायित करने का ढंग इसलिए स्वीकार किया गया है जिससे कि वैदेशिक कार्यों के बढ़ते खर्च में कमी आए जोकि अन्यथा ज्यादा बड़ा होता।

(iv) नए मिशन खोलने के प्रस्तावों पर प्राथमिकता के क्रम में एक-के-बाद-एक के हिसाब से अमल किया जाता है।

(v) मिशन प्रमुखों को खर्च करने के जो अधिकार दिये गए हैं, उन्हें ठीक-ठीक बता दिया गया है।

(vi) जिन कुछ पदों पर नियुक्ति नहीं की गई हो, उन्हें समाप्त कर दिया जाता है।

कुवैत सरकार के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण की सुविधाएं

*26. **श्री एम० के० संघी :**

श्री वाई० ए० प्रसाद : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अपनी हाल की कुवैत की यात्रा के दौरान कुवैत सरकार के कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षण की सुविधाएं देने तथा भारतीय तकनीशनों और विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करने की पेशकश की थी; और

(ख) यदि हां, तो किस क्षेत्र में तकनीशनों की सेवायें उपलब्ध की जायेंगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) किन्हीं विशेष क्षेत्रों का उल्लेख नहीं किया गया है। तकनीकी लोग कुवाइत की आवश्यकता के अनुसार भेजे जायेंगे बशर्ते कि वे भारत में सुलभ हों।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, जयपुर

*27. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**
श्री शारदानंद :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री जे० बी० सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री हुकम चंद कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर के कर्मचारी संघ के सचिव ने संघ की मांगों को मनवाने के लिए कुछ समय पूर्व उनके दिल्ली स्थित निवास स्थान पर भूख हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं; और

(ग) सरकार ने उनकी मांग पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) : रिपोर्ट है कि जो व्यक्ति भूख हड़ताल पर थे, वे एच० ए० एल० (कानपुर डिवीजन) के भूतपूर्व कर्मचारी थे।

(ख) कि डिसमिस किए गए एच० ए० एल० (कानपुर डिवीजन) के कर्मचारियों के मामले पर फिर से विचार किया जायेगा।

(ग) सरकार दखल देना कठिन समझती है, क्योंकि:—

(1) प्रबंध द्वारा की गई कार्यवाही उचित जांच के फलस्वरूप थी।

(2) मामले के तथ्यों को देखते हुए दण्ड न तो सख्त है न अन्यायपूर्ण।

(3) अभ्यावेदन एच० ए० एल० द्वारा की गई कार्यवाही के विरुद्ध है; जो कम्पनी कानून के अन्तर्गत एक राजकीय क्षेत्र का उपक्रम है।

पड़ौसी देशों की सहायता

*28. **श्री एस० आर० दमानी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गत तीन वर्षों में पड़ौसी देशों को निम्न रूपों में विदेशी सहायता देने के बारे में क्या वायदे किये हैं :

(1) तकनीकी जानकारी

(2) वित्तीय सहायता

(3) पूंजीगत वस्तुओं की सप्लाई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

गोआ के स्वतंत्रता सेनानियों की रिहाई

*29. श्री सीक्यीरा :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री ओंकार सिंह :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री आतम दास :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चंद कछवाय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ के स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी श्री मोहन रानाडे और डा० टेलो मैस्करीनहेस जो अब तक पुर्तगाल में बंदी हैं, उनकी रिहाई के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का ध्यान इस ओर दिलाया गया है और उनकी सहायता मांगी गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) मित्र देशों की सहभावना के जरिये श्री मोहन लक्ष्मण रानाडे और डाक्टर मैस्करीनहेस की रिहाई के लिए सभी संभव कोशिशें की गई हैं और की जा रही हैं। यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति और एमनेस्टी इन्टरनेशनल के जरिये भी उठाया गया था। पुर्तगाली अधिकारियों के साथ इस मामले की पैरवी कराने के लिए एक पुर्तगाली वकील भी रखा गया था। भारत सरकार ने इस मामले में थोड़ी सी की सदभावना पाने का भी प्रयास किया है।

(ख) यह मामला संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन अनौपचारिक रूप से उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है।

Pilgrims to Panja Sahib (Pakistan)

***30. Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Atam Das :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that pilgrims to Panja Sahib (Pakistan) on the occasion Vaisakhi were maltreated by the Government of Pakistan ; and

(b) If so, the action taken by Government in that regard ?

The Minister of External Affairs Shri M. C. Chagla: (a) and (b) : The pilgrims who visited Panja Sahib in West Pakistan on the occasion of Vaisakhi in April this year, faced some difficulties which were primarily a result of lack of unified leadership among various pilgrim parties and some last minute changes in the itinerary fixed for them.

According to the leaders of some religious organisations who took part in the Vaisakhi pilgrimage, the attitude of some of the officials in Pakistan was not helpful. The Government are examining the difficulties faced by the pilgrims with the object of streamlining the procedures involved.

विदेशी चल चित्र समारोह

1. **श्री बाबूराव पटेल : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में भारत ने किन-किन विदेशी चलचित्र समारोहों में भाग लिया ;

(ख) किन-किन भारतीय चलचित्रों को पुरस्कार मिले;

(ग) इन चलचित्र समारोहों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(घ) कितने तथा कौन-कौन से फिल्म निर्माता तथा फिल्मों से सम्बन्धित अन्य लोग इन समारोहों में भाग लेने के लिये विदेश गये और वे किन-किन देशों में गये;

(च) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी; और

(छ) इन चलचित्र समारोहों में भाग लेने के फलस्वरूप भारतीय चलचित्र उद्योग को किस प्रकार का और कितना लाभ पहुँचा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के. के. शाह) : (क) से (च) : सूचना एकत्रित की जा रही है और जल्दी ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिए खरीदे गये भवन

2. **श्री बाबूराव पटेल : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिये विभिन्न देशों में कितने भवन खरीदे गये हैं तथा उनमें से प्रत्येक का पृथक्-पृथक् मूल्य क्या है;

(ख) उनकी देखभाल इत्यादि पर प्रति वर्ष देशवार कितनी लागत आती है;

(ग) राजदूतों के निवास स्थानों के नवीनकरण तथा सजाने इत्यादि पर, दूतावास के भवनों की देखभाल के मुकाबले कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या यह सच है कि दूतावासों के निवास स्थान तो बिल्कुल नवीनतम हैं जब कि दूतावासों के भवन उपेक्षित हैं;

(ङ) यदि हां, तो दूतावासों के भवनों की दशा को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु. क. चागला) (क) आवश्यक सूचना संलग्न ब्यौरे में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या** एल० टी० 333/67]

(ख) कोई भी मिशन प्रमुख अपने प्रदत अधिकारों के अन्तर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में इमारत के लिखित मूल्य का 2–15 प्रतिशत तक मरम्मत पर खर्च करने का अधिकार दे सकता है । लेकिन अगर मरम्मत का खर्च संपति के लिखित मूल्य के 2–15 प्रतिशत से बढ़ जाता है तो सरकारी स्वीकृति लेना जरूरी है ।

(ग) राजदूतावास की रिहायशी इमारतों और चांसरी की बिल्डिगों को फिर से नया बनाने या उन्हें सज्जित करने पर खर्च की गई ठीक राशि की सूचना अभी सुलभ नहीं है । खरीद की तारीख से लेकर आंकड़े इकट्ठा करने में इतना समय और श्रम लगेगा कि उससे कोई जनहित न होगा ।

जहांतक फर्नीचर और सज्जा का सम्बन्ध है, कोई भी मिशन प्रमुख प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत अपनी रिहायश के लिए प्रतिवर्ष 1600 रुपये तक (अवमूल्यन से पहले 1000) खर्च कर सकता है बशर्ते कि खरीदी हुई चीजें ऐसी न हों जिनकी अनुमति दी गई हो । इस शीर्षक के अन्तर्गत मिशन प्रमुखों की रिहायश के सम्बन्ध में खरीदी गई तमाम चीजों की कीमत अगर प्रति वर्ष 1,600 रुपये की सीमा से बढ़ जाती है तो भारत सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक है । इसके मुकाबले में किसी भी मिशन प्रमुख को यह अधिकार है कि वह चांसरी के लिए फर्नीचर सज्जा की वस्तुएँ खरीदने पर प्रति वर्ष 8,000 रुपये (अवमूल्यन से पूर्व 5,000 रुपए) खर्च कर सकता है ।

इसके अलावा मिशन प्रमुख को यह भी अधिकार है कि वह देर तक रहने वाली वस्तुओं के रख रखाव और सज्जा पर उनकी कुल लिखित लागत का 4 प्रतिशत तक खर्च कर सकता है और देर तक न रहने वाली वस्तुओं की कुल लिखित लागत का 7–5 प्रतिशत तक और अपनी रिहायश की वस्तुओं के पुनर्नवीकरण और उनकी जगह और वस्तुओं लेने पर वह इसी सीमा तक खर्च कर सकता है । चांसरी के लिए यह सीमा फर्नीचर आदि की पूंजीगत लागत का 8 प्रतिशत है और शीशे और बर्तन आदि की पूंजीगत लागत का 51 प्रतिशत । लेकिन सरकार ने हाल ही में विदेश स्थित कार्यालयों तथा रिहायशों के लिए सभी प्रकार की खरीद पर 81 महीने के लिए रोक लगा दी है जो अक्तूबर 1966 से प्रभावकारी होंगी ।

(घ) यह कहना ठीक नहीं है कि चांसरी बिल्डिगों की देखभाल नहीं की जाती और राजदूतों के रिहायशी मकान अत्यन्त आधुनिक हैं । बिल्डिगों की मरम्मत और रख-रखाव के नियम-अर्थात् संपत्ति की लिखित कीमत का 2-15 प्रतिशत प्रतिवर्ष मरम्मत पर खर्च-राजदूतावास के रिहायशी मकान और चांसरी की बिल्डिग, दोनों पर एक-सा लागू होते हैं । जहां तक पट्टे पर ली गई बिल्डिगों का प्रश्न है, जहां मकान मालिक मरम्मत करने की जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई भी मिशन प्रमुख वार्षिक किराए की 25 प्रतिशत राशि तक

मरम्मत पर खर्च कर सकता है, इससे अधिक नहीं। तमाम बिल्डिंगों की मरम्मत, चाहे वे सरकारी हों अथवा पट्टे पर ली गई हों, उन्हें ठीक हालत में रखने के लिए कराई जाती हैं बशर्ते कि धनराशि सुलभ हो। राजदूतावास की रिहायशों और चांसरी बिल्डिगों की इस तरह तुलना नहीं की जाती कि वे अलग-अलग उद्देश्यों के लिए होती हैं। राजदूतावास की रिहायश का उद्देश्य प्रतिनिधित्व सम्बन्धी होता है और चांसरी बिल्डिंग का कार्यालय और कार्य सम्बन्धी।

(ङ) उपर्युक्त (ग) को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

तिब्बती शरणार्थी

3. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री के० प्रधानी :
श्री जार्ज फरनेण्डीज :
श्री मधु लिमये :
डा० राममनोहर लोहिया :
जे० एच० पटेल :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 50,000 तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई है;

(ख) अभी तक कितने तिब्बती शरणार्थी बसाये नहीं जा सके :

(ग) अभी तक न बसाये गये व्यक्तियों को सहायता के रूप में प्रति मास कितनी राशि दी जाती है :

(घ) क्या तिब्बती शरणार्थियों को रोजगार देने के लिये स्थापित किये गये उद्योग, जैसे ऊनी कपड़ा मिल, चाय बागान आदि लाभदायक उद्योग हैं :

(ङ) यदि हां, तो ऐसे उद्योग कितने हैं और उनमें कितनी पूंजी लगी हुई है :

(च) क्या यह सच है कि इन तिब्बती शरणार्थियों में से बहुत से लोग चीन के एजेंट या जासूस पाये गये हैं :

(छ) यदि हां, तो कितने और देश के किन-किन भागों में: और

(ज) इन जासूसों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) लगभग 33,000 तिब्बती शरणार्थियों को बसाने पर 31 मार्च 1966 तक कुल 3,52,22,717.09 रुपये खर्च किए गए। 1 अप्रेल 1966 से 31 मार्च 1967 तक के आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और सदन की मेज पर रख दिए जाएंगे।

(ख) लगभग 16,500।

(ग) भारत सरकार उन तिब्बती शरणार्थियों के खाने पर 2.7 लाख रुपये प्रति-मास के हिसाब से दे रही है जो या तो अभी तक नहीं बस पाए हैं अथवा जिनके पुनर्वास का कार्य अन्तिम स्थिति तक नहीं पहुंचा है।

(घ) उद्योगों ने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है। आशा है कि वे लाभकारी सिद्ध होंगे और उनमें काम करने वाले तिब्बती शरणार्थी आत्म-निर्भर हो सकेंगे।

(ड.) स्वेच्छिक सहायता से स्थापित किए जाने वाले निम्नलिखित उद्योगों में काम हो रहा है :

(1) 10,00,000 रुपये की अनुमानित लागत से कांगड़ा जिले में वीर नामक स्थान पर एक चाय का बाग।

(2) 15,00,000 रुपये, की अनुमानित लागत से कांगड़ा जिले में वीर नामक स्थान पर एक ऊनी मिल।

(3) 110,00,000 रुपये की लागत से नाइन जिले में सफेदी की खान।

(च) तिब्बत से आनेवाले कुछ ही शरणार्थियों पर चीनी एजेंट होने का शक था।

(छ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ज) संदिग्ध व्यक्तियों को जेल में बन्द कर दिया गया है। जो लोग निर्दोष पाए जाते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है और पुनर्वास केन्द्रों पर भेज दिया जाता है।

अहमदनगर में 'लावारिस भूमि'

5. **श्री अनन्तराव पाटिल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि अहमदनगर नगरपालिका के बीच की बहुत सी भूमि 'लावारिस भूमि' के रूप में पड़ी है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को भूमि बेचने के बारे में छावनी अधिकारियों के पास अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्रों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। 1958 में अहमदनगर की छावनी सीमाओं से 239.52 एकड़ भूमि अलग कर दी गई थी और अहमदनगर नगरपालिका सीमाओं में शामिल करदी गई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उल्लिखित क्षेत्र में से 13.44 एकड़ भूमि अहमदनगर कालिज को बेचदी गई है जबकि तीन सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा संस्थाओं अर्थात् हिन्द सेवा मंडल,

श्री भजन शिक्षण संघ और प्रेजिडेण्ट अहमदनगर शिक्षा समिति से भूमि के पट्टे के लिए मांगे विचाराधीन हैं।

भारत में प्रेस

6. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्र-पत्रिकाओं की सबसे अधिक संख्या वाले प्रेसों के प्रथम दस मालिकों के नाम क्या हैं :

(ख) प्रेस व्यापार से अधिकतम आय अर्जित करने वाले प्रेसों के प्रथम दस मालिकों के नाम क्या हैं : और

(ग) सर्वाधिक आय वाले दस प्रेसों के नाम क्या हैं और विज्ञापन और बिक्री से आय की प्रतिशतता कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) एक स्वामित्व में निकलने वाले दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि अनेक के सबसे बड़े दस मालिकों के नाम ये हैं:—

1. एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स
2. बेनेट कोलमेन एण्ड कम्पनी लिमिटेड
3. थान्थी ट्रस्ट एण्ड अलाइड पब्लिकेशन्स
4. हिन्दुस्तान टाइम्स एण्ड अलाइड पब्लिकेशन्स
5. अमृत बाजार पत्रिका
6. रामगोपाल महेश्वरी एण्ड अदर्ज
7. सौराष्ट्र ट्रस्ट
8. आनन्द बाजार पत्रिका
9. इण्डियन नेशनल प्रेस
10. श्री नरकेसरी प्रकाशन लिमिटेड

(ख) और (ग) : इस विषय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है।

अणु बम

7. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि एक अणु बम बनाने के लिये किये कितने धन की आवश्यकता होती है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : एक आदिरूप अणु बम के बनाने की लागत का अनुमान लगाना बेमाने हैं, क्योंकि उसके विकास पर होने वाला खर्च अत्यधिक होता है और जो उसकी उत्पादन लागत में ही जोड़ना पड़ेगा।

पाकिस्तान के लिए ईरानी लड़ाकू विमान

8. श्री हेम बरुआ :
श्री बलराज मधोक :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री शारदानन्द :
श्री ब्रज भूषण लाल :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आग्रवाल :
श्री स्वैल :
श्री आर० डी० रेड्डी :
श्री पी० पार्थसारथी :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ईरानी वायु सेना के सोलह एफ०–5 सुपर-सैनिक लड़ाकू विमान इस समय पाकिस्तान में हैं :

(ख) यदि हां, तो क्या ये विमान उन साठ एफ०–68 लड़ाकू विमानों के बदले में दिये गये हैं, जो ईरान ने पाकिस्तान को ओवरहालिंग के लिये दिये थे और जो भारत द्वारा उन देशों पर काफी दबाव डाले जाने के पश्चात, जिन्होंने कि ये विमान ईरान को दिये थे, ईरान में वापस भेजने पड़े थे:

(ग) क्या सरकार पाकिस्तान के साथ सैंटों के कुछ देशों की इस सांठ-गांठ के बारे में जागरूक और सतर्क है: और

(घ) ईरान की सक्रिय सहायता और सहयोग के पाकिस्तान की ओर से जो खतरा बढ़ रहा है उसको टालने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : हमारी सूचना के अनुसार ईरानी वायुसेना के पंद्रह एफ०–5 और दो सी०–130 हवाईजहाज 22–3–67 को राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पाकिस्तान गये थे। ये हवाईजहाज अप्रेल महीने में ईरान वापिस चले गये ये हवाईजहाज उन एफ–68 लड़ाकू हवाईजहाजों के अलावा हैं जो ईरान से पाकिस्तान को पहले गये थे और कहा जाता है कि बाद में वे ईरान वापिस चले गये।

(ख) और (ग) : कुछ सेंटों देशों से हथियार प्राप्त करने की पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, उसके बारे में भारत सरकार निरन्तर सजग और जागरूक है। जब कभी समुचित और आवश्यक होता है, यह मामला राजनयिक सूत्रों के जरिए सम्बद्ध सरकारों के साथ उठाया जाता है। पाकिस्तान द्वारा हथियार इकट्ठा करने से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बारें में भारत सरकार पूरी तरह संचेत है और वह सुरक्षा के हित में समुचित उपाय बरत रही है।

लेफ्टीनेंट जनरल कौल द्वारा लिखित 'अनटोल्ड स्टोरी' नामक पुस्तक

9. श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री स्वैल :
श्री गणेश घोष :
श्री मधु लिमये :

श्री भगवान दास :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उमानाथ :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री वी० के० मोदक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री राम किशन गुप्ता :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री मं०रं० कृष्ण :
श्री सूपकर :
श्री सी० दास :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रवि राय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लैफ्टिनेंट जनरल कौल द्वारा अपनी 'दी अनटोल्ड स्टोरी' नामक पुस्तक में लिखी गई बातों की जांच कराने के कार्य में सरकार ने कितनी प्रगति की है ;

(ख) जांच के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार जांच के परिणाम के बारे में एक प्रतिवेदन संसद पटल पर रखने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : पुस्तक का निरीक्षण समाप्त होने वाला है, और ज्यों ही सरकार उस निरीक्षण के परिणाम स्वरूप किसी निर्णय पर पहुंची, में उस निर्णय से सभा को अवगत करूंगा ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का प्रश्न

10. श्री राम चन्द्र वीरप्पा :
श्री कंवर लाल गुप्ता
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री एन० के० संघी :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज परमेन्डीज :
श्री वाई० ए० प्रसाद :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के आगामी सत्र में तिब्बत का प्रश्न उठाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) : फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय वैदेशिक सेवा सम्बन्धी पिल्ले समिति का प्रतिवेदन

11. **श्री वेनी शंकर शर्मा :**
डा० कर्णीसिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कीकर सिंह :
श्री स्वैल :
श्री आर० के० बिड़ला :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री डी० एन० देव :
श्री प्र० के० देव :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री डी० एन० पटौदिया :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री एन० के० संघी :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री रा० बरुआ :
श्री ओंकार सिंह :
श्री सी० सी० देसाई :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैदेशिक सेवा सम्बन्धी पिल्ले समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है; और

(ग) ये निर्णय कब क्रियान्वित किये जायेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (**श्री मु० क० चागला**) : (क) से (ग) : विदेश मंत्रालय में भारतीय विदेश सेवा समिति की सिफारिशों की जांच कर ली गई है। भारत सरकार के अन्य संबद्ध मंत्रालयों से सलाह-मशविरा करके मंत्रिमंडल के स्तर पर इन सिफारिशों पर विचार करने का इरादा है जिससे कि जल्दी ही अंतिम निर्णय लिया जा सके।

Corporation for A. I. R.

Shri Mohan Swarup
Shri D. C. Sharma
Shri Atal Bihari Vajpayee
Shri Sharda Nand
Shri Bharat Singh
Shri Ranjeet Singh
Shri Onkar Singh
Shri Onkar Lal Berwa
Shrimati Tarkeshwari Sinha
Shri Bibhuti Misra
Shri K. N. Tiwary
Shri R. S. Vidyarthi
Shri Yashpal Singh
Shri S. C. Samanta
Shri C. K. Bhattacharyya
Shri K. Haldar
Shrimati Sharda Mukerji
Shri Sezhiyan

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any decision for setting up a Corporation for All Indin Radio has been taken ;

(b) if so, the broad details thereof ; and

(c) if not, the time by which decision would be taken on it ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) No Sir, not yet.

(b) Does not arise.

(c) Every attempt is made to expedite decision.

व्यापार सम्बन्धी प्रसारण

13. श्री मोहन स्वरूप :
श्री विभूति मिश्र :
श्री इब्राहिम सुलेमान सेट :
श्री स्वैल :
श्री मणीभाई जे० पटेल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामपुरे :
श्री ए० के० किस्कू :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री एस० एन० मेती :
श्री राम सिंह ग्रायरवाल :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री सूपकर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
डा० कर्णी सिंह :
श्री रा० बरुग्रा :
श्रीमती निरलेप कौर :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री रणजीत सिंह :
श्री एन० के० संघी :
श्री ग्रोंकार लाल बेरवा :
श्री शारदानन्द :
श्री मीठा लाल :
श्री जे० बी० सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री ग्रम्बाजगन :

क्या सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार सम्बन्धी विज्ञापनों के प्रसारण करने की व्यवस्था की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रसारण कब ग्रारम्भ किया जायेगा; ग्रौर

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ग्रौर इससे प्रतिवर्ष कितनी ग्राय होने का ग्रनुमान है ?

सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां शुरू में परिक्षण के तौर पर।

(ख) ग्रौर (ग) : ब्यौरा तय किया जा रहा है। इसे जल्दी से जल्दी शुरू करने की पूरी कोशिश की जा रही है, परन्तु यह कहना मुश्किल है कि यह कब शुरू होगा ग्रौर इससे कितनी ग्राय होगी ?

Use of Hindi

14. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian officials and other dignitaries going abroad are not given due respect on account of their not speaking in Hindi ;

(b) if so, whether Government will consider it necessary for such officials and other dignitaries to read and speak Hindi before passports are issued to them ;

(c) the number of Government officials in his Ministry who have learnt Hindi and the expenditure incurred by Government in this behalf ; and

(d) the number of officials who use Hindi after learning it ?

The Minister of External Affairs Shri M. C. Chagla : (a) and (b) : No, Sir.

(c) Since 1960, 105 officials have learnt Hindi in the Hindi teaching classes organised by the Ministry of Home Affairs under the Hindi Teaching Scheme for the Central Government Employees. No separate expenditure was incurred in this behalf by the Ministary of External Affairs.

(d) Except for those working in the Hindi Section others are not obliged to use Hindi.

कोयम्बटूर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए भूमि

15. **श्री के० रमणी :**
श्री उमानाथ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मकानों के निर्माण हेतु भूमि देने के बारे में कोयम्बटूर की भूतपूर्व सैनिक कल्याण संस्था का कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या सरकार ने इस अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन मद्रास राज्य के सैनिक, नाविक, विमान सैनिक बोर्ड को विचारार्थ भेजा गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। इस मामले पर कार्यवाही करना राज्य सरकार का काम है।

पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारत सर्वेक्षण अधिकारियों की गिरफ्तारी तथा उनको तंग किया जाना

*16. **श्री रामपुरे :**
श्री रामचंद्र वीरप्पा :
श्री एन० के० संघी :
श्री हुकम चंद कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री वाई० ए० प्रसाद

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सीमा के पास कुछ भारतीय सर्वेक्षण अधिकारियों को पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने गिरफ्तार किया तथा उन्हें तंग किया; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) जी हां ! 11 जनवरी 1967 को पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के कर्मचारी भारतीय सर्वेक्षण दल के तीन सदस्यों को जिला मुर्शिदाबाद में नोरूखाकी (भारतीय प्रदेश के भीतर) से उस समय उठा ले गए जबकि वे पाकिस्तानी सवक्षक दल के आने का इन्तजार कर रहे थे। पूर्व पाकिस्तान की सरकार के

साथ कड़ा विरोध प्रकट किया गया। कई घंटों के बाद दो को छोड़ दिया और भारत लौटने दिया। तीसरे को राजशाही में मुकदमे के बाद 25 जनवरी 1967 को छोड़ा। पाकिस्तान सरकार का यह कहना था कि तीन व्यक्ति पाकिस्तानी प्रदेश के भीतर गिरफ्तार किए गए थे और दो की पहचान होने के बाद जल्दी ही छोड़ दिया गया लेकिन तीसरे को इसलिए रोक लिया गया कि उसके पास यात्रा-पत्र नहीं थे। पूर्व पाकिस्तान सरकार को पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार ने बताया कि उसकी धारणा सही नहीं है क्योंकि भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशकों के 85 वें सम्मेलन के दौरान किए गए निर्णय के अनुसार यह फैसला किया गया था कि उक्त विशेष वर्ग के अधिकारियों के लिए यात्रा-पत्र ले जाना जरूरी नहीं है क्योंकि उन्हें सीमा पार करने की जरूरत नहीं है और संबद्ध व्यक्ति ने सचमुच पाकिस्तानी प्रदेश को पार नहीं किया।

(ख) 29 और 30 मार्च 1967 को कलकत्ता में आयोजित पश्चिमी बंगाल और पूर्व पाकिस्तान के भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशकों के 86 वें सम्मेलन में इस मामले पर बातचीत की गई और यह निर्णय किया गया कि ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए दोनों तरफ के तमाम सर्वेक्षण कर्मचारी वैध यात्रा-पत्र लेकर जाया करें।

Farmaishi Songs On A. I. R.

17. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether there is any set of Rules for broadcasting songs under the A. I. R. Farmaishi (listeners' choice) broadcast programme ; and

(b) whether the interests of the country and the taste of listeners are also kept in view while conducting such Farmaishi programmes ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) (a) : Farmaishi programmes are based entirely on requests from listeners. Good taste and acceptability of the songs requested, from the point of view of their text and music are the basic considerations which determine planning and broadcast of these programmes.

(b) Yes, Sir.

छावनी बोर्डों के प्रधानों के विरूद्ध शिकायतें

18. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या **प्रति रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय अथवा विभिन्न सेना कमानों को अपने-अपने बोर्डों के निर्वाचित सदस्यों से भारत के छावनी बोर्डों के अध्यक्षों के विरुद्ध गत दस वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) ये शिकायतें किस प्रकार की है; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से **(ग)**: छावनी बोर्डों के अध्यक्षों के विरूद्ध निर्वाचित सदस्यों से सेना मुख्यालयों अथवा रक्षा मंत्रालय को प्राप्त शिकायतों पर उनके गुण स्वभाव के आधार पर कार्यवाही की जाती है। सूचना इकत्रित करने का यथासंभव यत्न किया जाएगा, और एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

बर्मा में भारतीय शहीदों का स्मारक

19. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी**
श्री धुलेश्वर मीना
श्री रामचन्द्र उलाका
श्री हीरजी भाई
श्री के० प्रधानी

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा में माण्डले में भारतीय शहीदों का एक स्मारक बनाने के प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगने की संभावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : मांडले जेल के मेमोरियम हाल में फलक लगाने के प्रश्न से संबद्ध विवरण के बारे में हम रंगून-स्थित अपने राजदूतावास से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं। इस मामले को जल्दी ही अंतिम रूप देने की कोशिशें की जा रही हैं।

भारत तथा पाकिस्तान के शस्त्रास्त्रों पर होने वाले व्यय में कटौती का प्रस्ताव

20. **श्री दी० चं० शर्मा**
श्री सेझियान
श्री स० मो० बनर्जी
श्री मधु लिमये
श्री रणजीत सिंह
श्री हुकम चन्द कछवाय
श्री श्रीगोपाल साबू
श्री वी० एस० शर्मा
श्री जार्ज फरनेन्डीज
डा० राम मनोहर लोहिया
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी
श्री हेम बरुआ
श्री नि० रं० लास्कर
श्री सूपकर
श्री लीलाधर कटकी
श्री यशपाल सिंह
श्री स० चं० सामन्त
श्री जगन्नाथ राव जोशी
श्री राम सिंह आयरवाल
श्री स्वेल
श्री मनीभाई पटेल
श्री रा० बरुआ
श्री सी० सी० देसाई
श्री डी० एन० पटौदिया

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने कुछ समय पूर्व भारत, द्वारा पेश किया गया यह प्रस्ताव

कि दोनों देशों के शस्त्रास्त्रों पर होने वाले व्यय में कटौती करने के बारे में वार्ता की जाये, रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस विषय पर दोनों देशों के बीच हुए पत्र व्यवहार की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान ने हमारे प्रस्ताव को यह दलील देकर अस्वीकार कर दिया है कि हथियारों को सीमित करने के प्रश्न पर वास्तविक रूप से तभी अमल किया जा सकता है जबकि पाकिस्तान के कहने के अनुसार साथ-साथ जम्मू तथा कश्मीर के विवाद पर बातचीत करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान ने अपने उत्तर में हथियार की सीमा के सवाल को पीछे डाल दिया है और वह हथियारों का बढ़ता बोझ कम करने के लिए भारत सरकार जितना उत्सुक नहीं दिखाई देता। भारत सरकार ने यह विचार व्यक्त किया है कि हथियारों में इस तरह की कमी करना अच्छी बात है और इससे दोनो देशों की अर्थ व्यवस्था पर निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ेगा और चारों तरफ एक अच्छा वातावरण तैयार हो जाएगा।

(ग) इस विषय पर दोनों के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 334/67**]

भारत आने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को वीसा दिया जाना

21. **श्री सी० सी देसाई : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) 1 जनवरी 1966 से अब तक भारत आने के लिए कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को भारतीय उच्चायोग द्वारा वीसा दिये गये;

(ख) पाकिस्तानी अधिकारियों ने कितने भारतीय राष्ट्रजनों को पाकिस्तान जाने के लिये वीसा दिये;

(ग) यदि दोनों संख्या में भारी अन्तर हो, तो वीसा देने के मामले में समानता लाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यद्यपि भारत आने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को वीसा काफी आसानी से मिल जाता है, पाकिस्तानी अधिकारी मानवीय आधार पर भी भारतीय राष्ट्रजनों को वही सुविधाएं नहीं देते हैं जिसके परिणामस्वरूप मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों सहित भारतीय जनता में असन्तोष होता है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) 1 जनवरी 1966 से लेकर अब तक पाकिस्तान-स्थित भारतीय मिशनों ने पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को जो वीज़ा जारी किए हैं, उनके आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और सुलभ होने पर शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दिए जाएंगे।

(ख) और (ग): पाकिस्तान अधिकारी हमें अपने आंकड़े नहीं बताते।

(घ) जी हां। जब कभी ऐसे मामले हमारे ध्यान में लाये जाते हैं जिनमें मानवीय आधार पर पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा प्राप्त करने में भारतीय राष्ट्रिकों को दिक्कतें पेश आई हैं, हम तब ही उन्हें पाकिस्तान सरकार के साथ उठाते हैं।

Helicopter Accident Near Ghaziabad

22. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a helicopter of the Indian Air Force met with an accident near Ghaziabad Railway Station on the 28th March, 1967 ;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) the loss of life and property substained as a result thereof ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The accident occurred due to technical failure caused by metal fatigue of a component of the tail rotor.

(c) There was no loss of life and no loss to civilian property. The aircraft was damaged as a result of the accident. The extent of damage is being assessed.

Haj Pilgrims

23. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 65,500 Muslims were permitted to go on Haj pilgrimage last year ;

(b) if so, the amount of foreign exchange spent by Government in this regard ;

(c) whether the foreign exchange spent was justified in view of prevalent foreign exchange crisis ; and

(d) if not, the steps Government propose to take to stop the spending of a large amount of foreign exchange on such matters ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) 15,530 persons went from India for the last Haj.

(b) Rs. 2,39,40,000.

(c) and (d) : Government took into full consideration the foreign exchange situation while fixing the ceiling of foreign exchange expenditure for the last Haj pilgrimage.

Absorption of Non-Commissioned Officers on Release in the Civil Department

24. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a non-Commissioned officer is not offered a post equivalent to his rank when he joins service in a civil department ;

(b) whether it is also a fact that he is not given an offer of service in the civil department immediately on his discharge from the Army ;

(c) whether any arrangements have been made by Government to give first priority to ex-servicemen in the matter of employment and to reserve posts for them;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Sardar Swaran Singh) : (a) and (b) : Persons other than Commissioned Officers, on release from the Armed Forces, are offerred, if registered with the Employment Exchanges suitable jobs against vacancies in Class III and Class IV reported to them, with due regard to their qualifications and experience. It is not always possible to avoid a time-lag between release and re-employment in a civil department.

(c) to (e) : Ex-servicemen are entitled to Priority III for the purpose of nomination by Employment Exchanges for the vacancies reported by the employers. Candidates belonging to Priority I i. e. Central Government employees retrenched or rendered surplus on account of the recommendations of the Economy Unit, and to Priority II i . e. permanent displaced Government servants from NWFB, Sind and Baluchistan, have almost become scarce. Thus for practical purposes, Priority III is the highest priority at present and that is enjoyed by Ex-servicemen in common with retrenched civilian Government servants (retrenched otherwise than on the recommendations of the Economy Unit) and certain other minor categories of personnel. Within Priority III, Ex-servicemen are given special preference for certain specific jobs like Watch and Ward etc. in which military experience is a desirable qualification. Ex-servicemen are also permitted to get themselves registered with the Employment Exchanges of their choice six months prior to their release. From 1-7-1966, 10 percent of permanent vacancies in Class III and 20 percent in Class IV have been reserved for ex-servicemen for a period of 2 years in the first instance. The State Governments have also been requested to make similar reservations in their departments.

Allotment of Radio Sets to States

25. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Heerji Bhai :
Shri K. Pradhani :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) The number of Radio Sets allotted to various States and the price thereof as on the 31st March, 1967 and the criteria for allotment of the same ;

(b) The purpose for which these sets have been allotted ; and

(c) The number of such Radio Sets which are at present in working order and the arrangements made for the repairs of those that have gone out of order ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The number of radio sets supplied to various States upto March 31, 1967 under the Community Listening Subsidy Scheme was 1,19,423. During the same period 5, 122 radio sets were supplied to Union Territories.

The cost of Community Receivers, complete with loudspeaker, aerial kit and batteries has varied from Rs. 250/- to Rs. 400/- during the last 12 years. The current prices of community receivers are as follows :—

1.	Mains operated	—	—	Rs. 344·00 each
2.	Value Type, Battery operated		—	Rs. 332·00 each
3.	Transistor Type	—	—	Rs. 412·00 each

The requirements of each State/Union Territory are ascertained annually and subject to availability of funds, allotment of receivers is made to them on the basis of villages remaining to be covered in each State.

(b) The community receivers are allotted for installation in rural areas for Community Listening under Planned publicity Scheme.

(c) Information regarding the number of radio sets in working order in each State/Union Territory is being collected and will be laid on the Table of the House. The maintenance of Community Receivers is the responsibility of State Governments/ Union Territories and they have set up their own maintenance orgnisations for this purpose.

Indo-Ceylon Agreement of October, 1964

26. Shri Sidheshwar Prasad : Shri D. N. Patodia : Shrimati Tarkeshwari Sinha : Shri R. Barua : Shri K. M. Abraham : Shri C. C. Desai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the extent to which Indo-Ceylon Agreement of October, 1964 has been given effect to so far ;

(b) the nature of difficulties, if any, being experienced in implementing the same ; and

(c) whether it is a fact that the Government of Madras have recently asked for the reconsideration of this Agreement ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) A Joint Committee consisting of representatives of both Ceylon and India has completed the preliminary administrative arrangements for the grant of Ceylon/Indian citizenship. Ceylon legislation for the implementation of the Agreement on their side is now before the Ceylon Parliament. After this is enacted, notices will be issued calling for applications for Indian/Ceylon citizenship.

(b) No special difficulties have been experienced so far in implementing the Agreement.

(c) No, Sir.

Radio Station For Magahi Language in Bihar State

27. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) Whether the question of opening a separate Radio Station for Magahi language area in Bihar State has been examined ;

(b) if so, the date and place of its establishment; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Maghi language region in Bihar State is adequately served by the existing Patna Station of All India Radio.

Import of Transmitters

28. **Shri Sidheshwar Prasad** : **Shri R. Barua** : **Shri D. N. Patodia** : **Shri C. C. Desai** :

Will the Minister of **Information and Broadcasting be** pleased to state :

(a) whether the powerful transmitters, which were to be imported from abroad, have arrived in India ;

(b) if so, the date and place of their installation ; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for the delay?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b): Four out of fifteen powerful transmitters which are being imported from abroad have already been received. The installation of two of these four transmitters, one each at Jullundur and Calcutta, is expected to be completed during the current year. The other thirteen installations are likely to be commissioned progressively during the course of the next three years.

(c) There has been no undue delay in receipt of equipment.

Programmes in Regional Languages

29. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that programmes are broadcast in Maghi, Maithili and Bhojpuri also from Patna Station of A. I. R. ;

(b) if so, the time allotted during each month, separately, in 1966 for broadcasting programmes in each of these languages ;

(c) the details of programmes broadcast from the Ranchi Station of A. I. R. during the above period ; and

(d) whether broadcasting has started from Bhagalpur Station of A. I. R. ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) Monthly average duration of each programme is given below :

Maghi	Maithili	Bhojpuri
250 minutes	650 minutes	300 minutes

(c) The Ranchi Station does not broadcast programmes in these dialects regularly, except folk songs in one or the other of these dialectss once a week.

(d) Yes, Sir.

Indian Statistical Institute

30. **Shri K. M. Abraham :**
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri P. P. Esthose :
Shri Viswanatha Menon :
Shri Umanath :
Shrimati Suseela Gopalan :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Kabir Committee has suggested that the Indian Statistical Institute should be made an autonomous body;

(b) if so, the decision taken by Government in this regard; and

(c) the other recommendations made by this Committee and the action taken thereon ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) No. Sir,

(b) Does not arise,

(c) Copies of the Report are available in the Parliament Library. The recommendations of the Committee are being considered by the Government. A copy of the Report has been forwarded to the Chairman of the Institute with the request to intimate the action taken by the Institute thereon.

शक्तिशालि ट्रांसमीटर

31. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :**
श्री रामपुरे :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री एन० के० संघी :
श्री वाई० ए० प्रसाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य पूर्व तथा पूर्व एशिया के लिये प्रसारण करने के हेतु दो शक्तिशालि ट्रांसमीटर लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ट्रांसमीटरों की क्षमता कितनी होगी और उन पर कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) इन दो शक्तिशाली ट्रांसमीटरों को लगाने की परियोजनाओं पर लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) उपकरणों के लिये आदेश दे दिये गये हैं, भवन आदि के निर्माण का प्रारंभिक कार्य चल रहा है।

(ख) चावड़ा (केरल राज्य) में स्थित संयंत्रों को ले लेने के बाद जब पुनः चालू किया जायेगा तो उनमें इल्मेनाइट, मोनजाइट, रूटाइल और जर्कन का उत्पादन किया जायेगा।

(ग) इन उत्पादों का निर्यात मुख्यतः जापान, जैकोस्लोवाकिया और ब्रिटेन को किया जायेगा। इनसे प्रति वर्ष जो विदेशी मुद्रा कमाई जायेगी उसका विवरण निम्न प्रकार है :

उत्पाद का नाम	मात्रा (मीटरी टन)		मूल्य (लाख रुपयों में)
इल्मेनाइट	31000		21.53
जर्कन	1000		4.94
		योग	26.47

सैनिक अस्पताल

32. **श्री रणजीत सिंह :** **श्री रामसिंह आयरवाल :**
श्री हुकमचन्द कछवाय : **श्री बी० एस० शर्मा :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मिलीटरी अस्पतालों में स्त्री रोगों के पुरुष चिकित्सकों द्वारा अपनी महिलाओं की डाक्टरी परीक्षा तथा उपचार कराने में सैनिक अपना अपमान समझते हैं; और

(ख) यदि हां, तो मिलीटरी अस्पतालों में स्त्री रोगों की महिला चिकित्सक नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इस मामले में किसी भी जवान से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इस संबंध में प्रतिकूल-भाव समाप्त होता जा रहा है।

(ख) सशस्त्र सेनाओं में कई महिला चिकित्सक अफसर हैं और उनमें कई अर्हता प्राप्त चिकित्सक हैं। ऐसे कुटुम्बों के लिए अधिकतम स्थानों में महिला चिकित्सक अफसर प्राप्य हैं, जिन्हें पुरुष विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सक परीक्षा में आपत्ति हो। रक्षा हस्पतालों में नियुक्त चिकित्सकों में से 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। उपयुक्त महिला चिकित्सक अफसरों को चिकित्सा में विशेष ज्ञान प्राप्ति की सुविधाएं दी जाती हैं।

भारतीय सेना

33. **श्री मधु लिमये :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सैनिक फार्मेशनों और यूनिटों के जातिगत साम्प्रदायिक प्रादेशिक नामों के सम्बन्ध में अपनी नीति पर हाल ही पुर्नविचार किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार सेना में गैर-साम्प्रदायिक आधार पर भोजनालय चालू करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार अंग्रेजी के ज्ञान के सम्बन्ध में प्रादेशिक शर्तों को नर्म करने का है, ताकि उन वर्गों के लोग सेना में प्रवेश पा सकें, जिन के लोग सामान्यतः सेना में भर्ती होते हैं; और

(घ) भारतीय सेना को वास्तविक राष्ट्रीय सेना बनाने के लिये सरकार का और क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) स्वतन्त्रता प्राप्ति से सरकार की नीति सेना के राष्ट्रीय चरित्र को बनाए रखना, रही है। उदारता के तौर पर इन्फेन्ट्री को छोड़ कर सेवाओं के विभिन्न अंगों का नामकरण उनके कृत्य की प्रतिध्वनि करता है, उदाहरणतः आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी रेजिमेंट, इन्जीनियर कोर, सिग्नल कोर, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी मेडिकल कोर इत्यादि। इन्फेंट्री की हालत में भी कई रेजिमेंटें जैसे कि पराशूट रेजिमेंट, गार्ड्ज ब्रिगेड, का नामकरण श्रेणीरहित और जाति-रहित है। अन्य इन्फेंट्री रेजिमेंटों की हालत में वर्तमान् श्रेणि संबंधी या क्षेत्र संबंधी नामकरण ऐतिहासिक और प्रशासनिक कारणोंवश रहने दिया गया है। सरकार की नीति है कि भर्ती में उदारता बरती जाए, और उसे उनकी जाति मत, समुदाय, या क्षेत्र आदि के विचार से सभी भारतीयों के लिए खुला रखा जाए, अगर वह निर्धारित शारीरिक, शिक्षा, और चिकित्सा मानदण्डों पर पूरे उतरें, और उपयुक्त आयु सीमाओं के अन्दर हों। यह नीति क्रमशः इन्फेंट्री में भी पुरःस्थापित की जा रही है, जिसमें एक श्रेणी की यूनिटें विद्यमान हैं, और उन समुदायों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो पहले भर्ती नहीं किए जाते थे।

(ख) सेना में भोजनालय 'यूनिट' और 'सबयूनिट' के आधार पर संगठित किए जाते हैं, न कि साम्प्रदायिक आधार पर। वर्तमान प्रबन्ध में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) सभी क्षेत्रों के लिए सेना में भर्ती के लिए शिक्षा मानदण्ड एक से है। सिवाए कुछ विशिष्ट उद्योगों के, अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक नहीं है। किसी क्षेत्र विशेष के लिए शिक्षा मानदण्ड को कम करने का विचार नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि भारतीय सेना पहले से ही एक राष्ट्रीय सेना है।

कुवैत में ग्रौद्योगिक उद्यम

36. **श्री एन० के० संघी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुवैत में ग्रौद्योगिक उद्यमों के बारे में किसी विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण कराने के बारे में विचार कर रही है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस विषय में ग्रन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) ग्रौर (ख) : भारत सरकार राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम से विशेषज्ञ भेजने पर सहमत हो गई है कि वे उन उद्योगों का संपूर्ण शक्यता (फीजिबिल्टी) सर्वेक्षण करें जिनमें पारस्परिक लाभ की दृष्टि से सम्मिलित सहयोग से काम करने की संभावना हो। जिन क्षेत्रों में इस तरह का सर्वेक्षण किया जाना है, उनका ग्रौर उसके ग्रौर ब्यौरे का फैसला दोनों सरकारों, के बीच सलाह-मशविरा करके किया जाएगा।

भारत स्थित ग्रमरीकी सैनिक सप्लाई मिशन

37. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारत स्थित ग्रमरीकी सैनिक सप्लाई मिशन पर, वर्षवार, ग्रब तक कुल कितनी राशि खर्च की; ग्रौर

(ख) यह खर्च किन मदों के ग्रन्तर्गत किया गया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) : भारत सरकार ने 30 जून, 1966 तक रुपयों में होने वाले तमाम संभावित व्यय को पूरा करने के लिए भारत-स्थित ग्रमरीकी सैन्य सप्लाई मिशन के खर्च के लिए कुल मिलाकर 216.31 लाख रुपए दिए हैं।

वर्ष-वार ग्रदायगी इस प्रकार की गई ।

(i)	1962-63	50.00	लाख रुपए
(ii)	1964-65	100.00	लाख रुपए
(iii)	1965-66	66.31	लाख रुपए
	कुल	216.31	लाख रुपए

(ख) : यह राशि सेवाग्रों ग्रौर सुविधाग्रों पर खर्च की गई है, जैसे—ग्रावास, स्थानीय कर्मचारियों का वेतन, स्टोर के सामान की खरीद ग्रौर भारत में यात्रा; हमने उक्त मिशन की स्थापना पर सहमत होते समय यह खर्च करने का जिम्मा लिया था । यह खर्च

रक्षा अनुमानों के अंतर्गत बड़े शीर्षक 79 सेवा के मुख्य शीर्षक 4 (विविध) से किया गया था ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करने वाले भारतीय लोग

38. **श्री एस० आर० दमानी** **श्री पी० पार्थसारथी**
श्री ए० श्रीधरन

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसके अन्य संगठनों में इस समय कितने भारतीय काम कर रहे हैं तथा इन संगठनों के नाम क्या है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : 31-8-66 को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में व्यावसायिक स्तर पर और इससे ऊपर स्तर पर काम करने वाले भारतीयों की संख्या 65 थी । सामान्य अथवा क्षेत्रीय सेवाओं में उनकी संख्या 52 थी ।

जहां तक संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र बालकोष का संबंध है, उनमें काम करने वाले भारतीयों की संख्या 1-1-1965 को इस प्रकार थी ।

1.	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	– 47
2.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक	– 23
3.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि	– 18
4.	अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम	– 5
5.	खाद्य एवं कृषि संगठन	–120
6.	विश्व स्वास्थ्य संगठन	– 46
7.	संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति संगठन	– 56
8.	अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन	– 17
9.	अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ	– 5
10.	विश्व मौसम विज्ञान संगठन	– 3
11.	अंतर्राष्ट्रीय एटमी शक्ति एजेंसी	– 6
12.	विश्व डाक संघ	– 1
13.	अंतर्सरकारी समुद्री परामर्श संगठन	–कोई नहीं
14.	संयुक्त राष्ट्र बाल कोष	– 76

बाद की सूचना सुलभ नहीं हैं ।

भारतीय तकनीकियों तथा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार की गई विदेशी नागरिकता

39. **श्री एस० आर० दमानी : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि कितने भारतीय तकनीकियों तथा वैज्ञानिकों ने विदेशों की नागरिकता स्वीकार की है और/अथवा जो विदेशों में नौकरी करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें देश की सेवा करने के लिये वापस बुलाने के संबंध में कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) विदेशों में जो भारतीय तकनीकी और वैज्ञानिक काम पर लगे हैं, उनकी सही संख्या बताना संभव नहीं है। विज्ञान एवं उद्योग अनुसंधान परिषद् के पास एक विशेष रजिस्टर है जिसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में मान्य डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त भारतीयों के नाम लिखे होते हैं। लेकिन इस तरह का नामोल्लेख स्वेच्छिक है और इसलिए वह पूरा नहीं है। 1 जनवरी 1967 को विदेशों में काम करने वाले जिन वैज्ञानिकों और तकनीकी लोगों के नाम रजिस्टर में दर्ज हैं, उनकी संख्या 6,402 थी। वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। सरकार के पास यह सूचना नहीं है कि विदेश-स्थित कितने भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी लोगों ने विदेशों की नागरिकता स्वीकार कर ली है।

(ख) जी हां। भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी लोगों को वापस बुलाकर देश की सेवा करने की जो कोशिशें की गई हैं, वे इस प्रकार हैं :

(1) विदेशों में भारतीय नामक रजिस्टर की स्थापना;

(2) विदेशों से आने वाले व्यक्तियों को अस्थायी तौर पर नियोजित करने के लिए वैज्ञानिक पुल का गठन;

(3) वापस आने वाले वैज्ञानिकों की कुशलता का उपयोग करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों और सरकारी संगठनों में अधिसंख्य पद आरंभ करना;

(4) विदेशों में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा सर्वाधिक दौरे-ताकि ऐसे उपयुक्त व्यक्ति भर्ती किए जा सकें जो भारत में इन्टरव्यू में शामिल न हो सकते हों।

संयुक्त राष्ट्र संघ के कमान में भारतीय सेना

40. **श्री एस० आर० दमानी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने सेना भेजने का आवेदन किया, भारतीय सेनाओं को उनकी कमान में भेज दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कमान में कितनी भारतीय सेना है तथा वह कहां-कहां पर तैनात है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : आजकल भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना के साथ गाजा में ही कार्य कर रहे हैं। हमारे सैनिकों की स्वीकृत संख्या 1002 है।

Indian who came from China after Indo-China conflict

41. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indians who had come over to India from China at the time of Indo-China conflict in 1962;

(b) the number out of them who had opened their accounts in the Bank of China;

(c) whether it is a fact that these persons have sent many communications to withdraw their amount but they have not got it so far; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) In 1962 there were 70 Indian nationals in China. By the end of 1966 the figure came down to 29.

(b) The exact number is not immediately available. Only five cases have however come to the notice of the Government.

(c) and (d) : These Indian nationals were given drafts by the Chinese branches of the Bank of China on its branches in India or on other Indian Banks after 2nd November, 1962 when the branches of the Bank of China in India were taken into liquidation under orders of the Calcutta High Court. Considering the hardship of Indian nationals who were displaced as a result of Chinese aggression in 1962, it was felt that such claims should be met from the available residual amount in the credit of the head–office account of the Bank of China after completion of the liquidation proceedings. For this purpose 31.1.1963 was fixed as deadline for honouring the drafts issued by the Bank of China to these Indian nationals. The parties concerned whose drafts were issued within that deadline had direct contact with the official Liquidator, High Court, Calcutta. In one particular case there arose some complications as the Bank of China issued several drafts, some as late as September, 1963. This particular case however was treated as a special one and the Official Liquidator, High Court, Calcutta, has agreed to make payment beyond the original deadline. Apart from this, Government are not aware of any requests for withdrawal.

Conditions of Gurdwaras and Temples in Pakistan

42. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Onkar Singh :
Shri Kanwar Lal Gupta:

Will the Minister of **External Affairs be** pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Gurdwaras and Temples in Pakistan are in a dilapidated condition;

(b) if so, whether Government have taken up this matter with the Pakistan Government; and

(c) if so, the result thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c) : The condition of Gurudwaras and Temples in Pakistan is unsatisfactory. The question of maintenance of the Gurudwaras and the posting of Sevadars to look after them as well as cases of misuse of properties belonging to temples have been brought to the notice of the Government of Pakistan. It is to be hoped that the Pakistan Government will take early action to improve the conditions.

चीन में मस्जिदों का गिराया जाना

43. **श्री बाबूराव पटेल :** **श्री राम सिंह आयरवाल :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन में सैंकड़ों मुस्लिम मस्जिदों को गिराया जा रहा है तथा बहुत बड़े पैमाने पर कब्रों को तोड़ा जा रहा है और इस प्रकार अर्जित भूमि में फसलें उगाई जा रही हैं;

(ख) क्या भारत में रहने वाले मुस्लिमों की ओर से, साम्यवादियों द्वारा इस्लामिक संस्थाओं का अकारण किये जा रहे विनाश के विरुद्ध कोई विरोध-पत्र भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क), से (घ) : भारत सरकार ने तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति के अन्तर्गत बड़ी संख्या में मुसलमानों पर अत्याचार करने और मस्जिदों को अपवित्र करने के बारे में रिपोर्ट देख ली है। सरकार इस प्रकार की धर्म-विरोध कार्यवाहियों की निंदा करती है। लेकिन चीन सरकार के पास कोई विरोध-पत्र इसलिए नहीं भेजा गया है क्योंकि जिन लोगों पर अत्याचार किया गया है, वे भारतीय राष्ट्रिक नहीं हैं।

बाल चलचित्र संस्था (चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी)

44. **श्री बाबूराव पटेल :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल चलचित्र संस्था के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध, जिसने उस संस्था के धन का गबन किया था, लगे आपराधिक आरोपों को सरकार ने किस प्रकार से दीवानी मुकदमे का रूप दिया;

(ख) धन के आपराधिक गबन का पूरा प्रमाण होने के बावजूद भी उसके विरुद्ध फौजदारी दावा दायर न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) दीवानी मुकदमे का फैसला कब तक हो जायेगा तथा गबन किये गये धन को भूतपूर्व सचिव से वसूल करने की क्या सम्भावनायें हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के. के. शाह) : (क) : यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार ने फौजदारी के मामलो को दीवानी दावे में बदल दिया। फौजदारी मुकदमा करने

के प्रश्न पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के कानूनी सलाहकार अभी विचार कर रहे हैं। दीवानी मुकदमा पहले इसलिए दायर किया गया है कि सोसाइटी अपने वित्तीय हितों की रक्षा कर सके।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

(ग) नुकसान पूरा करने की संभावनाओं के बारे में कुछ कहना कठिन है, विशेषकर जब कि मामला अदालत में हो।

समाचार पत्रों में विज्ञापन

45. **श्री अनन्तराव पाटिल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई से प्रकाशित होने वाले 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' तथा 'इण्डियन एक्सप्रेस" दिल्ली से निकलने वाले "हिन्दुस्तान टाइम्स" और बम्बई तथा पूना से क्रमशः प्रकाशित होने वाले "लोकसत्ता" तथा "सकल" समाचार पत्रों में विज्ञापन अन्य लेखों, समाचारों आदि की तुलना में कितने अनुपात में छपते हैं; और

(ख) क्या विज्ञापनों को छापने में इतना अधिक अखबारी कागज बरबाद होने देना वांछनीय है जब कि छोटे समाचार पत्रों को अखबारी कागज का पर्याप्त कोटा न मिलने के कारण हानि उठानी पड़ती है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के. के. शाह) : (क) : 1966 के वर्ष को अपेक्षित जानकारी इस प्रकार हैः—

विज्ञापन तथा अन्य पाठ्य सामग्री के लिए दिए गए स्थान का प्रतिशत

स्थान	विज्ञापन	अन्य सामग्री
1. टाइम्स आफ इण्डिया, बम्बई	61	39
2. इण्डियन एक्सप्रेस, बम्बई	49	51
3. हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली	50	50
4. लोकसत्ता, बम्बई	45	55
5. सकाल, पूना	47	53

(ख) पृष्ठ के अनुसार दाम रखने पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह संभव नहीं है कि, समाचार-पत्रों द्वारा विज्ञापनों के लिए दिए जाने वाले स्थान पर कोई रोक लगाई जा सके। छोटे समाचार-पत्रों को अखबारी कागज की पर्याप्त मात्रा न मिलने के बारे में अब कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, विशेषकर छोटे समाचार-पत्रों को अधिक अखबारी कागज देने की उदार नीति की हाल में घोषणा के बाद।

पाकिस्तान के लिये अमरीका में निर्मित सैनिक सामान

46. **श्री मनीभाई जे. पटेल :**
श्री नि. रं. लास्कर :
श्री सूपकर :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री च. का. भट्टाचार्य :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने कुछ देशों को यह अनुमति दे दी है कि वे पाकिस्तान को अमरीका में निर्मित या अमरीका द्वारा पेटेंट दिए गये सैनिक सामान बेच सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान को इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से दिये जा रहे हथियारों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिये सरकार ने उपयुक्त कार्यवाही की है;

(ग) इस संबंध में प्रायः क्या कदम उठाये गये हैं; **और**

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु. क. चागला) : (क) से (घ) : अमरीका की सरकार ने जब अगस्त-सितम्बर, 1965 में भारत-पाक संघर्ष के समय पाकिस्तान को, भारत की तरह, सैनिक उपकरण देना बंद कर दिया था, तब से ही समय-समय पर इसकी रिपोर्टें मिलती रही हैं कि अमरीका के बने हथियार तीसरे देशों के जरिये पाकिस्तान को भेजे जा रहे हैं। जब कभी इस तरह की रिपोर्टें सच मालूम हुईं, तब ही भारत सरकार ने उस मामले को अमरीकी अधिकारियों के साथ उठाया है। हर बार हमें यह बताया गया है कि अमरीका ने पाकिस्तान को ऐसे कोई घातक उपकरण भेजने की इजाजत नहीं दी जिन पर उसका अधिकार था। अभी यह देखना है कि अब से आगे अमरीका किस प्रकार इस आचरण को निभाएगा।

केरल में खनिज संयंत्र

47. **श्री मनीभाई जे. पटेल :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल सरकार के कुछ खनिज संयंत्रों को अपने हाथ में लेकर केरल के समुद्र तट के बालू से निकाले गये उत्पादों का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन विभिन्न उत्पादों के नाम क्या हैं; **और**

(ग) ये उत्पाद किन-किन देशों को निर्यात करने का विचार है और इससे प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने का अनुमान है ?

अरण शक्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुरुपादस्वामी) : (क) सरकारी क्षेत्र के पूर्णतः सरकार द्वारा चलाये जाने वाले इण्डियन रेअर अर्थस् लिमिटेड नामक उपक्रम की ओर से होपकिन एण्ड विलियमस् (ट्रावणकोर) लिमिटेड नामक ब्रिटिश फर्म के आस्तियों को लेने के लिये केरल सरकार से बातचीत की जा रही है। उक्त ब्रिटिश फर्म 1960 में बन्द हो गई थी और केरल सरकार ने राज्य कर का भुगतान न करने के अपराध में राजस्व वसूली अधिनियम के अधीन उसकी आस्तियों को कुर्क कर लिया था।

सूचना और प्रसारण के माध्यम के बारे में चंदा समिति का प्रतिवेदन

48. **श्री नाथ पाई :**
श्री ओंकार सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री डी० एन० पटोदिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री ए० श्री धरन :
श्री एस० एम० जोशी :
डा० राम मनोहर लोहिया
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री मीठालाल :
श्री राम चरण :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री के० प्रधानी :
श्री काशी नाथ पाडे :
श्री रा० बरुआ :
श्री सी० सी० देसाई :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना और प्रसारण के माध्यम के बारे में चंदा समिति के सभी प्रतिवेदनों का अन्तिम रूप से अध्ययन तथा जांच करली है; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने कौनसी सिफारिशें स्वीकार करली हैं और उन्हें कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री : (श्री के० के० शाह): (क) और (ख) : चन्दा समिति ने निम्न पांच रिपोर्टें दी है।

क्रम संख्या	विषय	वह तारीख जिस दिन रिपोर्ट दीगई	सिफारिशों की कुल संख्या
1.	रेडियो तथा टेलीविजन	18-4-66	219
2.	वृत्तचित्र तथा समाचार चित्र	1-9-66	101
3.	विज्ञापन और दृश्य प्रचार	24-9-66	53
4.	पत्र सूचना और प्रचार	24-1-67	155
5.	जन-सम्पर्क के माध्यमों में समन्वय	31-3-67	117

'रेडियो तथा टेलीविजन' की रिपोर्ट की 219 सिफारिशों में से 180 पर जो निर्णय किये गये उसके तीन विवरण पहले ही क्रमशः 24 अगस्त, 1966, 29 नवम्बर, 1966 तथा 21 मार्च, 1967 को सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। जिन 180 सिफारिशों पर निर्णय किया गया है उसमें से 160 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। इस रिपोर्ट की शेष 39 सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं। धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत सिफारिशों को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जाता है। स्वीकृत या स्वीकार की जाने वाली सिफारिशों पर अमल करने का प्रश्न, साधनों की उपलब्धि पर निर्भर है। अभी यह सम्भव नहीं कि इसके बारे में निश्चित सूचना दी जाए। शेष चार रिपोर्टों की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की संधि का प्रारूप

49. **श्री नाथ पाई** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस तथा अमरीका की सरकारों ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की संधि का एक प्रारूप सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को यह प्रारूप कब मिला था।

(ग) इस प्रारूप की मुख्य बातें क्या हैं।

(घ) क्या सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया उनको भेज दी है; और

(ड) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री :(श्री मु० क० चागला) : (क) से (ड) : ये दोनों सरकारें इस तरह के संधि के मसौदे पर विचार-विमर्श करती रही हैं और भारत सरकार को अनौपचारिक तौर पर मसौदे की एक प्रति दिखाई गई है। चूंकि संधि अभी मसौदे की स्थिति में ही है, इसलिए इस पर अधिकारिक टिप्पणी करना ठीक नहीं है। बहरहाल, भारत सरकार ने इन दोनों सरकारों को इस प्रश्न के प्रति अपने सामान्य रूख से अवगत करा दिया है अर्थात् अनुत्पादन संधि महासभा के प्रस्ताव संख्या 2028 (× ×) में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुरूप होनी चाहिए, वह व्यापक हो और भेदभावकारी न हो, उसमें एटमी और गैर-एटमी देशों के दायित्वों का स्वीकृत संतुलन हो, वह शांतिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अणु शक्ति के विकास में बाधा न डाले और सामान्य तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण और विशेषकर एटमी निरस्त्रीकरण की दिशा में एक कदम हो।

भारत को अमरीकी सैनिक सहायता

50. **श्री के० पी० सिंह देव :** **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री डी० एन० देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने भारत को दी जाने वाली सैनिक सहायता, जो 1965 में बन्द की गई थी, फिर से देना आरम्भ न करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

(ग) क्या यह भी सच है कि अमरीका सरकार ने भारत स्थित अमरीकी मिलटरी मिशन बन्द करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री : (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : जब 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के फलस्वरूप भारत सरकार को रक्षा कार्यक्रम आरंभ करना पड़ा था, तब अमरीका की सरकार उपकरण की सूरत में सहायता देने को सहमत हुई थी– कुछ अनुदान के रूप में और उधार की शक्ल में भी। अगस्त–सितम्बर 1965 में भारत–पाकिस्तान के संघर्ष के समय, अमरीका की सरकार ने पाकिस्तान की तरह, भारत को भी इस तरह की तमाम सहायता बंद कर देने का फैसला किया। फरवरी 1965 में, उन्होंने दोनों देशों को नगद या उधार गैर–घातक उपकरण देना आरंभ करने का निर्णय किया लेकिन तमाम अनुदान और घातक उपकरणों की तमाम सप्लाई बंद रही। अमरीका की सरकार ने बिना कारण बताए अब यह घोषणा की है कि वह कोई सैनिक सहायता देना आरंभ नहीं करेगी लेकिन उन्होंने उन घातक उपकरणों के फालतू पूर्जे देने पर पाबंदी हटा दी है जो दोनों देशों को पहले ही दिए जा चुके हैं और जो हर मामले के हिसाब से प्रार्थनाओं पर विचार करने के बाद अब बेचे जा सकते हैं।

(ग) और (घ) : चूंकि अमरीकी सैन्य सप्लाई मिशन अमरीकी सैन्य सहायता कार्यक्रम के सिलसिले में भारत में स्थापित किया गया था, इसलिए उस कार्यक्रम की समाप्ति से स्वाभविक तौर पर उस मिशन का जारी रहना अनावश्यक हो गया है और अमरीका की सरकार तदनुसार उसे 1 जुलाई 1967 को बंद कर रही है।

विदेशों में चले गये नागा तथा मिजो लोग

51. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना छिपे हुए कितने नागा तथा मिजो लोग अब तक विदेशों को चले गये हैं ;

(ख) सरकार ने कितने नागा तथा मिजो लोगों को ब्रिटेन तथा अमरीका जाने की अनुमति दी है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) छिपे नागा और मिजो लोग चोरी छिपे हमारी सीमाएं पार कर लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की निश्चित संख्या बताना संभव नहीं है जो पाकिस्तान या चीन में चुपके से पहुंच गए हैं या वहां से आ गए हैं।

(ख) और (ग) : यूनाइटेड किंगडम और अमरीका को समय-समय पर जो बहुत से भारतीय लोग आते-जाते हैं, उनमें से कुछ नागा अथवा मिजो लोग भी हो सकते हैं। लेकिन उनकी अलग-अलग पहचान करना संभव नहीं है क्योंकि पासपोर्ट का आवेदन करने वाले लोगों को सिर्फ अपनी नागरिकता बतानी होती है, कबीले या ग्राम के संबंध नहीं।

भारतीयों की अमरीका यात्रा

52. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में कितने (1) अध्यापक तथा प्रोफेसर, (2) लेखक, (3) पत्रकार तथा (4) फिल्म डायरेक्टर अमरीका गये हैं ; और

(ख) कितने लेखकों को अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए अमरीका सरकार से धन मिला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पूरी जो भी सूचना सुलभ होगी, उसे इकठ्ठा करने की कोशिशें की जा रही हैं और यथा-संभव शीघ्र ही सदन को उसके परिणामों से अवगत करा दिया जाएगा।

(ख) भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

प्रादेशिक सेना

53. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950 से लेकर अब तक नियमित सेना के कितने मेजरों और लेफ्टिनेंट कर्नलों को प्रादेशिक सेना में स्थायी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया।

(ख) इनमें से कितने अधिकारियों की अगले पद पर पदोन्नति की गई है;

(ग) नियमित सेना के कितने मेजर और कर्नल प्रादेशिक सेना में स्थायी कर्मचारियों के रूप में काम करते हुए सेवा-निवृत्त हुए;

(घ) इस अवधि में प्रादेशिक सेना के मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल पद के कितने कमीशन प्राप्त अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया।

(ङ) प्रादेशिक सेना के कितने कमीशन प्राप्त अधिकारी प्रादेशिक सेना को बने 17 वर्ष हो जाने के बाद इस सेना की रेजिमेंटों की कमान संभाले हुए हैं।

(च) क्या प्रादेशिक सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिन्हें स्थायी कमीशन मिल गया है पेंशन पाने के अधिकारी हैं।

(छ) यदि हां, तो कितने वर्षों की सेवा के बाद; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलि राम भगत) : (क) से (ड) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रखदी जाएगी ।

(ङ) एक भी नहीं । तदपि, प्रादेशिक सेना के एक कर्नल और दो ले० कर्नलों ने स्टाफ नियुक्ति संभाली है और संभाले हुए हैं ।

(च) से (ज) : चूंकि प्रादेशिक सेना केवल अंशकालिक सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करती है, न कि पूर्ण कालिज आजीविक, कोई पेन्शन देय नहीं है ।

भारतीय सेना में किसान

54. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सेना में कितने प्रतिशत व्यक्ति किसान परिवारों में से हैं;

(ख) क्या कभी यह सोचा गया था कि सेना को प्रतिवर्ष कुछ महीनों के लिये खेती के काम में लगाया जाये;

(ग) क्या कभी सेना के उपयुक्त उपकरणों को भूमि सुधार तथा खेती के काम में प्रयोग करने पर विचार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलि राम भगत) : (क) 61.5 प्रतिशत ।

(ख) से (घ) : यद्यपि, सेना को वर्ष में कुछ मासों के लिए कृषि कार्य में नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा गया, रेजिमेण्टल क्षेत्र विद्यमान हैं, जिन पर सेना सेवीवर्ग अपने साधारण काम के अतिरिक्त समय में अपने आप को व्यवस्त रखते हैं । प्राकृतिक उपद्रवों के समय में असैनिक अधिकरणों की मांग पर बाढ़ और अकाल का सामना करने के लिए सैनिक सहायता उपलब्ध की जाती है । भूमि उद्धार के लिए या कृषि कार्य के लिए नियमित रूप से सैनिक साज-सामान का न तो प्रयोग किया गया है, न करने का विचार ही किया गया है ।

गोरखों की भर्ती के लिये भारत में ब्रिटिश भर्ती कैम्प

55. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री भारत सिंह :**
श्री शारदा नन्द : **श्री रणजीत सिंह :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखों को भर्ती करने के लिये भारत में कितने ब्रिटिश भर्ती शिविर हैं;

(ख) वर्ष 1960 से लेकर 1966 तक की अवधि में इन केन्द्रों के जरिये ऐसे कुल कितने व्यक्ति भर्ती किये गये;

(ग) उन्हें इधर-उधर भेजने की सुविधाओं के लिए भारत में कितने आवाजाही कैम्प हैं ;

(घ) उक्त अवधि में इन शिविरों के माध्यम से कुल कितने कर्मचारी इधर-उधर भेजे गये;

(ङ) इन कर्मचारियों के लिये राशन, विशेषतः अनाज कहां से प्राप्त किया जाता है; और

(च) क्या गोरखा भर्ती कैम्पों तथा आवाजाही कैम्पों की गतिविधियों पर हमारी गुप्तचर सेवा पूरी निगरानी रखती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बैरकपुर में एक मार्ग शिविर है ।

(घ) और (ङ) सुलभ होने योग्य सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

(च) संबद्ध देशों के साथ हमारे संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण हैं ।

वाशिंगटन में भारतीय राजदूतावास में विशेष सूचना विभाग

56. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूतावास में एक "विशेष सूचना विभाग," जो विशेष रूप से कृषि के बारे में सूचना देगा, खोलने की कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : इस सुझाव पर विचार किया गया है लेकिन धन की कमी के कारण राजदूतावास के सूचना कक्ष में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना संभव नहीं हो सका है; यह कक्ष आर्थिक कक्ष के साथ-साथ अपने प्रचार कार्य के अलावा कृषि सूचना का कार्य भी करता है ।

जम्मू में सैनिक स्कूल

57. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या रक्षा मंत्री 8 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1557 के उत्तरके सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को जम्मू में एक सैनिक स्कूल खोलने के बारे में जम्मू और काश्मीर सरकार से इस बीच कोई प्रार्थना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलि राम भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत और चीन के संबंध

58. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ लोक सभा के प्रथम सत्र में हमारे प्रधान मंत्री ने चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिये प्रयास करने की घोषणा की थी क्या तब से भारत अथवा चीन की ओर से दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों को सुधारने की दिशा में कोई विशेष प्रयास किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये प्रयास किस प्रकार के हैं; और

(ग) क्या चीन और भारत के सम्बन्धों में किसी प्रकार का सुधार हुआ है अथवा वे पहले से भी खराब हो गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : हालांकि भारत सरकार पहले की तरह अब भी संबंध सुधारने के लिए तैयार है। फिर भी चीन सरकार ने सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है। इसके बजाए, उन्होंने पहले से ज्यादा शत्रुतापूर्ण रवैया अख्तियार किया है; वे लोगों को और भारत सरकार को बुरा-भला कह रही है और इस देश में हिंसात्मक क्रांति की बात कह रही है। इस दृष्टि से, कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए हैं।

A. I. R. Correspondents

59. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the proposal to appoint A. I. R. correspondents in the capitals of certain countries has been finally accepted;

(b) the capitals where these correspondents will be appointed;

(c) whether there are proposals to station the correspondents at capitals of other countries also; and

(d) if so, the details thereof and when these are likely to be implemented ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, sir.

(b) One correspondent each is proposed to be stationed at Adis Ababa Africa and the other in Hong Kong in South East Asia.

(c) No, Sir so far as immediate future is concerned.

(d) Does not arise.

Broadcast in Foreign Languages

60. **Shri Onkar Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of new broadcasts in foreign languages started during the last five years, especially after the Chinese aggression on All India Radio and the names of languages in which these broadcasts are being made;

(b) whether Government have since made any efforts to make any assessment through Indian and foreign observers in regard to the effect and popularity of these broadcasts; and

(c) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Three new services in foreign languages were introduced after the Chinese aggression. These were in Thai, Sinhala and Afghan-Persian.

(b) & (c) The only way to assess the effect and popularity of these broadcasts is to depend upon letters of listeners and periodic reports received from our Missions in the target areas. The External Services Division does not, at present, have adequate resources to conduct proper listening surveys abroad to assess in depth the impact of our broadcasts.

Naga Rebels' Contracts With Foreign Countries

61. **Shri Onkar Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of countries with which Naga rebels have established their contacts;

(b) whether it is a fact that the representatives of Naga rebels have visited Pakistan, China, Britain and U.S.A.; and

(c) whether any foreign Governments have been supplying arms and other military equipment to the Naga rebels ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) According to information available with the Government of India the Underground Nagas have contacts with Pakistan and China.

(b) Yes, Sir. Mr. A. Z. Phizo with his two followers is living in the U. K. since 1960. He has recently gone to U. S. A. ostensibly for seeking medical treatment which presumably is not available in the United Kingdom.

(c) Yes, Sir. Pakistan has been supplying arms and other equipment to the Underground Nagas. We do not have precise information at this stage, about the extent of help and equipment received by the Underground from China.

Indian Missions Abroad

62. **Shri Ram Charan : Will the Minister of External Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Indian Missions abroad ;

(b) the total number of Ambassadors, High Commissioners etc. appointed therein ;

(c) the total expenditure incurred thereon during the year 1965-66 ; and

(d) the extent of increase in the expenditure after devalation ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) There are 97 Missions and Posts.

(b) Seriatim there are Ambassadors, etc.	53
High Commissioners, Commissioners, etc.	26
Consuls General, Consuls etc.	28
Total :	97

(c) Rs. 672. 86 lakhs, under the Ministry of External Affairs budget.

(d) The extent of increase in expenditure due to devaluation is Rs. 271·87 lakhs.

उड़िया वृत्त-चित्र

63. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़िया भाषा में कोई नये वृत्त-चित्र अथवा न्यूज रील तैयार की जा रही है अथवा क्या वर्ष 1967 में इनके तैयार किये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं, उनकी विषय-वस्तु क्या है और उन्हें कब प्रदर्शित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : उड़िया भाषा में कोई वृत-चित्र या समाचार चित्र नहीं बनाया गया है और न बनाने का विचार है। उड़ीसा में सार्वजनिक सिनेमा घरों में दिखाने के लिए वृत्त और समाचार-चित्रों को उड़ीसा में डब कर लिया जाता है। प्रति सप्ताह औसतन एक वृत्त-चित्र और एक समाचार-चित्र दिखाने को दिए जाते हैं। उड़िया में डब किए गए वृत्त-चित्रों और समाचार-चित्रों की संख्या और नाम एकत्रित किए जा रहे हैं और उन्हें सदन की मेज पर यथा समय रख दिया जाएगा।

नागाओं के संबंध में चीन द्वारा प्रसारण

64. **श्री स्वैल : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ नागाओं के चीन में सफलता पूर्वक प्रवेश से उत्पन्न स्थिति के बारे में पेकिंग रेडियो से किये जाने वाले प्रसारणों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार इन प्रसारणों को भारत के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप समझती है ; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नागालैंड की स्थिति अधिक गंभीर हो गई है क्या सरकार नागा समस्या को हल करने के लिए कोई नए उपाय कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) नागालैंड भारत का अभिन्न अंग है । चीन द्वारा भारत के खिलाफ नागालैंड के संदर्भ में जो गंदा प्रचार किया जाता है, वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए हमारे अन्दरूनी मामलों में स्पष्ट हस्तक्षेप है ।

(ग) भारत सरकार ने इस आशा और विश्वास के साथ छिपे नागाओं के प्रतिनिधियों से कई बार बातचीत की है कि अन्ततः नागालैंड में व्यवहार में आने योग्य शांति-पूर्ण हल निकल आएगा । इस निश्चय के अनुरूप उन्हें आशा है कि छिपे नागा लोग अपनी गलती को पहचानेंगे और युद्धविराम की तमाम व्यवस्थाओं पर ईमानदारी से अमल करेंगे । आशा है कि छिपे नागाओं की व्यवस्था में जो पथभ्रष्ट उग्रवादी तत्व हैं, वे शांति और तर्क का मार्ग अपना लेंगे ।

पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री की रेडियो वार्ता का सम्पादन

65. **श्री स्वैल :**
श्री राने :
श्री गणेश घोष :
श्री बी० के० मोदक :
श्री भगवान दास :
श्री उमानाथ :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री समर गुह :
श्री बी० च० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० रानेन सेन :
श्री मधु लिमये :
श्री पी० सी० अदिचन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री देवेन सेन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मीठा लाल :
श्री बलराज मधोक :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री अनन्तराव पाटिल :
श्री सूपकर :
श्री हलदर :

श्री श्रीधरण :
श्री बासुदेवन नायर :
श्री सी० जनार्दनन् :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री काशी नाथ पांडे :
श्री डी० एन० देव :
श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :
श्री पी० गोपालन :
श्री सी० के० चंक्रपाणी :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री के० एम० मधुकर :
श्री सेझियान :
श्री अम्बाजगन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री की 1 मई, 1967 को होने वाली रेडियो वार्ता रद्द कर दी गई थी क्योंकि आकाशवाणी ने उनकी पाण्डुलिपि में से कुछ भागों को काट छांट दिया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या प्रसारण के लिये पाण्डुलिपि में काटछांट करने के बारे में कोई सिद्धान्त बनाये गये हैं अथवा बनाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख) : पश्चिमी बंगाल के श्रम मन्त्री की रेडियो वार्ता इसलिए न हो सकी क्योंकि स्टेशन डायरेक्टर ने जब वार्ता की पाण्डुलिपि पढ़ी तो उसमें कई बातें ऐसी देखी जो कि अधिकृत आचार संहिता के विरुद्ध थी। इस आचार संहिता के अनुसार और बातों के अलावा, किसी राजनैतिक दल का नाम लेकर जिक्र करने और संविधान की धाराओं के विपरीत किसी बात को कहने की आज्ञा नहीं दी जा सकती थी। स्टेशन डायरेक्टर ने श्रम मन्त्री से प्रार्थना की कि उसको उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने का अवसर दिया जाए ताकि इन बातों को उनके सामने रखा जा सके। स्टेशन डायरेक्टर ने श्रम मन्त्री की वार्ता को सम्पादित नहीं किया। मन्त्री महोदय ने पाण्डुलिपि पर बातचीत करना मन्जूर नहीं किया और वार्ता रद्द कर दी।

(ग) सब वार्ताओं के मार्गदर्शन के लिए ये सिद्धान्त हैं कि किसी भी राजनैतिक दल का नाम लेकर जिक्र न किया जाए और कोई बात संविधान की धारा के विरुद्ध न कही जाए।

आकाशवाणी द्वारा 'हवा महल' रूपक का प्रसारण

66. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री ए० क० किस्कु :
श्री एस० एन० मैती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से प्रतिदिन रात्रि के समय 9·15 बजे 'हवा महल' शीर्षक के अन्तर्गत प्रसारित किये जाने वाले रूपकों की बार-बार पुनरावृत्ति की जाती है और ये श्रोताओं को अच्छे नहीं लगते;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल में रूपक आदि अंग्रेजी के कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय बढ़ गया है, जिससे भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से हिन्दी के कार्यक्रमों को कम करना पड़ा;

(ग) क्या यह भी सच है कि महानिदेशक के बदल जाने पर आकाशवाणी की भाषा सम्बन्धी नीति भी बदल जाती है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Relations Between India and Nepal

67. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government for promoting good neighbourly relations between India and Nepal ;

(b) whether these steps have resulted in achieving the desired results ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) The Government of India have taken numerous steps to promote the traditional good neighbourly relations between India and Nepal. The Treaty of Peace and Friendship, 1950, the Treaty of Trade & Commerce 1950 later revised and renewed as the Treaty of Trade and Transit 1960, formalised, to an extent, these good relations. The age-old relations between India and Nepal cover many levels and at all levels steps have been taken to maintain and strengthen them.

The traditional free movement of Indians and Nepalese across their common border has been maintained and contributes to the continuity and depth of contacts between the two peoples. The completely open Indo-Nepal border of several hundred miles is, as it were, a symbol of the harmonious relations between the two countries.

The respective visits to India of His Majesty the King of Nepal in December, 1965, of Shri Surya Bahadur Thapa, Prime Minister of the Nepal Council of Ministers in April 1966 and the visit of our Prime Minister to Nepal in October 1966 have further strengthened the understanding between, and friendship of, the two countries. In the joint communique issued on 7th October 1966 at the end of the visit of our Prime Minister it is stated that both Government regard the Prime Minister's visit as an important milestone in the further development of friendly relations between the two countries. The talks held at that time clearly underlined the similarity of approach to international issues based on the principles of non-alignment and peaceful co-existence. Both Governments reaffirmed the unanimity of views on major internal issues.

In the field of **Trade and Commerce** regular visits and discussions have contributed to understanding between the two countries. To reach further understanding on matters arising out of the Treaty of Trade and Transit 1960, a Memorandum of understanding was signed on 27th December 1966 in Kathmandu after discussions between representatives of both Governments. In this Memorandum, it was agreed to set up a number of committees to study various problems and aspects of the trade with, and transit trade of, Nepal. Decisions were taken to facilitate the imports from Nepal into India and other problems relating to transit traffic and bliateral trade and commerce matters were discussed. On the basis of the understanding arrived at, an Inter-Governmental Joint Committee comprising of representatives of both Governments met in March, 1967 in Delhi to discuss various matters relating to trade with and transit facilities for Nepal. These periodic meetings enable the commercial relations between the two countries to be studied and occasional problems identified and settled. The Inter-Governmental Joint Committee is scheduled to meet once every quarter, alternatively in India and in Nepal.

India's programme of **economic co-operation** with Nepal is varied and covers many fields. It has now grown fairly large and during the last Five Year Plan period, the Government of India spent about Rs. 20 crores on the various programmes for economic development in Nepal. During the Prime Minister's visit to Nepal in October 1966, our preparedness to continue to assist Nepal in this field was reiterated and it was announced that India would be prepared to spend twice as much on her programme of economic co-operation with Nepal during the current five year period as against the previous five year period. The Government of Nepal have appreciated both the programme of economic co-operation and the general tempo of implementation of various projects in Nepal in the last few years. There are also schemes of mutual benefit such as the Kosi project ; on 19th December 1966 the Government of India and the Government of Nepal entered into the revised Kosi Agreement which will enable work to be taken up on the Western Kosi Canal. This will contribute to increasing the irrigation facilities and production of food in fairly large areas in Bihar.

(b) In the context of our age-old and friendly relations with Nepal, we feel that the various steps we have taken, some of which have been mentioned above, have helped in maintaining and strengthening the traditional good neighbourly relations between our two countries.

(c) Does not arise.

केरल के प्रादेशिक दैनिक समाचार-पत्र

68. **श्री ई० के० नयानर : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के प्रादेशिक दैनिक समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने के मामले में सरकार कोई भेद-भाव बरतती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष की अवधि में केरल में मलयालम भाषा के दैनिक समाचार पत्रों को सरकार ने कितना विज्ञापन दिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं, विभिन्न राज्यों में समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के सम्बन्ध में एक सी नीति अपनाई जाती है और क्षेत्रीय

भेद भाव का ध्यान नहीं रखा जाता। अतः केरल राज्य में छपने वाले समाचार पत्रों से कोई अलग स्लूक नहीं किया जाता।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

चरागाहों को पट्टे पर देना

69. **श्री हेमराज : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने पशुओं को चराने के अधिकारों समेत चरागाह भूमि 1939 में कांगड़ा जिले में चारी गांव के निवासियों से पट्टे पर ली थी;

(ख) यदि हां, तो कितने किराये पर और इस समय चारी गांव की पंचायत को उस भूमि का कितना किराया दिया जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि पट्टे की शर्तों की अवधि 1960–61 में पूरी हो गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भूमि खाली कर दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ.) क्या यह भी सच है कि प्रतिरक्षा अधिकारी अब वहां के निवासियों को उस भूमि में पशु नहीं चराने देते; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : चारी गांव जिला कांगड़ा में 1614·50 एकड़ भूमि, भूस्वामियों की स्वीकृति से पिछले महायुद्ध की अवधि और उसके 6 मास पश्चात् तक के लिए बिना किराए के ली गई थी। युद्ध की समाप्ति पर 227·45 कनाल को छोड़ कर वह भूमि विमुक्त कर दी गई थी। यह भूमि और इसके साथ लगती 243·20 कनाल भूमि 1 अक्तूबर 1946 से 15 वर्ष के लिए 673 रुपये 50 पैसे वार्षिक किराये पर पट्टे पर ली गई थी। इस पट्टे को 31 मार्च, 1967 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है, और 30 सितम्बर 1964 तक 673·50 रुपये किराया अदा करदिया गया है। शेष अवधि के लिए भी किराया अदा करने का कार्य हस्तगत है।

(घ) से (च) : भूमि सक्रियता से प्रयोग में है और सेना के कब्जे में है, और उसे खाली करने का प्रश्न नहीं उठता। इस पट्टे से भूस्वामियों को कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि वह उस में अपने पशु चराएं।

छम्ब के निकट बम विस्फोट

70. **श्री आतम दास : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 अप्रेल, 1967 को छम्ब के निकट मंडियाला ग्राम के पास एक बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पाकिस्तानियों द्वारा किया गया तोड़फोड़ का मामला था;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलि राम भगत) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : मामले की जांच की गई है। किसी प्रकार के अन्तर्ध्वंस-कार्य का सन्देह नहीं है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा डिवीजन (न्यूज सर्विसिज डिवीजन)

71. **श्री ओंकार लाल बेरवा:**

श्री मीठा लाल:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के समाचार सेवा डिवीजन को प्रेस सूचना विभाग के नियन्त्रण में लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता।

Visit of M. Ps. Abroad

72. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Rama Chandra Veerappa :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of M. Ps. who visited foreign countries between the 1st June, 1952 and 1st January, 1967 ;

(b) the purpose of their visit and the amount spent thereon ;

(c) the number of M. Ps. among them who visited foreign countries more than once; and

(d) the manner in which these selections were made ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) During the years 1965 and 1966, excluding Ministers 52 M. Ps. were sponsored by this Ministry to visit foreign countries. A statement showing the names of M.Ps., purpose of visit and estimated expenditure is laid on the Table of the House. **[Placed in Library, See. No. LT. 335/67]** It is regretted that figures for the earlier years are not readily available, since no separate account was kept of MPs. sent abroad.

(b) Most of these MPs. were sent on goodwill Missions by the late Prime Minister Lal Bahadur Shastri ; others were deputed to participate in various International Conferences ; approx. Rs. 4,45,000.00.

(c) Two, so far as the figures for 1965 and 1966 are concerned.

(d) The selections are made by the Prime Minister in consultation with the Foreign Minister and the Speaker, taking into account the suitability of the deputationists.

पाकिस्तानी सेना का जमाव

73. **श्री समर गुह :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान काश्मीर सीमा के साथ-साथ अपनी सेना जमा कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान इस सीमा के साथ-साथ चीन के ढंग की कवच कोठड़ियां, (पिल बाक्स) बंकर और खाइयां बना रहा है;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि काश्मीर सीमा के साथ-साथ पाकिस्तान ने भारी बख्तरबन्द गाड़ियों का जमाव भी आरम्भ कर दिया है;

(घ) क्या सरकार ने इन तथ्यों की ओर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों का ध्यान आकृष्ट कराया है; और

(ङ.) पाकिस्तान की इन प्रकार की शत्रुतापूर्ण कार्यवाही की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या पूर्वोपाय किये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) से (ङ) : पाकिस्तान ने, पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में नियुक्त तथाकथित आजाद काश्मीर बटालियनों समेत, अपनी इन्फेंट्री शक्ति प्राय: दुगनी करली है, और अपना आर्मर भी काफी संवर्धित कर लिया है । रक्षा निर्माण भी तेजी से हो रहा है । सीमा के पार पाकिस्तानी शक्ति, उसकी गतिविधि और तैयारी के सम्बन्ध में विस्तार देना लोकहित में नहीं है । जहां तक युद्धविरामरेखा के पार पाकिस्तान संक्रियता युद्धविराम समझौते से संगत नहीं है, उल्लंघन संबंधी शिकायतें संयुक्त राष्ट्रों से की गई हैं । भारत की सुरक्षा के साथ-साथ, सरकार को पाकिस्तान की ओर अभिवर्धन का भी ध्यान है, और उपयुक्त प्रतिकर उपाय किए जा रहे हैं ।

सैनिक स्कूल

74. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के समस्त सैनिक स्कूलों के कार्य-संचालन तथा प्रबन्ध के बारे में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि सैनिक स्कूलों में किया जाने वाला कार्य, उनमें लगी हुई भारी राशि की तुलना में बिल्कुल भी सन्तोषजनक नहीं है;

(घ) क्या कोठारी आयोग ने इन स्कूलों के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की थी और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो सैनिक स्कूलों को कोठारी आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलि राम भगत) : (क) से (ङ) : सरकार ने सैनिक स्कूलों के कृत्य और प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की। प्रबन्ध बोर्ड ऑफ गवर्नर के माध्यम से एक स्वायत्त समिति के हाथ में है, जिसका उत्तरदायित्व है स्कूलों को चलाना। किसी अन्य सैनिक स्कूल के प्रिन्सिपल और किसी पब्लिक स्कूल के प्रिन्सिपल द्वारा संयुक्त आवधिक निरीक्षणों इत्यादि उपायों तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश और भारतीय स्कूली प्रमाणपत्र परीक्षाओं के परिणामों द्वारा, यह बोर्ड इन स्कूलों के विकास और प्रगति का पुनरीक्षण करता रहा है। स्कूलों की प्रगति, जो केवल 1961 से ही चालू किए गए हैं, संतोषजनक समझी जा सकती हैं।

कोठारी कमीशन ने देश में शिक्षा का व्यापक पुनरीक्षण किया है, और आशा है कि इसकी सिफारिशों पर लिए गए निर्णय सैनिक स्कूलों के कृत्य में भी प्रतिबिम्बित होंगे। इन स्कूलों को शिक्षा कमीशन के क्षेत्र से बाहर रखने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

सैनिक स्कूल भुवनेश्वर

75. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार को ज्ञात है कि (1962 से) 48 शिक्षक सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर छोड़ कर चले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलि राम भगत) : (क) तथा (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रखदी जाएगी।

सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर

76. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भुवनेश्वर स्थित सैनिक स्कूल के 15 कार्यालय सहायकों में से 10 कार्यालय सहायक केरल के रहने वाले हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रिक्त स्थानों की सूचना काम दिलाऊ दफ्तरों को भेजी गई थी या स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापित की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) से (घ) : सदस्य महोदय द्वारा मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है, और यथा समय सभा के पटल पर रखदी जाएगी।

पाकिस्तानी सेना

77. **श्री पी० पार्थसारथी :** **श्री शशि रंजन :**
श्री आर० डी० रेड्डी : **श्री सीताराम केसरी :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने अपनी सेना बढ़ा ली है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इस संबंध में क्या कारगर प्रतिकारात्मक उपाय किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री: (श्री स्वर्णसिंह) : (क) से **(ग)** : 1965 से अब तक पाकिस्तान ने तथाकथित आज़ाद काश्मीर बटालियनों समेत, अपनी शक्ति प्रायः दुगनी करली है । सहायक हथियारों और आर्मर में उन्होंने पर्याप्त अभिवर्धन कर लिए हैं । अपनी रक्षा योजनाओं में इन सभी अभिवृद्धियों का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है । इन योजनाओं के विस्तार देना लोकहित में नहीं होगा ।

दरभंगा में आकाशवाणी केन्द्र

78. **श्री शिवचन्द्र झा :** **श्री ललित सेन :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री के० एम० मधुकर :**
डा० कर्णी सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की योजना दरभंगा जिला, बिहार के दरभंगा या मधुबनी स्थान पर एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब स्थापित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री: (श्री के. के. शाह) : (क) और (ख) : आकाशवाणी की चौथी पंचवर्षी योजना में दरभंगा में रेडियों केन्द्र खोलने की व्यवस्था है, बशर्ते योजना अवधि में इस कार्य के लिए विदेशी मुद्रा सहित अपेक्षित धन उपलब्ध हो जाए ।

भारत में समाचार पत्रों पर एकाधिकार

79. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान समाचार-पत्रों का स्वामित्व बहुत तेज़ी से कुछ व्यक्तियों के हाथ में आ गया है; और

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में समाचारपत्रों के स्वामित्व को केवल कुछ लोगों के हाथ में न जाने देने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रीः (श्री के. के. शाह) : (क) तथा (ख) : यह सच नहीं है कि पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुछ व्यक्तियों के हाथ में अनेक समाचार पत्रों का स्वामित्व तेजी से आ गया है। अनेक पत्रों के एक स्वामित्व में जाने के रुख के अध्ययन से पता चलता है कि ऐसी शृंखलाओं की संख्या 1961 में 59 थी जो अगले दो वर्षों में बढ़कर 66 हो गई थी। परन्तु यह संख्या धीरे-धीरे कम होती गई और 1964,65, 66 में क्रमश: 63,59,57 हो गई। यह भी बताना उचित होगा कि सरकार द्वारा स्थापित प्रेस परिषद् का जहां एक काम ऐसी गतिविधियों का अध्ययन करना है जिनसे समाचार पत्रों में एकाधिकार या एक मालिक के हाथ में कई समाचार पत्रों के आने की प्रवृति बढ़ती है, वहां परिषद् का काम समाचार पत्रों के स्वामित्व और आर्थिक ढांचे का अध्ययन करना और यदि आवश्यक हो तो त्रुटियों को दूर करने के उपायों को सुझाना भी है। परिषद् को इस विषय का ध्यान है और उसके लिये एक विशेष कमेटी स्थापित कर दी है।

Diplomatic Relations With Israel and Formosa

81. Shri Hardayal Devgun :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Baburao Patel :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Governments of Israel and Formosa want to establish diplomatic relations with India ; and

(b) if so, the reasons for not establishing diplomatic relations with them ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) : (a) The Government of India have received no request for recognition from the KMT authorities of Formosa. No request for the establishment of diplomatic relations with Israel has been received recently from the Government of Israel.

(b) The Government of India have recognised the People's Republic of China. The Government of the People's Republic of China is in effective control of the mainland of China. The KMT Government, which effectively controls only Taiwan and a few other smaller islands, cannot be considered as the Government of China, which it claims to be.

Government do not propose to establish diplomatic relations with Israel as the situation has not changed warranting any review of our relations with Israel.

केरल के लिए अणु शक्ति संयंत्र

82. **श्री ए० श्रीधरण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में एक अणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिये प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

अणु शक्ति विभाग में राज्य मंत्रीः (श्री गुरूपाद स्वामी) : (क) जी, नहीं। (ख) प्रश्न ही नहीं उठता

नई दिल्ली में स्टाफ आर्टिस्ट

83. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री के० प्रधानी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 अप्रैल, 1967 को आकाशवाणी के नई दिल्ली केन्द्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्ध रखने वाले स्टाफ आर्टिस्टों और कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री : (श्री के० के० शाह) :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
स्टाफ आर्टिस्ट	2	1
अन्य कर्मचारी	32	–
योग	34	1

चीनियों द्वारा अपहृत पुलिसमैन तथा अन्य व्यक्ति

84. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री के० प्रधानी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1967 से लेकर अब तक भारत-तिब्बत सीमा पर चीन के सशस्त्र सैनिकों द्वारा कितने पुलिसमैनों तथा अन्य व्यक्तियों का अपहरण किया गया ;

(ख) क्या सरकार ने चीन सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री : (श्री मु० क० चागला) : (क) : जहां तक सरकार को जानकारी है, 1 अप्रैल, 1967 से अब तक भारत-तिब्बत सीमा के साथ-साथ चीनी कर्मचारियों द्वारा अपहरण करने का कोई मामला नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

जयपुर (उड़ीसा) में स्टाफ आर्टिस्ट

85. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री के० प्रधानी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरापट जिला (उड़ीसा) में आकाशवाणी के जैपुर केन्द्र में स्टाफ आर्टिस्टों और अन्य कर्मचारियों की वर्तमान संख्या क्या है; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की संख्या क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री : (श्री के० के० शाह) :

(क)	स्टाफ आर्टिस्ट	2
	अन्य कर्मचारी	34

(ख)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
स्टाफ आर्टिस्ट	–	–
अन्य कर्मचारी	4	5

हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर

86. **श्री रामचन्द्र उलाका : श्री के० प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर विमानों के निर्माण में अपेक्षित सभी पुर्जे देश में बना सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर इस समय स्वयं कितने प्रतिशत पुर्जे बनाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री : (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : जी नहीं। यथा संभव देशीय क्षमता का निर्माण किया जा रहा है। हिन्दुस्तान वैमानिकी लि० में उत्पादित संघटकों का प्रतिशत जो विमान की किस्म पर निर्भर है, 80 से 90 प्रतिशत तक विभिन्न है।

एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों का सेवा मुक्त किया जाना

87. **श्री शिवपूजन शास्त्री :**
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ओर तो एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को इस आधार पर कि उनकी आयु अधिक है सेना की सेवा से मुक्त किया जा रहा है तथा दूसरी ओर भारतीय कमीशन (नियमित) प्राप्त 600 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसी प्रकार के 600 और अधिकारियों के निकट भविष्य में पुनः नियुक्त किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की 'छंटनी' और उन्हें सेवा मुक्त करने तथा भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पुनः नियुक्त करने सम्बन्धी अपनी नीति पर पुर्नविचार करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री : (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। सेवा से विमुक्त हुए अफसरों की पुर्ननियुक्ति के कोई नियत कोटा नहीं है। केवल उन्हीं सेवा से बिमुक्त अफसरों को लिया जाता है जो पुनः रोज़गार के लिए प्रार्थना पत्र भेजते हैं और सभी तरह से उपयुक्त पाए जाते हैं।

(ग) जी नहीं। ई० सी० ओज़ की विमुक्ति और चुने पदों पर सेवा से विमुक्त नियमित अफसरों की नियुक्ति में परस्पर कोई संबंध नहीं है। ई० सी० ओज़० जो अपनी आयु के कारण अनर्ह हों, या स्थायी कमीशन के लिए सेवाओं के चयन बोर्ड, द्वारा उपयुक्त न पाए जाएं, या जो स्थ यी कमीशन के लिए प्रार्थना न करना चाहें, उन्हें 1967 से 70 तक वर्षों में एक प्रावस्थित कार्यक्रम के अनुस र सेवा से विमुक्त किया जा रहा है। पुनः रोज़गार चाहने वाले सेवा से विमुक्त नियमित अफसरों को ऐसी नियुक्तियों पर लगाया जाता है, जहां भारी व्यवसायिक अनुभव और योग्यता दरकार हो।

एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों का विदेशों के राजनयिक दूतावासों से सम्पर्क करना

88. **श्री शिवपूजन शास्त्री** :
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना से संभवत : सेवा मुक्त किये जाने वाले आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी नौकरियों के लिये विदेशी राजनयिक दूतावासों से सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं;

(ख) क्या उनके वर्तमान पदों के समान पद उन्हें न मिलने के कारण ही वे ऐसा कर रहे हैं;

(ग) क्या प्रतिरक्षा संस्थान/सैनिक मुख्यालय दिल्ली ने कड़ी रोक लगा कर इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न किया है;

(घ) क्या समान नौकरियां तथा रोजगार के अन्य साधन भी बढ़ाये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री : **(श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) ऐसे कुछ मामले दृष्टिगोचर हुए हैं।

(ख) ऐसा लगता है कि रोज़ के अनेक साधनों में से एक यह है, जिसकी कुछ ई० सी० ओज़० गवेषणा करना चाहते हैं।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कोई विशेष पग नहीं उठाए गए। वर्तमान निर्देश जो सेवाओं के सेविवर्ग को विदेशी दूतवासों से सीधे सम्पर्क स्थापित करने का निषेध करते हैं, समय समय पर निम्न विरचनाओं में दुहराए गए हैं। अब उन्हें फिर दुहराया गया है।

(घ) जी हाँ। नियुक्ति के पश्चात् आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों को पुनरावासित करने के लिए यथा सम्भव सभी मार्गों की गवेषणा की जा रही है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी

89. **श्री शिवपूजन शास्त्री** :

श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चयन बोर्ड अथवा किसी अन्य प्रतिरक्षा प्राधिकार ने लद्दाख तथा अन्य ऊंचे स्थानों पर तैनात एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को परीक्षायें देने के लिये कहा था तथा उन्हें वहां के मौसम का अभ्यस्त होने के लिये 48 से 72 घंटे का समय भी नहीं दिया गया;

(ख) क्या किन्हीं एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिये;

(ग) क्या इन अभ्यावेदनों को अस्वीकार कर दिया गया; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री : (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) : स्थायी कमीशन देने के लिए सेवाओं के चयन बोर्डों के सामने प्रस्तुत होने से पहले, आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों को काफी नोटिस दिया जाता है। सेवाओं के चयन बोर्डों तक पहुंचने से पहले उन्हें अपना शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य बहाल करने के लिए काफी समय मिलता है। चिकित्सा दृष्टिकोण से देशानुकूलन के विरूद्ध प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में तीन ई० सी० ओज़ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, और अस्वीकृत कर दिये गए थे, क्योंकि उनमें कोई सार नहीं पाया गया था।

सेना, भारतीय वायु सेना तथा नौ सेना में एमरजेंसी कमीशन

90. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 3 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 200 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आपातकालीन कमीशन केवल सेना में ही दिया जाता है अथवा वायुसेना तथा नौसेना में भी ?

प्रतिरक्षा मंत्री : (श्री स्वर्ण सिंह) : आपाती कमीशनें देने का सिद्धान्त केवल सेना में पुरःस्थापित किया गया था, वायु सेना और नौसेना में नहीं। वह सशस्त्र सेनाओं के तथा बाहर के भी सभी अर्ह प्रत्याशियों के लिए समान रूप से खुली थीं।

उदयपुर (राजस्थान) में स्टाफ आर्टिस्ट

91. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री के० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आकाशवाणी के उदयपुर और जयपुर (राजस्थान) केन्द्र में स्टाफ आर्टिस्टों तथा अन्य कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या क्या है, और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की क्या संख्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री : (श्री के० के० शाह) :

(क) :

	आकाशवाणी उदयपुर	**आकाशवाणी जयपुर**
स्टाफ आर्टिस्ट	2	58
अन्य कर्मचारी	13	141

(ख) :

	अनुसूचित जाति	**अनुसूचित आदिम जाति**	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित आदिम जाति**
स्टाफ आर्टिस्ट	–	–	7	–
अन्य कर्मचारी	1	1	19	7

आंध्र प्रदेश में परमाणु बिजलीघर

93. **श्री पी० पर्थसार्थी : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रार्थना की है कि उस राज्य में एक परमाणु बिजली-घर स्थापित किया जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; **और**

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर 'हाँ' में है तो वह संयंत्र कहां **और** कब स्थापित किया जायेगा ?

अणु शक्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) : आंध्र प्रदेश सरकार से इस निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना नहीं मिली है । तथापि स्थान चयन समिति (साइट सिलेक्शन कमेटी) ने, जो अणु शक्ति विभाग द्वारा 1962 में नियुक्त की गई थी, भविष्य में अणु शक्ति स्टेशन स्थापित करने के लिये तीन स्थानों को चुना था जिनमें आन्ध्र प्रदेश का श्रीसिलम के समीप सोमासिल नामक स्थान भी है । आंध्र प्रदेश द्वारा की गई पूछताछ के उत्तर में उसे यह बता दिया गया है कि आन्ध्र प्रदेश में अणु शक्ति स्टेशन स्थापित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

रूस के मानचित्रों में काश्मीर

94. **श्री डी० एन० देव : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार ने काश्मीर को भारत का अंग दिखा कर अपने मानचित्रों को ठीक कर लिया है; **और**

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) हाल के वर्षों में सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ में जो नक्शे प्रकाशित किए गए हैं, उनमें काश्मीर को भारत का अंग दिखाया गया है। जहां तक भारत सरकार की जानकारी है, यह स्थिति बराबर बनी हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्न की भीषण स्थिति और भूख से मृत्यु के समाचार

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं खाद्य तथा कृषि मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्न की भीषण स्थिति और भूख से मृत्यु के समाचार ।"

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : श्रीमान् मैं एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 331/67] ।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा के मामले पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार किया जायेगा । इस सम्बन्ध में बहुत से स्थगन प्रस्ताव भी रखे गये हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की निन्दा करना है ।

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय मंत्री खाद्य स्थिति पर विचार का प्रस्ताव रखेंगे तो उस समय ऐसा किया जा सकता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : तब केवल चर्चा ही हो सकेंगी ।

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) : स्थगन प्रस्ताव के समय स्थिति पर चर्चा भी की जा सकती है और सरकार की निन्दा भी की जा सकती है । हम जानना चाहते हैं कि क्या स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं अथवा नहीं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर) : हम सरकार की राज्यों को, विशेषतया गैर-कांग्रेसी शासन वाले राज्यों को, खाद्यान्न न देने के लिए निन्दा करना चाहते हैं, ऐसा मन्त्री महोदय के प्रस्ताव पर नहीं किया जा सकता । हमें बताया जाना चाहिये कि क्या स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं अथवा नहीं ।

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : स्थगन प्रस्ताव हाल ही की घटना के सम्बन्ध में होना चाहिये । खाद्यान्न की स्थिति हाल ही में उत्पन्न हुआ मामला नहीं है । माननीय मंत्री एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहें हैं और सदस्य किसी प्रकार का संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं । उसे मतदान के लिए रखा जा सकता है । मेरे विचार में इसे स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : खाद्य समस्या देश की सबसे बड़ी समस्या है यदि सभा इस पर चर्चा करना चाहती है तो मैं 2 घंटे का समय दे सकता हूं । भले ही वह स्थगन प्रस्ताव के रूप में ही क्यों न हो जो सदस्य स्थगन प्रस्ताव लिए जाने के पक्ष में है, वे कृपया खड़े हो जायें········ । उनकी संख्या 50 से अधिक है । प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है । स्थगन प्रस्ताव 4 बजे लिया जायेगा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र *(Papers Laid on the Table)*

भारतीय सांख्यिकीय संस्था, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी की ओर से अप्रेल, 1965 से मार्च, 1966 तक की अवधि के लिये भारतीय सांख्यिकीय संस्था, कलकत्ता, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०** 324/67]

चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ ।

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति

(एक) चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 4 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 279 में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०** 189/67]

(दो) चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) दूसरा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 25 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 405 में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०** 189/67]

(2) बड़े पैमाने पर संचार के माध्यम के समन्वय के विषय में प्रसारण तथा सूचना माध्यम संबंधी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०** 325/67]

संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत अधिसूचनायें

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) भ्रष्टाचार-निरोध विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का संख्या 3) जो राष्ट्रपति द्वारा 5 मई, 1967 को प्रख्यापित किया गया । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०** 326/67]

(2) पारपत्र (पासपोर्ट्स) अध्यादेश, 1967 (1967 का संख्या 4) जो राष्ट्रपति द्वारा 5 मई, 1967 को प्रख्यापित किया गया । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०** 327/67]

नौसेना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्णसिंह) : मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुन: सभा-पटल पर रखता हूँ :–

(1) भारतीय रक्षित नौसेना तथा भारतीय स्वयंसेवी रक्षित नौसेना (संशोधन) विनियम, 1967 जो दिनांक 18 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 55 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (चौथा सशोधन) विनियम, 1967 जो दिनांक 18 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 56 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (संशोधन) विनियम, 1967 जो दिनांक 4 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 76 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 92/67]**

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (संशोधन) नियम

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डा० एरिंग) : मैं श्री अन्नासाहेब शिन्दे की ओर से राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 6 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 637 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 328/67]**

राजस्थान राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा का प्रतिसंहरण करने वाली उद्घोषणा

गृहकार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 26 अप्रैल, 1967 को जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जिसके द्वारा राजस्थान राज्य के सम्बन्ध में 13 मार्च, 1967 को उनके द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया तथा जो 26 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 624 में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 329/67]**

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

Re : CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैंने ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के बारे में आपको लिखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव के सम्बन्ध में संसद-कार्य मंत्रालय की बातें तथा उसके अफसरों का प्रयोग कांग्रेस प्रतिनिधियों को लाने के लिए किया गया .... ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I want your guidance in the matter of Adjournment Motions.........

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी उनके बारे में कोई निर्णय नहीं किया है ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : हम पश्चिमी एशिया की स्थिति जैसे कई महत्व-पूर्ण मामलों पर चर्चा उठाना चाहते हैं। हमने इन मामलों पर ध्यान दिलाने वाली सूचना द्वारा आपका ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया है, यदि आप उनकी अनुमति नहीं देंगे तो हम यह मामले किस प्रकार उठा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आज लगभग 80 ध्यान दिलाने वाली सूचनायें तथा स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । कुछ ही क्षण में इनके बारे में निर्णय नहीं किया जा सकता था । आज 4.30 बजे एक बैठक में इस बारे में विचार किया जायेगा ।

सदस्य का त्यागपत्र

RESIGNATION OF MEMBER

(डा० बसन्त नारायण सिंह)

अध्यक्ष महोदय : डा० बसन्त नारायण सिंह ने, जो कि हजारी बाग निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के एक निर्वाचित सदस्य हैं, 13 मई, 1967 से लोक सभा में अपना स्थान त्याग दिया है ।

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

पहला प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं विशेषाधिकार समिति का पहला प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

कुप्पुम स्टेशन पर रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. RAILWAY ACCIDENT AT KUPPAM STATION

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : महोदय, मैं बड़े खेद के साथ दक्षिण रेलवे के मद्रास डिवीजन में बैंगलूरु, जोलारपेट्टे इकहरी बड़ी लाइन खण्ड के कुप्पुम स्टेशन पर नं० 26 अप आइलैंड एक्सप्रेस गाड़ी के पटरी से उतर जाने के सम्बन्ध में एक बयान देने के लिए खड़ा हूं ।

पिछली रात लगभग 21.52 बजे जब कुप्पुम स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ी को वहाँ की लूप लाइन पर लिया जा रहा था, तब वह प्रस्थान सिगनल को लाँघ कर बालू-हम्प में जा घुसी। इससे गाड़ी का इंजन और उसके साथ के तीन डिब्बे पटरी से उतर गये।

सबसे बाद में मिली सूचना के अनुसार 22 लाशें निकाली जा चुकी हैं और मलवा हटाने का काम अभी चल रहा है। 64 व्यक्ति घायल हुए हैं जिनमें से 7 को गहरी चोटें पहुँची हैं।

सूचना मिलते ही जोलारपेट्टै से डाक्टरी सहायता स्पेशल गाड़ी चल पड़ी और 23.15 बजे दुर्घटना-स्थल पर पहुँच गयी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ जनरल मैनेजर सहायता तथा मलवा हटाने के काम की देख-भाल के लिए दुर्घटना-स्थल पर पहुँच गये हैं।

डाक्टरी सहायता स्पेशल गाड़ी से दुर्घटना-स्थल पर पहुँचने वाले रेलवे डाक्टरों, कुप्पुम के सरकारी अस्पताल और एम्पलाईज स्टेट इन्श्योरेंस हास्पिटल के डाक्टरों तथा स्थानीय डाक्टरों ने तुरन्त घायलों की मरहम-पट्टी की। बाद में आगे इलाज के लिए घायलों को अस्पतालों में ले जाया गया। रेलवे राज्य मन्त्री और रेलवे बोर्ड के इन्जीनियरिंग सदस्य आज सबेरे वायुयान द्वारा दुर्घटना-स्थल के लिए रवाना हो गये हैं। घायलों और मृत व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह के रूप में भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।

बेंगलूरु स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, जो पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय के अधीन विधिक प्राधिकारी हैं, कल से इस दुर्घटना की जाँच करेंगे।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : इस दुर्घटना में मरने वालों के प्रति शोक प्रकट करने समूची सभा मन्त्री महोदय से सहमत है। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि दुर्घटनाग्रस्त होने वालों के लिये जोलारपेट्टै तथा बंगलौर से औषधियाँ तथा डाक्टर न भेज कर केवल स्थानीय अस्पताल पर जो कि बहुत छोटा है तथा जिसमें दवाइयाँ भी कम हैं निर्भर रहने के क्या कारण हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : सूचना मिलने पर जोलारपेट्टै तथा बंगलौर से डाक्टरी सहायना स्पेशल गाड़ियां भेजी गई थीं। इनके अतिरिक्त मद्रास से भी एक स्पेशल गाड़ी भेजी गई थी।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता दक्षिण) : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि 22 व्यक्तियों की किस प्रकार मृत्यु हुई जब कि गाड़ी बहुत तेज नहीं चल रही थी और जब कि केवल तीन बोगियाँ ही पटरी से उतरी हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस मामले की जाँच की जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मन्त्री महोदय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जाँच की गई है जो कि पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय में काम करता है और कि जिसको रेलवे बोर्ड से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या मन्त्री महोदय इस दुर्घटना की न्यायिक जाँच कराने को तैयार हैं क्योंकि यह दुर्घटना बहुत सी छोटी घटनाओं के घटने तथा कुंजरु आयोग के प्रतिवेदन के मिलने के पश्चात हुई है।

श्री चे० मु० पुनाचा : रेलवे सुरक्षा संगठन ने इस मामले में तुरन्त जाँच करने का काम अपने हाथ में ले लिया है क्योंकि वही इसके लिये सक्षम है सांविधिक व्यवस्था भी यही है। यह विशेष संगठन पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय के अधीन है।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या (नन्दयाल) : क्या यह दुर्घटना डिब्बों के पटरी से उतर जाने के कारण हुई है अथवा इसमें तोड़फोड़ की भी कोई सम्भावना है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : ऐसा प्रतीत होता है कि यह दुर्घटना डिब्बों के पटरी से उतर जाने के कारण ही घटी है परन्तु इस समय मेरे लिए कुछ कहना कठिन है ।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : मृतक तथा घायलों के सम्बन्धियों को केरल से घटना-स्थल पर पहुँचाने के लिये रेलवे क्या सहायता विशेष कदम उठा रही है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मुझे विश्वास है इस बारे में पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है ।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : क्या सरकार लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिये कि उचित कार्यवाही की जा रही है, इस दुर्घटना की न्यायिक जांच कराना आवश्यक नहीं समझती ?

श्री चे० मु० पुनाचा : माननीय सदस्य ने यह एक सुझाव दिया है । इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने एक बार पहले भी रेलवे यात्रियों के बीमे के बारे में सुझाव दिया था । क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : बजट पर चर्चा के समय इस प्रश्न को उठाया जा सकता है ।

श्री चे० मु० पुनाचा : वर्तमान प्रबन्ध के अन्तर्गत प्रतिकर देने की व्यवस्था है । दावों के सिद्ध हो जाने पर प्रतिकर दिया जाता है ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : I would like to know whether dead bodies have been handed over to the relatives of the deceased persons and if so their number and if not, will the Government hand over their bodies to their relatives ? I would also like to know the compensation paid to the families of the deceased persons and the number of families who have been given this compensation of fourty thousand rupees, the figure referred to by the Railway Minister ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं प्रतिकर देने सम्बन्धी अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की बात कह रहा था । मृतक शरीरों को उनके सम्बन्धियों को सौंपने के प्रश्न पर घटनास्थल पर विचार किया जा रहा है ।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : On one such previous occasion Shri Lal Bahadur Shastri, the then railway minister resigned from his post. I would like to know whether in this case the responsibility will be fixed on some one ?

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : क्या सरकार एक बिलकुल ही पृथक जांच करेगी ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I would like to know whether all the three were IIIrd class bogies or any one of them was Ist class bogie. I would also like to know the total number of passengers travelling in these bogies and also the casualties ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इनमें एक फर्स्ट क्लास की बोगी थी और एक फर्स्ट क्लास का कोच था । एक बोगी थर्ड क्लास की थी ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदै) : क्या इनमें कोई संसद सदस्य भी था ।

श्री चे० मु० पुनाचा : इस बारे में मेरे पास अभी सूचना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है । यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिसमें 22 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है । माननीय सदस्य यदि अन्य दुर्घटनाओं तथा मामलों पर चर्चा करना चाहे तो वे ऐसा बजट पर चर्चा के समय कर सकते हैं ।

वैदेशिक कार्य मंत्री की कुवैत, ईरान, जनेवा, मलयेशिया तथा सिंगापुर की यात्राओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re : EXTERNAL AFFAIRS MINISTERS VISITS TO KUWEIT, IRAN, GENEVA, MALAYSIA AND SINGAPORE

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : यह एक लम्बा वक्तव्य है । यदि माननीय चाहें तो मैं इसे सभापटल पर रख सकता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इसको सभापटल पर रख सकते हैं ।

श्री मु० क० चागला : मै इसको सभापटल पर रखता हूँ । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 330/67]**

श्री नाथपाई (राजापुर) : पश्चिमी एशिया में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है । इस मामले में कल प्रधान मंत्री ने कांग्रेस संसदीय दल को सूचित कर दिया गया है । अणु विस्तार को रोकने सम्बन्धी समझौते के बारे में इसी प्रकार किया गया था । मैं जानना चाहता हूं सर्वोच्च निकाय कौन सा है । संसद अथवा एक ग्रुप या दल ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में कोई दो मत नहीं है कि संसद सर्वोच्च निकाय है । क्या माननीय मंत्री पश्चिमी एशिया के बारे में वक्तव्य दे रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : इस बारे में गुरुवार को वक्तव्य दूंगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : The statement of the Prime Minister will go against the interests of the country instead of establishing peace as it is one sided.

श्री नाथपाई : इससे कोई इन्कार नहीं करता कि श्री चागला को समय चाहिये । परन्तु प्रधान मंत्री ने अपना वक्तव्य पहले ही दे दिया है और एक पक्ष का समर्थन कर दिया है । क्या ऐसा करना संसद की अवहेलना करना नहीं है । अब मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : इनसे पूर्व कि माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री ने विदेश नीति सम्बन्धी अपना वक्तव्य दे दिया है जबकि सरकार संसद में कुछ बताने की स्थिति में नहीं है । क्या हमें यह समझ लेना चाहिए कि संसद को अन्धकार में रखकर प्रधान मंत्री बाहरी संसार को अपनी नीतियों के बारे में बता सकती है जबकि संसद का सत्र चल रहा हो ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री को इस बारे में कुछ कहना है ।

श्री मु० क० चागला : दुर्भाग्य से मैं उस बैठक में उपस्थित नहीं था। जो कुछ समाचार पत्रों में छपा है मैंने वही पढ़ा है। प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि मामला बहुत गम्भीर है और हमें बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए। ऊथांट आज काहिरा में है और वह राष्ट्रपति नासिर से बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही स्थिति स्पष्ट हो जायेगी मैं गुरुवार को सभा में वक्तव्य दूंगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि स्थिति गम्भीर, नाजुक तथा विस्फोटक है। इसलिए मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह मुझे कुछ समय दे।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : You will agree, Sir, that Prime Minister or any other minister should not give an statement outside when the Parliament is in session. The House should have been taken into confidence instead of Congress Parliamentary Party regarding situation in Middle East. The hon. Minister concerned is hesitating to say anything in the House. The hon. Prime Minister has committed a contempt of the House by issuing a statement in the meeting of the Congress Parliamentary Party. She should apologize for that.

श्री पी० राममूर्ति (शिवकाशी) : प्रधान मंत्री पहले ही वक्तव्य दे चुकी हैं। तो क्या हम यह समझ लें कि वैदेशिक कार्य मंत्री इस मामले पर पुनः विचार कर रहे हैं? क्या प्रधान मंत्री संसद को विश्वास में लिये बिना कोई वक्तव्य नहीं देंगे।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस मामले में भारत संयुक्त अरब गणराज्य का समर्थन करेगा। हम जानना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है क्या वह उनका व्यक्तिगत मत है अथवा वह इस संसद तथा इस देश के लोगों का मत है।

श्री रंगा : पहले भी कई बार ऐसे मामलों में अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय दिया गया है। परन्तु प्रधान मंत्री ने सदा उनकी उपेक्षा की है। इसलिये यह सभा के विशेषाधिकार के भंग का मामला बन जाता है। पश्चिम एशिया में स्थिति बहुत गम्भीर है। ऐसी अवस्था में क्या प्रधान मंत्री व्यक्तिगत रूप से कोई वक्तव्य दे सकती है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री सभा से उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है और इसके लिए उन्हें सभा से क्षमा-याचना करनी चाहिए।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपके प्रतिष्ठित पूर्ववर्ती ने इस विषय में कई बार विनिर्णय दिये हैं। जिनके अनुसार जब सभा का सत्र चल रहा हो और सरकार कोई नीति सम्बन्धी वक्तव्य देना चाहे तो उसे सभा का विश्वास प्राप्त कर इस सभा में ऐसे वक्तव्य देने चाहिये।

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : कल संसद का सत्र नहीं चल रहा था। **(व्यवधान)**

श्री हेम बरुआ : श्री चागला बृहस्पतिवार तक प्रतीक्षा कर सकते थे। **(व्यवधान)** प्रधान मंत्री ने अपने दल की बैठक में आपके प्रतिष्ठित पूर्ववर्ती के विनिर्णय की अवहेलना की है। दूसरी बात यह है कि प्रधान मंत्री के नीति सम्बन्धी वक्तव्य के पश्चात अब श्री चागला

उसके समर्थन में क्यों इतना अधिक समय लगा रहे हैं। इससे तो यह पता चलता है कि सरकार ने इस विषय में अपनी धारणा पक्की नहीं बनायी।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : प्रधान मंत्री ने संसद में अपना वक्तव्य देने के बजाय कहीं और अपना वक्तव्य दिया है जिसमें किसी मामले के एक पहलू पर पक्षपातपूर्ण बात कही गई है। इसमें राष्ट्रसंघ में इसरायल सरकार की सदस्यता को चुनौती दी गई है। हमें इसरायल को सरकार के रूप में स्वीकार करना चाहिये जिससे बातचीत और समझौते के लिये अनुकूल वातावरण बन सकता है **(व्यवधान)** इस कारण विदेश मंत्री को चाहिये कि इस मामले में वह राष्ट्रसंघ से अपनी चिन्ता व्यक्त करें।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि जब सभा का सत्र चल रहा हो तो नीति सम्बन्धी वक्तव्य सर्वप्रथम सभा के समक्ष दिया जाना चाहिये। परन्तु दल की बैठक में एक विस्फोटक स्थिति का हवाला दिया गया था, वह कोई नीति सम्बन्धी वक्तव्य नहीं था। वह एक गैर-सरकारी बैठक थी और मेरे विचार में इससे सभा के विशेषाधिकार पर किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचता। **(व्यवधान)** प्रधान मंत्री ने कहा था कि मिश्र मे सदा ही हमारे सम्बन्ध अच्छे रहे हैं और इसी से उचित वातावरण बनाने में सहायता मिल सकती है। केवल इतनी बात कही गई थी। इस समस्या पर अभी मंत्रिमण्डल ने भी विचार नहीं किया हैं।

श्री बलराज मधोक : समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट से यह पता चलता है कि भारत शत-प्रतिशत संयुक्त अरब गणराज्य के साथ है।

श्री मोरारजी देसाई : क्या माननीय सदस्य समाचार-पत्र की रिपोर्ट को अधिक प्रामाणिक मानते हैं ? समाचार-पत्रों में तो बहुत सी बातें प्रकाशित होती हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I would request that the Prime Minister should be asked to clarify the position.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता पूर्व) : मेरा एक औचित्य का प्रश्न है और वह यह कि दल की बैठक में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में जो बात उप-प्रधान मंत्री ने कही है वह समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट से मेल नहीं खाती। मेरा इस बात से विवाद नहीं। मैं विदेश मंत्री के इस कथन से सहमत हूँ कि यह एक नाजुक मामला है परन्तु सरकार को चाहिये कि वह पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में सभा का विश्वास प्राप्त करें। परन्तु ऐसा नहीं किया गया और इसकी बजाय जान-बूझकर एक दलगत बैठक में इस विषय पर वक्तव्य दिया गया। यह सभा किसी नाजुक स्थिति को और पेचीदा नहीं बनाना चाहती। शान्तिपूर्ण कार्यों में यह सभा सरकार के साथ सहयोग करना चाहती है। प्रधान मंत्री जब आवश्यकता समझती है, वह मेरे भाषण का उल्लेख करती है और जब नहीं समझती वह ऐसा नहीं करती। ऐसे मामलों में मंत्री को स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये।

श्री नाथपाई (राजापुर) : इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण मामले में प्रधान मंत्री द्वारा अपने दल के सामने वक्तव्य देना आपत्तिजनक बात है। उप-प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के वक्तव्यों से सरकार के आपसी मतभेदों का पता चलता है। मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री सभा में अभिव्यक्त भावनाओं की गम्भीरता को समझेंगी।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री के विचार सुनिये। मेरे विचार में सभा के वरिष्ठ सदस्यों को इस प्रकार बार-बार नहीं उठना चाहिये।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Is it not a fact that Deputy Prime Minister is not in the supreme command which enables the Prime Minister in taking such decisions. He may be unaware of the decision taken by the Prime Minister. If the Prime Minister makes a statement, right or wrong, it affects the whole of country. The Prime Minister should therefore clarify the position.

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जो माननीय सदस्य अन्त में बोले हैं, उनकी बात से मुझे बहुत आघात पहुँचा है मेरे विचार में माननीय सदस्यों को इस प्रकार की निन्दनीय बातें नहीं करनी चाहिये। मुझे खेद है कि मैं इस चर्चा के समय सभा में मौजूद नहीं थी, परन्तु मुझे पता चला है कि यह चर्चा दल की बैठक के बारे में थी। यह तो आपको पता ही है कि सत्र के एक दिन पहले, सत्र के दौरान और अन्तर-सत्रावधि में भी हम दल की बैठक करते हैं। दल के नेता का यह कर्त्तव्य है कि वह सदस्यों को महत्वपूर्ण बातों से अवगत करवाये और सारी स्थिति की समीक्षा करे, यही काम मैंने किया था। इसमें नीति सम्बन्धी वक्तव्य देने की कोई बात नहीं थी।

श्री हेम बरूआ : क्या वह समीक्षा थी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : परिस्थिति की जितनी जानकारी मेरी थी, मैंने उसकी समीक्षा कर दी। मैंने कहा था कि सेनाओं को हटाने की बात से हम सहमत है। मैंने यह भी कहा कि अरब लोगों से हमारी मित्रता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर और आगे चर्चा की आज्ञा नहीं दे रहा।

श्री नाथपाई : मैं अब विदेश मंत्री के वक्तव्य के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। श्री चागला ने अपने वक्तव्य में यह बात मानी है कि पश्चिम एशिया में उनका मिशन असफल रहा। श्री चागला ने एक वक्तव्य में यह बात कही थी कि उन्हें ईरान सरकार ने आश्वासन दिया है कि यदि अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो वह पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे जैसा कि वर्ष 1965 में हुए संघर्ष के समय उन्होंने किया था। उसी समय काहिरा के एक समाचार-पत्र ने इस आश्वासन का खण्डन किया था। दिल्ली पहुँचने पर श्री चागला ने उस आश्वासन को फिर दोहराया। ईरान सरकार ने इस आश्वासन का फिर खण्डन किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अपने आपको धोका दे रही है। श्री चागला ने या तो ईरान सरकार के इरादों को गलत समझा है या राष्ट्र को गलत सूचना दी है। क्या वह हमें सच्ची बात की जानकारी देंगे ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं इन दोनों बातों के लिये दोषी नहीं हूँ। मैंने यह कहा था कि इरान सरकार ने मुझे आश्वासन दिया है कि ईरान पाकिस्तान के साथ अपनी मैत्री के कारण भारत के साथ अपने सम्बन्धों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने देगा। मेरी ईरान यात्रा से तीन दिन पूर्व वहां के विदेश मंत्री ने भी इसी प्रकार का वक्तव्य दिया था। जो संदेह इस सभा में या देश में व्यक्त किया जा रहा है मैंने ईरान सरकार से इस विषय में फिर पूछा। इरान सरकार ने कहा कि यदि पाकिस्तान के विरुद्ध आक्रमण किया जाता है तो उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे पाकिस्तान की सहायता करें। परन्तु आक्रमण करना हमारी नीति के विरुद्ध है, इसलिये ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो सकती। हमारी

नीति शान्ति पूर्ण सह-अस्तित्व की नीति है, मैं तो वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष का हवाला दे रहा था जो पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। ईरान सरकार उन देशों में से एक है जिन्होंने ताशकन्द समझौते का स्वागत किया था। यदि ईरान पाकिस्तान को सैनिक सहायता देता है तो यह निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। इसमें परस्पर विरोध की तो कोई बात नहीं। मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि यदि वर्ष 1965 वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो ईरान पाकिस्तान की सहायता नहीं करेगा। **(व्यवधान)**

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Shabha then Adjourned for Lunch till Fourteen Hours of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha Re-Assembled After Lunch at Fourteen of the Clock

{**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**}
{**Mr. Deputy-Speaker** *in the Chair*}

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : माननीय विदेश मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि यदि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है तो ईरान पाकिस्तान की सहायता नहीं करेगा और यदि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करता है तो ईरान पाकिस्तान की सहायता अवश्य करेगा। कौन देश आक्रमण करता है इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता। जो देश आक्रमण करना चाहता है वह इस प्रकार का वातावरण बना सकता है जिससे यह परिलक्षित हो कि दूसरा देश आक्रमण कर रहा है यही बात पाकिस्तान अब तक करता रहा है। मेरे विचार में ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत के विरुद्ध और पाकिस्तान के साथ है। आपको विदेश मंत्री के नाते ईरान से यह पता लगाना था कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होने की स्थिति में क्या ईरान हमारे साथ है या नहीं।

श्री मु० क० चागला : कई बार यह बात स्पष्ट होती है कि आक्रामक कौन है जैसा कि वर्ष 1965 में हुए संघर्ष के बारे में मेरे विचार में किसी को भी संदेह नहीं कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया था।

श्री बलराज मधोक : चीन के साथ हमारे युद्ध के समय हमारे मित्र देश संयुक्त अरब गणराज्य ने कहा था कि वह यह नहीं कह सकते कि यह खुला आक्रमण है। सब लोग जानते हैं कि चीन ने आक्रमण किया था परन्तु संयुक्त अरब गणराज्य ऐसा कहने के लिये तैयार नहीं।

श्री मु० क० चागला : मैंने यह बताया कि कुछ परिस्थितियों में ईरान पाकिस्तान को सहायता देने के लिये वचनबद्ध है। परन्तु वह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी क्योंकि भारत कभी भी पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करेगा। मेरा ईरान जाने का ध्येय यह था कि पाकिस्तान के सम्बन्ध में भारत का जो रवैया है वह ईरान को स्पष्ट कर दिया जाये ताकि ईरान के साथ हमारे सम्बन्ध सुधारे जा सकें।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : At the time of conflict between India and Pakistan it was quite clear that sympathies of Iran were with Pakistan. I want to know the basis on which the Hon'ble Minister made this statement.

श्री मु० क० चागला : मुझे यह बात कही गई थी कि यदि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करता है तो ईरान पाकिस्तान की सहायता करने के लिये वचनबद्ध है। यह एक काल्पनिक बात है क्योंकि यह स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी।

रेलवे आय-व्ययक, 1967–68

RAILWAY BUDGET, 1967-68

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1967–68 के लिए रेलवे का बजट अनुमान सदन में पेश करने के लिए खड़ा हूं।

पिछले मार्च के महीने में सदन में अन्तरिम बजट पेश करते समय मैंने बताया था कि 1966–67 में राजस्व उपार्जक यातायात में 120 लाख मीटरिक टन की वृद्धि के पूर्वानुमान की तुलना में यातायात केवल 40 से50 लाख मीटरिक टन तक बढ़ेगा और तदनुसार मैंने माल यातायात से आमदनी का बजट अनुमान भी 506 करोड़ रुपये से घटाकर 493 करोड़ रुपये कर दिया था। जनवरी, 1967 के अन्त तक, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, रेलों ने लगभग 40 लाख मीटरिक टन अधिक यातायात ढोया। अतः यह अनुमान लगाना युक्तियुक्त ही था कि पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष के अन्तिम दो महीनों में लदान की मात्रा लगभग 10 लाख मीटरिक टन अधिक रहेगी। लेकिन इस समय उपलब्ध प्रारम्भिक आंकड़ों से ज्ञात होगा कि इन महीनों में लदान बढ़ने के स्थान पर घटा है। फरवरी और मार्च, 1966 की अपेक्षा लदान में 15 लाख मीटरिक टन की कमी हुई है। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में 1966–67 के पूरे वर्ष में, राजस्व उपार्जक यातायात में केवल 25 लाख मीटरिक टन वृद्धि होने की आशा है। फलस्वरूप मार्च के 493 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में माल यातायात से आमदनी में लगभग 10 करोड़ रुपये की कमी की सम्भावना है। सौभाग्य से, यात्री, अन्य कोचिंग और फुटकर शीर्षकों के अन्तर्गत आमदनी संशोधित अनुमान के बहुत निकट रही है। लेकिन उचंत आमदनी, जो अभी मिलनी बाकी है, आशा के प्रतिकूल लगभग $2\frac{1}{2}$, करोड़ रुपये बढ़ी है और इस तरह पिछले वर्ष में कुल यातायात प्राप्ति 784 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से लगभग 13 करोड़ रुपये कम रहने की सम्भावना है।

साधारण संचालन व्यय में भी संशोधित अनुमान की अपेक्षा लगभग 4.38 करोड़ रुपये की कमी की सम्भावना है और सामान्य राजस्व को देय लाभांश की राशि लगभग 23 लाख रुपये कम होगी। इन सब कमी-बेशियों के कारण 1966–67 में अब कोई 24 करोड़ रुपये के घाटे की संभावना है, जो मार्च में लगाये गये अनुमान की अपेक्षा लगभग 9 करोड़ रुपये अधिक है। इस वर्ष की आमदनी और खर्च के अन्तिम आंकड़े तभी उपलब्ध होंगे जब जुलाई में वार्षिक लेखे बन्द किये जायेंगे; लेकिन 24 करोड़ रुपये के जिस घाटे का मैंने जिक्र किया है, उसमें अधिक कमी-बेशी की सम्भावना नहीं है।

मार्च के महीने में चालू वर्ष के लिए जो बजट अनुमान पेश किया गया था वह, हमेशा की तरह, पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान पर आधारित था और यातायात में सम्भावित कमी-बेशी को ध्यान में रखकर बनाया गया था । लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया, पिछले वर्ष माल यातायात से आमदनी लगभग 10 करोड़ रुपये कम रही । इस कारण बजट अनुमान में कमी करनी पड़ेगी । फरवरी, मार्च और अप्रैल में यातायात के रुख को ध्यान में रखा गया है और चालू वर्ष में 85 लाख मीटरिक टन यातायात की अतिरिक्त वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया था, उस पर भी योजना आयोग तथा सम्बन्धित प्रमुख मंत्रालयों की सलाह से पुनर्विचार किया गया है । यद्यपि 85 लाख मीटरिक टन अतिरिक्त यातायात के लक्ष्य को ज्यों का त्यों रहने दिया जा रहा है, फिर भी, मैं समझता हूँ कि दूरदर्शिता इस बात में होगी कि अतिरिक्त आमदनी का अनुमान लगाते समय काफी रूढ़िवादिता बरती जाये । माल-भाड़े की वर्तमान दरों के आधार पर माल यातायात से कुल आमदनी का अनुमान अब 507 करोड़ रुपये रखा जा रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में केवल 24 करोड़ रुपये अधिक है और मार्च महीने में पेश किये गये बजट से 19 करोड़ रुपये कम हैं । यात्री यातायात से आमदनी का अनुमान 237 करोड़ रुपये रखा गया था । इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन मार्च के अनुमानों की तुलना में अन्य कोचिंग यातायात से आमदनी लगभग आधा करोड़ रुपये अधिक, फुटकर आमदनी लगभग एक करोड़ रुपये अधिक और उचंत के अन्तर्गत लगभग आधे करोड़ रुपये कम का अनुमान है । इस प्रकार, वर्तमान भाड़ा-स्तर के आधार पर चालू वर्ष में यातायात से कुल प्राप्ति का अनुमान अब 809 करोड़ रुपये रखा गया है, जो मार्च में पेश किये गये 826 करोड़ रुपये के अनुमान से 17 करोड़ रुपये कम है ।

अब मैं संचालन व्यय का जिक्र करना चाहूंगा । महंगाई भत्ते पर गजेन्द्रगडकर कमीशन की रिपोर्ट सरकार को शीघ्र ही मिलने वाली है । यद्यपि कमीशन की सिफारिशों और उन पर सरकार के निर्णयों के सम्बन्ध में अभी से कोई अनुमान लगाना कठिन है; लेकिन दूरदर्शिता की मांग है कि महंगाई भत्ते की दरों की पिछली समीक्षा के बाद निर्वाह-व्यय में जो वृद्धि हुई है, उसको देखते हुए वर्ष के दौरान महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए कुछ व्यवस्था कर ली जाये । तदनुसार, संचालन व्यय की मांगों के अन्तर्गत अब प्रस्तावित व्यय में इस मद के लिए 13.30 करोड़ रुपये की तदर्थ व्यवस्था कर दी गयी है । मार्च, 1967 में अन्तरिम बजट पेश होने के बाद पहली अप्रैल से कोयले की कीमत में संशोधन हो गया है, लेकिन फिलहाल ईंधन के मद में इसके लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था करने का विचार नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष माल यातायात में कमी के कारण होने वाली बचत से, अन्तरिम बजट में इस मद के लिए की गयी व्यवस्था में, इसके लिए गुंजाइश निकल आने की सम्भावना है । अनुमान है कि इस्पात की कीमतें बढ़ने से संचालन व्यय में 70 लाख रुपये की वृद्धि होगी जिसकी व्यवस्था मांग सं० 5—मरम्मत और अनुरक्षण में कर दी गयी है । कोयले और इस्पात की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप संचालन व्यय 14 करोड़ रुपये बढ़ जायेगा ।

आमदनी में 17 करोड़ रुपये की कमी और खर्च में 14 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण मार्च में पेश किये गये बजट की तुलना में 31 करोड़ रुपये का अन्तर आ गया है । माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि मार्च के बजट में 1966-67 के वर्ष के लिए 15 करोड़ रुपये के

घाटे का अनुमान लगाया गया था और इस घाटे को रेलवे की राजस्व आरक्षित निधि से निकासी द्वारा पूरा करना पड़ा था। अब यह घाटा बढ़कर 24 करोड़ रुपये हो गया है। सामान्य बजट की स्थिति और सामान्य साधनों पर अन्य अनेक मांगों के बोझ को देखते हुए चालू वर्ष के घाटे को रेलवे राजस्व आरक्षित निधि से और निकासी करके पूरा करने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि रेलवे राजस्व आरक्षित निधि की रकम सामान्य वित्त के पास जमा रहती है और यह भारत सरकार के अवशेषों का एक अंग है। ऐसी स्थिति में, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि रेल किराये और भाड़े में बढ़ती के आम समंजन नितान्त अपरिहार्य हो गये हैं।

माल भाड़े की दरों में वृद्धि का सीधा और प्रायः तत्काल प्रभाव मूल्य-स्तर पर पड़ता है, जबकि यात्री किराये, विशेषकर अनुपनगरी किराये, में वृद्धि से मूल्यों पर नहीं के बराबर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यात्री किराये को बढ़ा कर राजस्व बढ़ाने की भी अपनी सीमाएं होती हैं। इसलिए मैंने यही उचित समझा है कि इस वृद्धि को माल और यात्री यातायात के बीच लगभग बराबर बांट दिया जाय। 15 जून से माल भाड़े की दरों पर पूरक प्रभार 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर देने का विचार है। इससे एक पूरे वर्ष में लगभग 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होनी चाहिए। 515 किलोमीटर से अधिक दूर जाने वाले कोयले की भाड़ा-दरों में भी कुछ समंजन करने का विचार है, क्योंकि ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ती है, त्यों-त्यों इस तरह के कोयले का वर्तमान भाड़ा इसकी ढुलाई की लागत से कम होता जाता है। इस संशोधन से एक पूरे वर्ष में $4\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होनी चाहिए। फुटकर अर्थात् पूरे डिब्बे से कम माल के यातायात की दरों को युक्तिसंगत करने का भी विचार है, क्योंकि इसकी ढुलाई की लागत भी आमदनी से काफी अधिक बैठती है। ऐसा करने से एक पूरे वर्ष में दो करोड़ रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है। रुपये के अवमूल्यन के बाद निर्यात वाले मेंगनीज़ और कच्चे लोहे की कीमत के रूप में अब अधिक रुपये वसूल होते हैं। इसे देखते हुए, इन धातुओं की वर्तमान विशेष भाड़ा-दरों में भी उपयुक्त वृद्धि की जा रही है। इससे एक पूरे वर्ष में लगभग $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने की आशा है। इस प्रकार, इन सब प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में लगभग 23 करोड़ रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है। लेकिन चालू वर्ष के $9\frac{1}{2}$ महीनों में, जिनमें कि ये परिवर्तन लागू रहेंगे, 19 करोड़ रुपये से अधिक नहीं मिलेंगे।

अब मैं यात्री किराये में वृद्धि के प्रस्तावों पर आता हूँ, जिनका ब्योरा बजट-पत्रों के साथ वितरित की गयी पुस्तिका में दिया गया है। माननीय सदस्यों के लिए एक दिलचस्प सूचना यह है कि अनुपनगरी यात्री यातायात की 39 प्रतिशत आमदनी डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के तीसरे दर्जे के यातायात से और 48 प्रतिशत आमदनी साधारण गाड़ियों के तीसरे दर्जे के यातायात से होती है, अवशेष केवल 13 प्रतिशत आमदनी ऊंचे दर्जे के यातायात से होती है। यद्यपि 1966-67 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं फिर भी, 1965-66 के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि 10,720 लाख यात्रियों में से लगभग 9300 लाख यात्रियों ने साधारण गाड़ियों के तीसरे दर्जे में यात्रा की और उनमें से लगभग 50 प्रतिशत ने 25 किलोमीटर के भीतर और अन्य 25 प्रतिशत ने 26 से 49 किलोमीटर के बीच यात्रा की। साधारण गाड़ियों से 50 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए तीसरे दर्जे का

किराया परम्परागत रूप में विशेषकर कम रखा जाता रहा है, क्योंकि ऐसी यात्रा करने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इस किराये में संशोधन के लिए हमारे जो मौजूदा प्रस्ताव हैं, उनमें भी यथासंभव कम से कम वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। 5 किलोमीटर तक की दूरी का न्यूनतम किराया 10 पैसे से बढ़ाकर 15 पैसे किया जा रहा है। इस वृद्धि का पूरा-पूरा औचित्य है, क्योंकि इतनी कम दूरी की यात्रा रेलों के लिए सबसे अधिक अलाभप्रद होती है; टिकट की छपाई और बिक्री की लागत ही लगभग 3.74 पैसे पड़ जाती है। इस वृद्धि से कुछ अतिरिक्त आमदनी होनी चाहिए और रेल यात्रियों पर प्रायः नगण्य बोझ पड़ेगा, क्योंकि दो स्टेशनों के बीच की दूरी सामान्यतः 5 किलोमीटर से अधिक होती हैं। बड़े-बड़े नगरों के इर्द-गिर्द उपनगरी स्टेशनों की बात और है, लेकिन उपनगरी क्षेत्रों के यात्री अधिकतर सीजन टिकट पर यात्रा करते हैं और इस टिकट पर बड़ी भारी रियायत मिलती है, इसलिए उन पर इस परिवर्तन का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। 6 किलोमीटर से 22 किलोमीटर तक के किराये में दो या तीन पैसे की वृद्धि और 23 किलोमीटर तथा उससे ऊपर 47 किलोमीटर तक के किराये में 5 पैसे की वृद्धि की गयी है (लेकिन 24 किलोमीटर का किराया केवल 3 पैसे बढ़ाया गया है)। किराया-वृद्धि में विविधता अर्थात् कहीं तो कुछ भी नहीं और कहीं 2 या 3 या 5 पैसे की वृद्धि करने का कारण यह है कि इन किरायों का, जैसे कि 24 किलोमीटर से अधिक के किरायों का, निकटतम 5 पैसे में पूर्णांकन भी कर दिया गया है। (हमने ऐसा इसलिए किया है कि स्टेशनों पर रेज़गारी की कमी की बराबर शिकायत रहती थी और इस वजह से यात्रियों को असुविधा या हानि होती थी)। 50 किलोमीटर से ऊपर 500 किलोमीटर तक का किराया $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत बढ़ाया गया है और 500 किलोमीटर से ऊपर की दूरी के लिए 85 पैसे की इकसार वृद्धि की गयी है। पिछले दो वर्षों में सामान्य मूल्य स्तर में जो वृद्धि हुई है, उसे देखते हुए मुझे आशा है, सदन इस बात से सहमत होगा कि किराये में यह वृद्धि बहुत कम है।

डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के तीसरे दर्जे का किराया 1500 किलोमीटर तक $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है जो इस दूरी के लिये 4 रुपये 20 पैसे अधिक पड़ता है। इससे अधिक दूरी के किराये में 4 रुपये 20 पैसे की इकसार वृद्धि की जा रही है; अतः अधिकतम वृद्धि 4 रुपये 20 पैसे होगी। डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के तीसरे दर्जे में केवल 12 प्रतिशत यात्री सफ़र करते हैं। मुझे विश्वास है कि साधारण गाड़ी के तीसरे दर्जे के किराये और डाक एवं एक्सप्रेस गाड़ी के तीसरे दर्जे के किराये की वृद्धियों में जो अन्तर हैं, उसका एक वांछनीय प्रभाव यह होगा कि लोग थोड़ी-थोड़ी दूरी के लिए सफ़र वाली गाड़ियों से यात्रा करने में हिचकिचायेंगे। डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में 19 प्रतिशत यात्रा 25 किलोमीटर या कम दूरी तक और 15 प्रतिशत यात्रा 26 किलोमीटर से 49 किलोमीटर तक की की गयी। इन सीधी गाड़ियों में काफी भीड़-भाड़ रहने का यह एक ठोस कारण रहा है जिससे लम्बे सफ़र वाले यात्रियों को बड़ी झुंझलाहट और परेशानी होती है।

अब मैं ऊँचे दर्जे की यात्रा को लेता हूँ। वातानुकूल दर्जे के किराये में और वातानुकूल कुर्सी यान के अधिप्रभार में 15 प्रतिशत वृद्धि करने का विचार है। हाल ही में, काफी लागत पर, चार और रेक बनाकर डी-लक्स गाड़ियों की सेवाओं में वृद्धि की गयी है। इस लोकप्रिय सेवा के प्रभार में जो वृद्धि की जा रही है उसे, इस सेवा में लगी पूंजी और इसके परिचालन के खर्च को देखते हुए, उचित ही समझा जाना चाहिए।

डाक और एक्सप्रेस और साधारण गाड़ियों के पहले दर्जे के किराये एक जैसे हैं। इनमें 1500 किलोमीटर तक की दूरी के लिये 15 प्रतिशत वृद्धि करने का विचार है। इस प्रकार 1500 किलोमीटर का किराया 15 रुपये 50 पैसे बढ़ जायेगा। उससे अधिक दूरी के लिए 15 रुपये 50 पैसे की इकसार वृद्धि की जा रही है। डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के दूसरे दर्जे का किराया भी 1500 किलोमीटर तक 15 प्रतिशत बढ़ाया जायेगा। 1500 किलोमीटर का किराया पहले से 9 रुपया 25 पैसा अधिक होगा और उसके आगे की दूरी के लिए इतने ही की इकसार वृद्धि की जायेगी। लेकिन साधारण गाड़ियों के दूसरे दर्जे के किराये में 500 किलोमीटर तक केवल $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत और उसके आगे 1500 किलोमीटर तक 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। 1500 किलोमीटर का किराया 5 रुपये 45 पैसे अधिक बैठेगा जो इससे अधिक दूरी के लिए इकसार वृद्धि के रूप में जोड़ दिया जायेगा। वातानुकूल दर्जे का न्यूनतम किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया जायेगा। पहले दर्जे का न्यूनतम किराया 5 रुपये होगा और डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के दूसरे दर्जे का न्यूनतम किराया 3 रुपये होगा। इन न्यूनतम किरायों का अति वांछनीय परिणाम यह होगा कि डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में भीड़-भाड़ कम हो जायेगी।

पहले दर्जे के वर्तमान आरक्षण शुल्क को 50 पैसे से बढ़ाकर एक रुपया, तीसरे दर्जे के वर्तमान आरक्षण शुल्क को 25 पैसे से बढ़ाकर 50 पैसे और प्लेटफार्म टिकट का मूल्य 10 पैसे से बढ़ाकर 15 पैसे किया जा रहा है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, आरक्षण के मौजूदा निम्न प्रभार में पिछले कई वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, हालांकि यात्रियों को इस दिशा में अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए हाल के वर्षों में काफी रकम लगाकर अनेक विशेष उपाय किये गये हैं जिनमें टेलीप्रिंटर का लगाना भी शामिल है। इस सेवा में और सुधार करने की दिशा में हमारा प्रयास जारी रहेगा।

उपनगरी मासिक सीज़न टिकट का किराया 10 प्रतिशत बढ़ाने का विचार है लेकिन बम्बई, कलकत्ता और मद्रास क्षेत्रों में इस वृद्धि को तीसरे दर्जे के प्रति मासिक टिकट पर एक रुपये तक सीमित रखा जायेगा। आशा है, इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 24 करोड़ रुपये और चालू वर्ष के 15 जून से अगले $9\frac{1}{2}$ महीनों में 19 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

इन वृद्धियों के कारण यात्री यातायात से मार्च के बजट में दिखाये गये 237 करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान बढ़कर 256 करोड़ रुपये हो जायेगा और माल यातायात से आमदनी का अनुमान 507 करोड़ रुपये से जिसे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ कारणों से अब चालू दरों पर संशोधित आंकड़ों के रूप में दिखाया जा रहा है, बढ़कर 526 करोड़ रुपये हो जायेगा, जो मार्च के अनुमानों के आंकड़ों के ही समान है। वर्तमान अनुमान के आधार पर 1967–68 में यातायात से कुल प्राप्ति 847 करोड़ रुपये होगी।

आमदनी में 21 करोड़ रुपये की वृद्धि में से 6 करोड़ रुपये मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोजित करने का विचार है। इस विनियोजन के फलस्वरूप इस निधि में वर्ष भर का अंशदान जो मार्च के बजट में 99 करोड़ रुपये दिखाया गया था, बढ़कर 105 करोड़ रुपये हो जायेगा। उस बजट को पेश करते समय मैंने माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था कि मुझ से उस समय जितनी राशि की व्यवस्था हो सकी, वह अपर्याप्त थी, और

उसे यथासंभव जल्द से जल्द बढ़ाया जायेगा । इस समय जितनी राशि की व्यवस्था की जा रही है, वह अभी भी वर्ष में इस निधि से निकाली जाने वाली संभावित राशि से ५ करोड़ रुपये और 1967-68 में इस निधि में विनियोजित किये जाने वाले 115 करोड़ रुपये से, जिसकी सिफारिश अभिसमय समिति ने की थी और जिसे संसद् ने अनुमोदित किया था, 10 करोड़ रुपये कम रहेगी ।

मार्च के लाभांश के अनुमान में 28 लाख रुपये की कमी और पहले बताये गये साधारण संचालन व्यय में 14 करोड़ रुपये की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राजस्व में 1.28 करोड़ रुपये की बचत होगी । इस मामूली बचत से यह बात स्पष्ट है कि भाड़ा दरों और किरायों में संशोधन से संबंधित प्रस्तावों को इतना कम रखा गया है ताकि घाटा न होने पाये । मुझे इस बात का ध्यान है और साथ ही चिन्ता भी है कि यदि वर्तमान स्तर से वेतनों और मूल्यों का आगे बढ़ना जारी रहा या संभावित अतिरिक्त यातायात नहीं हुआ, और ये दोनों बातें असंभव नहीं हैं, तो मजबूर होकर हमें चालू वर्ष घाटे में बिताना होगा ।

इन अनुमानों को प्रस्तुत करते समय मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछले मार्च में यहां तथा दूसरे सदन में माननीय सदस्यों ने जो यह विचार प्रकट किया था कि खर्च में यथासम्भव अधिक से अधिक किफायत बरतने की जरूरत है, उसका पूरा-पूरा ख्याल रखा गया है । मोटे तौर पर, साधारण संचालन-व्यय का 63 प्रतिशत कर्मचारियों पर और 37 प्रतिशत सामानों और उपस्करों पर खर्च होता है । सदन इस बात से सहमत होगा कि सामानों के मूल्य-स्तर और कर्मचारियों के वेतन-स्तर सभी दृष्टिकोण से प्रायः रेलों के काबू से बाहर होते हैं क्योंकि ये देश की सामान्य आर्थिक स्थिति और निर्वाह लागत पर निर्भर हैं । रेलें केवल इस्तेमाल किये जाने वाले सामानों की मात्रा और नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या पर ही नियंत्रण रख सकती है । यह सर्वविदित है कि भारतीय रेलों में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या विश्व के अधिक प्रगतिशील देशों की रेलों में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या से कहीं ज्यादा है । यह स्थिति काफी अर्से से चली आ रही है जबकि यहां की परिस्थितियां दूसरे देशों, जैसे अमरीका, इंगलैंड या जापान की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न रही हैं । यद्यपि इस बात में संदेह नहीं है कि भारतीय रेलों की नियोजन क्षमता देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्व रखती है फिर भी, हाल के वर्षों में वेतन के स्तर में वृद्धि और रेलों की वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण इसे अनुचित महत्व नहीं दिया जा सकता । रेल प्रशासनों से बल देकर कहा गया है कि भारतीय रेलों की वित्तीय स्थिरता को बनाये रखने के लिए भविष्य में कर्मचारियों पर होने वाले खर्च को यथासंभव अधिक से अधिक कम करना आवश्यक है । इसलिए पिछले वर्ष के अगस्त महीने से कर्मचारियों की भर्ती पर जो पाबन्दी लगी हुई है, उसे जारी रखना पड़ेगा । हां, जब और अधिक मात्रा में यातायात के संचालन और बढ़ती हुई परिसम्पत्तियों के समुचित अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य हों या अतिरिक्त कर्मचारियों से परिचालन अधिक सुरक्षित हो जाये या अतिरिक्त कर्मचारियों पर आने वाली लागत की अपेक्षा रेलों की आमदनी में काफी वृद्धि होने की संभावना हो, तो ऐसे अपवादित मामलों में अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है । रेलों में सभी स्तर पर इस बात की ओर तेजी से जागरूकता बढ़ती जा रही है कि कर्मचारियों की संख्या को आगे और बढ़ने पर और सर्वत्र, विशेषतः प्रशासी कार्यालयों में खर्च में कमी लाने पर कठोर नियंत्रण रखने की जरूरत है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है ।

अर्थ-व्यवस्था में स्फीतिकारक शक्तियों और साधनों की कमी को देखते हुए निर्माण कार्यों पर होने वाले खर्च पर भी उत्तरोत्तर कड़ा नियंत्रण रखा जाता रहा है। भविष्य में प्राथमिकता केवल उन्हीं योजनाओं को दी जायेगी, जिनमें पूंजी लगाने से अधिकतम प्रतिफल मिले या जिनसे रेलवे की अर्जन-क्षमता में शीघ्र सुधार हो। रेल प्रशासनों को सूचित कर दिया गया है कि हाल में इस्पात की कीमतों के बढ़ जाने के बावजूद वे निर्माण और चल स्टाक के लिए मार्च के 305 करोड़ रुपये के अनुमान से अधिक की आशा न करें। रेलों पर भंडार सूचियां कम करने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए रद्दी और नवीकरण के बाद निकले पुराने सामानों की नीलामी की जा रही है। पूंजी परिसम्पत्तियों में अब तक लगाये गये निवेशों से बेहतर प्रतिफल प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है और नये निर्माण-कार्यों के कार्यक्रमों को दुबारा इस तरह से बनाया गया है ताकि उनसे केवल निकट भविष्य की आवश्यकताएं पूरी हों। संक्षेप में, इस विस्तृत संगठन में सभी स्तरों पर मितव्ययता की भावना जागृत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखने के साथ ही साथ मैं सदन को यह भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम मितव्ययता के नाम पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे रेल-प्रणाली की कार्य-कुशलता गिर जाये या आगे आने वाले वर्षों में रेल-परिवहन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की क्षमता पर बुरा असर पड़े। इस सम्बन्ध में हम हमेशा जागरूक रहेंगे और सामयिक कार्रवाई की जायेगी। वास्तव में, मितव्ययता हासिल करते समय हम सर्वाधिक ध्यान इस बात का रखेंगे कि हमारा प्रबन्ध अच्छा और अधिक कुशल हो और हमारी वर्तमान तथा भावी परिसम्पत्तियों का अधिक उपयोग हो।

इसी तरह, सवारी तथा माल यातायात दोनों से और आय के बाकी सभी साधनों से भी रेलवे की आमदनी बढ़ाने के लिए हर कोशिश की जा रही है और की जाती रहेगी। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि वह इस बात को ध्यान में रखें कि इन सभी उपायों का, चाहे वे खर्च में मितव्ययता बरतने के लिए किये जा रहे हों या रेलों की आमदनी बढ़ाने के लिए, प्रतिफल मिलने में स्वभावतया काफी समय लगेगा। आर्थिक क्षेत्र में लगातार मुद्रा-स्फीति के कारण कीमतें भी बढ़ती रहेंगी, ऐसी सम्भावना है। इसलिए उस अवधि में शुद्ध वित्तीय लाभ प्राप्त होने की गति धीमी ही रहेगी। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाना चाहूँगा कि आमदनी के लिए रेलें मुख्यतः माल सेवाओं पर निर्भर है। बढ़ती हुई कीमतों के कारण यात्री सेवाओं से प्राप्त होने का शुद्ध वित्तीय लाभ घटता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद रेलों का यह प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा कि यात्रियों के लिए लगातार अधिक अच्छी व्यवस्था की जाती रहे। फिर भी, अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए रेलों को मजबूरन माल यातायात में सुधार और उसके आवश्यक विस्तार की ओर अधिक ध्यान देना होगा ताकि इससे होने वाली आमदनी बढ़े और रेलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो।

मितव्ययता के इस संदर्भ में मैं एक समस्या का उल्लेख करना चाहूँगा जिसकी ओर कुछ समय से रेलों का ध्यान गया है और जो प्राक्कलन समिति के भी ध्यान में आयी है। परिवहन नीति और समन्वय पर योजना आयोग की समिति ने भी इस पर विचार किया है। यह समस्या है उस भारी नुकसान की जो रेलों को हर वर्ष बड़ी, मीटर और छोटी लाइनों की कई अलाभ-

प्रद शाखा लाइनों के परिचालन से हो रहा है। एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार यह नुकसान लगभग $5\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का है जो वर्तमान सभी संकेतों को देखते हुए अगले वर्षों में उत्तरोत्तर बढ़ता जायेगा। ये लाइनें इस शताब्दी के लगभग शुरू में बनायी गयी थीं, जब बैलगाड़ी के विकल्प रूप में केवल रेल-परिवहन ही उपलब्ध था और जब तक परिवहन के क्षेत्र में आन्तरिक दहन इंजन द्वारा क्रान्ति नहीं आयी, तब तक ये लाइनें बहुत उपयोगी रहीं। सड़कों और सड़क परिवहन का शीघ्र विकास हो जाने से इनमें से कई शाखा लाइनों का पहले जो भी आर्थिक औचित्य रहा होगा, वह अब समाप्त हो गया है। लेकिन इस तथ्य के अलावा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि साधारण संचालन व्यय काफी बढ़ रहा है, खासतौर पर कर्मचारियों की लागत का रुख बढ़ती की ओर है और सभी सम्भावनाओं को देखते हुए यह रुख बना रहेगा, यह अनिवार्य हो गया है कि परिवहन नीति और समन्वय समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए शीघ्र और प्रभावपूर्ण कार्रवाई की जाये। परिवहन के वैकल्पिक साधनों की सापेक्ष लागत का ध्यानपूर्वक लेकिन शीघ्र अध्ययन करने के बाद उन अलाभप्रद शाखा लाइनों को बंद कर दिया जाना चाहिए जिनका औचित्य आर्थिक दृष्टि से उनकी लागत को देखते हुए नहीं है। इन शाखा लाइनों पर जो थोड़ा सा यातायात होता है, वह सड़क परिवहन को सौंपा जा सकता है। अतीत में राज्य सरकारों ने इस तरह के अधिकतर सुझावों पर केवल इस तर्क के आधार पर आपत्ति की थी कि स्थानीय लोगों की भावना ऐसा करने के विरुद्ध है, हालांकि इस तर्क में कोई वजन नहीं है। यद्यपि हम पहले की तरह अब भी राज्य सरकारों के विचारों को पूरी तरह ध्यान में रखेंगे, फिर भी आशा है कि कम से कम लागत पर और आर्थिक दृष्टि से अधिक से अधिक लाभप्रद परिवहन की व्यवस्था करने के युक्तिपूर्ण सिद्धान्त के सामने कम महत्व की बातों को तरजीह नहीं दी जायेगी। जिन क्षेत्रों में ये लाइनें बिछी हुई हैं, वहां परिवहन के वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था करने में, जहाँ आवश्यक होगा, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों का हाथ बंटाने या उनकी सहायता करने के बारे में विचार करने के लिए तैयार रहेगी।

बजट भाषण में सामान्यतः जो और बातें शामिल की जाती हैं, वे मार्च में पेश किये गये श्वेत-पत्र में शामिल की जा चुकी हैं, जिसकी एक प्रति बजट प्रलेखों के साथ दी जा रही है। साथ ही, इसका एक पूरक भी है जिसमें बाद में किये गये परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है।

इन बजट प्रस्तावों को सदन में पेश करते हुए मैं इस विश्वास के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि इन प्रस्तावों पर बहस के दौरान सदन इस बात को ध्यान में रखेगा कि वर्तमान स्थिति में बचत की बहुत सख्त जरूरत है और यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि सरकार के साधनों से अधिक खर्च न किया जाये क्योंकि साधन बहुत सीमित हैं और उन पर पहले से ही अन्य कारणों से बहुत बोझ पड़ रहा है।

सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक

GOVERNMENT (Liability in Torts) BILL

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं श्री गोविन्द मेनन की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि दुष्कृति से सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उससे संसक्त कतिपय मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि "दुष्कृति में सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उससे संसक्त कतिपय मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

डा० राम सुभग सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

संघ लोक सेवा आयोग के वर्ष १९६४–६५ के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE ; REPORT OF UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 1964-65

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"कि यह सभा संघ लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल 1964 से 31 मार्च 1965 तक की अवधि के 15वें प्रतिवेदन, उस पर सरकार के ज्ञापन सहित, जो 2 मार्च 1966 को तीसरी लोक सभा के पटल पर रखा गया था, पर विचार करती है ।"

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ । मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 323 की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें यह व्यवस्था है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन सरकारी ज्ञापन सहित प्रतिवर्ष सभा पटल पर रखा जायेगा ।

My point of order is this that the said Report was put before the House but it was not discussed in the House for a period of about 2 years. The constitution was followed in letter but it was violated in spirit. Parliamentary Practice has been ignored in this respect. This procedure was adopted with the idea that the report will be discussed in the House every year and the Members give their suggestions for improvement in the same. But if the report is not discussed every year, it bases its importance, while the constitution provides that it should be put for discussion every year. In this respect the Govt. is on the wrong side. Govt. should try to have a discussion on such reports in the same year. Thus the constitution should be followed in the letter and spirit.

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि सदस्य महोदय ने मेरा स्पष्टीकरण सुन लिया होता तो उन्हें यह व्यवस्था के प्रश्न उठाने की आवश्यकता ही न होती । 2 मार्च 1966 को यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया था और 14 दिन बाद उस पर विचार करने के प्रस्ताव की सूचना दे दी गई थी, परन्तु दुर्भाग्य से सभा को इस पर विचार करने के लिये समय न मिल सका । सरकारी प्रस्ताव पिछले 1 वर्ष 9 महीनों से निलम्बित है । अत : इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह सरकारी कार्य है और इस पर वाद-विवाद के लिये सरकार को समय निकालना चाहिये ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कार्य मंत्रणा समिति विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों के लिये समय नियत करती है । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मामले सभा के सामने आये और इस वजह से

उक्त मामले पर चर्चा न हो सकी। हालांकि सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव पेश कर दिया था।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : It is not proper to find fault with the Business Advisory Committee, because it allots time to the Business brought before it by the Govt. itself. This Report was discussed in Rajya Sabha on 4th March 1966 while in Lok Sabha it is put for discussion after $1\frac{1}{4}$ years. Had the Govt. desired to have a discussion on it, the Business Advisory Committee would have allotted time for it.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने सभा में पहले ही प्रस्ताव पेश किया था परन्तु समयाभाव के कारण इस पर विचार न हो सका।

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha) : Mr. Deputy Speaker, oppos ion itself has not been so alert, as it should have been. It is after two years that opposition came to know that there should have been discussions on the Annual Report of the U. P. S. C. Secondly it is opposition, which is responsible for the waste of time in the House. Daily hours are spent in useless discussion. So, in the end some matters which are considered less important remain in pending. I wish that these things should be borne in mind.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम्) : यह कहना कि विपक्षी सदस्य बेकार की बातों में समय नष्ट करने के आदी हो गये हैं, आपत्ति-जनक है। जो भी मामले यहां उठाये जाते हैं, वे पीठासीन अध्यक्ष की अनुमति से उठाये जाते हैं। फिर किसी भी सदस्य को यह कहने का अधिकार नहीं है कि सभा में कुछ असंगत मामलों पर चर्चा होती है।

मंत्री महोदय कहते हैं कि गलती सरकार की नहीं है। वस्तुतः गलती सरकार की है। यदि समय का अभाव था तो निर्धारित समय को बढ़ाया जा सकता था। दूसरे यह कहना, कि अधिक महत्त्वपूर्ण मामले पहले लिये जाते हैं, ठीक नहीं है। इस प्रकार के विषय भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं, जितने कि दूसरे विषय होते हैं। इस सम्बन्ध में निश्चय रूप से सरकार की गलती है।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : The Minister says that the Govt. is not at fault, if the 15th Report of U. P. S. C. is not discussed so far. It is not only this Report, which is pending but there are other matters also which are still lying undiscussed. It is the responsibility of the Govt. to put the important matters for discussion and the Govt. should not shirk its responsibility. If there is lack of time, the working hours of the House may be extended.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : It was expressed in a meeting of party leaders that the working hours of Parliament should be extended in view of limited hours of work, so that all the important matters of public importance may be taken up in the House.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Opposition is responsible for all this, while they blame the Govt. for it. For example, Svetlana issue continued to be discussed in the House for full two days on the insistence of opposition. In this way two day's time was wasted. Today itself half-an-hour has been spent on the issue of Point of Order.

Shri Ram Sewak Yadav : What is discussed here is discussed with the permission of the Chair. So it is not proper for any hon. Member to say that the time has been wasted by way of discussion on a particular matter.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये तथा उसे पीठासीन अध्यक्ष पर आक्षेप नहीं करना चाहिये।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को हमने भविष्य के लिये लिख लिया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : संविधान में यह व्यवस्था है कि संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिये। परन्तु दुर्भाग्य से इस प्रतिवेदन पर आज से पहले पूर्णतः चर्चा न हो सकी। हमारे यहाँ ऐसी परम्परा है कि नियुक्तियों आदि के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गये परामर्श को मान लिया जाता है। जहाँ पर ऐसा करना सम्भव नहीं होता, वहाँ उस मामले को उसे न मानने के कारणों को बताते हुए फिर संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया जाता है। यदि दुबारा भी सरकार उक्त संघ की सिफारिशों या सलाह न मानने के लिये मजबूर हो, तो उस मामले को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है जिस पर वह अन्तिम रूप से आदेश करती है। केवल कुछ ही मामलों में सरकार उसकी सलाह न मानने के लिये मजबूर होती है और ऐसा भी वह बड़े सोच-विचार के बाद करती है। उदाहरण के लिये 1962-63 में 12600 मामले आयोग के भेजे गये, जिनमें से केवल एक के बारे में आयोग की सलाह न मानी गई। वर्ष 1963-64 में 14425 मामले आयोग को सौंपे गये और सभी के बारे में उसकी सलाह मान ली गई। 1964-65 में 12900 मामलों में से केवल एक के सम्बन्ध में आयोग की सलाह मानने में सरकार को कठिनाई हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के लगभग सभी मामलों में स्वीकार करती है।

इस प्रतिवेदन में कुछ अन्य बातें भी हैं जिनकी ओर मैं सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पहला है विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिनिधित्व। वैसे तो नियुक्ति करने वाली एजेन्सियों को यह छूट है कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में निम्नतम स्तर प्राप्त करने वाले इन जातियों के उन उम्मीदवारों की नियुक्तियाँ कर सकती है जो नीचे स्थानों पर हों। परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के परिणामस्वरूप भी इनके प्रतिनिधित्व में कुछ सुधार हुआ है। ऐसा ही एक और केन्द्र दक्षिण में भी खोला जा रहा है। फिर भी उनका प्रतिनिधित्व जितना होना चाहिये उतना नहीं है और इसीलिये जितने स्थान उनके लिये आरक्षित किये जाते हैं वे सब उनके द्वारा भरे नहीं जाते हैं। तकनीकी तथा विशिष्ट क्षेत्रों में तो उनका और भी अधिक अभाव है। इस कमी को पूरा करने के लिये उन्हें शिक्षा सम्बन्धी अधिक से अधिक सुविधा दी जा रही है।

दूसरी बात है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विदेशों से साक्षात्कार (इन्टरव्यू)। प्रायः यह चर्चा की जाती थी कि प्रतिभाशाली युवक भारत से विदेश जा रहे हैं। उन्हें भारत वापिस आने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये हमने विदेशों में स्थानों का विज्ञापन करना शुरू किया, परन्तु साथ ही यह देखा गया कि विदेशों से भारत में साक्षात्कार देने के लिये बहुत कम लोग तैयार होते हैं क्योंकि उनका भारत आना-जाना बहुत अधिक मंहगा होता है तथा सरकार भी उनके आने-जाने के खर्च को वहन नहीं कर सकती। इसलिये यह प्रक्रिया अपनाई गई कि विशेषज्ञों के साक्षात्कार के लिये आयोग का सभापति या उसका कोई सदस्य विदेश जाकर ही इच्छुक उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया करेगा। यह व्यवस्था उपयुक्त रही है तथा मैं आशा करता हूँ कि सभा भी इसका अनुमोदन करेगी। विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक-अनुसंधान परिषद् तथा अन्य सरकारी संस्थानों में विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिये भी यह पद्धति अपना ली गई है।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात और है और वह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम से सम्बन्धित है। आपको याद होगा कि पहले यह प्रस्ताव था कि परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी हो जायेगी। दूसरा सुझाव यह था कि उन पांच-छः भाषाओं को परिक्षाओं का माध्यम बनाया जाये जो विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोग में लाई जा रही है। इसके बाद यह निर्णय किया गया कि अंग्रेजी सहित संविधान के परिच्छेद 8 में लिखित सभी भाषाओं को परीक्षाओं का माध्यम बनाया जाये। मुझे आशा है कि 1968 की परीक्षाएं उपरोक्त सभी भाषाओं के माध्यम में ली जायेंगी।

प्रशासनिक सुधार आयोग प्रशासन में सुधार के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहा है। आयोग संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों- द्वारा भर्ती के पहलू पर भी विचार करेगा। इस सभा में आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा केवल उन्हीं मामलों तक सीमित होनी चाहिये जिनके लिए सरकार इस सभा में उत्तरदायी है। इससे प्रशासनिक सुधार आयोग ऐसे मामलों पर विचार करने का योग्य हो सकेगा जिनका सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री चं० चु० देसाई (साबरकठा) : संघ लोक सेवा आयोग के गठन को देखकर पता लगता है कि स्वतन्त्रता के बाद से सदस्यों की योग्यता तथा प्रतिष्ठा प्रतिदिन कम हो रही है। प्रतिवेदन से मालूम होता है कि केवल पांच सदस्य ही काम कर रहे हैं जबकि स्वीकृत संख्या केवल आठ की है। आशंका है कि आयोग के अध्यक्ष तथा गृह-कार्य मन्त्रालय के बीच मतभेद है। आयोग के सदस्यों को चुनते समय हमें बहुत ध्यान देना चाहिये क्योंकि भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की नियुक्ति इस आयोग के काम पर आधारित है। गृह-कार्य मन्त्रालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि पदों को भरने के लिए अध्यक्ष की सिफारिशों को अधिक महत्व दिया जाये।

संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन मामले बढ़ जाने पर भी उसके सदस्यों की पूरी संख्या नहीं रखी गयी है। मामलों की संख्या बढ़ने के मामले में संघ लोक सेवा आयोग उच्च-न्यायालयों का मुकाबला करते हैं और यहां 10 अथवा 15 वर्ष पुराने मामले पड़े हैं।

{ **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए।** }
{ **Shri C. K. Bhattacharyya** *in the Chair* }

छूट की सूची में महान्यायवादी के निजी सचिव जैसे सभी प्रकार के लोग शामिल हैं। इस सारी सूची की जांच नये सिरे से की जानी चाहिये और उसे जितना छोटा हो सके, किया जाना चाहिये। ऐसे मामले संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जाने चाहिये तथा चुनाव योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिये। यदि नियुक्ति मन्त्रियों तथा सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा की जाये तो अन्याय तथा पक्षपात की सम्भावना है।

संघ लोक सेवा में एक विशेष मामले की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के लिए दो इन्टरव्यू बोर्ड हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उम्मीदवारों की योग्यता के बारे में निर्णय किस प्रकार किया जाये, इंटरव्यू के समय कम से कम आयोग का एक और सदस्य होना चाहिये।

संघ लोक सेवा आयोग की मूल कल्पना के अनुसार उसका अध्यक्ष सचिव के स्तर का तथा सदस्य अपर सचिव के स्तर के होने चाहियें। उनके वेतनों तथा स्तर में कभी उनके महत्त्व को कम करने के लिए की गई है।

यद्यपि विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में होती हैं तथापि उनका गठन इस प्रकार का होता है कि आयोग का सदस्य सचिवालय के प्रतिनिधियों से प्रभावित हो जाता है। ऐसी समितियों में संघ लोक सेवा आयोग के दो सदस्य होने चाहिये और उनके विचारों का आदर किया जाना चाहिये। आयोग का अभ्यार्थियों के गुण ध्यान में रखने चाहिये और अधिकारियों द्वारा की गई रिपोर्टों पर निर्भर नहीं होना चाहिये।

आयोग के विरुद्ध यह शिकायत की जाती है कि उसमें विलम्ब बहुत होता है। आयोग के अध्यक्ष को स्वयं दण्ड के मामलों या विभागीय कार्यवाही में विलम्ब के मामलों की ओर ध्यान देना चाहिये।

मैं प्रशासनिक सुधार आयोग के विचारार्थ एक सुझाव रखना चाहता हूँ। संघ लोक सेवा आयोग के तीनों निवृत्ति प्राप्त अध्यक्षों श्री बनर्जी, श्री हेजमडी तथा श्री झा और वर्तमान अध्यक्ष पर सम्मिलित एक समिति होनी चाहिये। यदि यह समिति आयोग के गठन, नियुक्तियों, चयनों तथा उसकी सदस्यता के प्रश्नों पर विचार करेगी तो विभागीय विलम्ब या दण्ड के मामलों को समाप्त किया जा सकेगा। इससे आयोग के कार्य में बहुत सुधार हो सकेगा।

Shri Randhir Singh (Rohtak): I welcome this revolutionary change according to which the examinations of U. P. S. C. will be held in Hindi and other regional languages along with English. It will enable the poor labourers, farmers and villagers to aspire for high offices.

At present the centres for holding U. P. S. C. examinations are a few big cities like Delhi, Bombay, Calcutta etc. I would request the Minister to make provision for making more centres for these examinations at smallers places just as Rohtak so as to enable the poor to appear at the examinations without incurring much expenditure. Uptil now the examinations of I. A. S. and I. P. S. were the monopoly of the candidates belonging to rich families. Now the poor section of the society would also be able to compete these posts.

The members who select the candidates should have their sympathy with the poor section of the society. A candidate qualifies at the written test but when he appears at interview, he is rejected on the plea that his callar was not in the proper fashion or his shoes were not polished. Instead of this the emphasis should be laid on the society to which he belongs such as whether he belongs to a poor family, whether he has worked in community development etc., or not. The candidates should not be recruited on the plea that his father had been I. C. S. officer on a Deputy Commissioner. Now that age has come to an end. I mean to say the members of the Selection Boards should be rural minded and rural oriented, and the candidates belonging to villages should be given preference.

I have gone through the Report of the Commission for Scheduled Castes in which it has been stated that the vacancies for scheduled candidates are, no doubt, reserved but they are kept vacant. These vacancies should be filled in and should not be postponed to next year.

The Central Government should also appoint a Selection Board for subordinate services at it is functioning in some States. The selection of candidates for these services should not be left to the concerned officers as it encourages nepotism. It is very difficult to secure high positions and therefore people belonging to poor sections of the society become peons, L. D. Cs., and U. D. Cs. only, and that also with great efforts. There are several instances of corruption for getting an employment. In case one wants a job, one has to pay the price therefor. In view of this a Subordinate Services Selection Board should be constituted. The members of U. P. S. C. should be given full autonomy. These members should not enter into Government Services again. I agree with Shri Desai that only experts should be employed in such Autonomous Boards and after their appointment no outside influence should be allowed to be exerted upon them. **(Interruptions)** The persons having connections with political parties should not be appointed as Members.

I do not agree with Shri Desai in so far as the question of increased salaries to the Members is concerned. The Members should take lesser amount of salaries

I would ask the Government to let us know as to why thirty to fourty thousand Indian Scientists are not prepared to come to this country. It is understood that these Scientists are unwilling to come to India because they do not get treatment worthy of their positions. The way of behaviour and principle of conduct is quite different in foreign countries whereas they are not provided with suitable opportunities in our country. Our officers should treat these young scientists as their own and try to use their tailents for the benefit of the country. Dr. Narlekar, a famous scientist is one of these talented figures but he has also left India.

It is quite improper to appoint I. A. S. officers as Head of Agricultural and Engineering Departments. I would request the Hon'ble Home Minister to create such conditions under which our young, talented, and patriot scientists should return to this country to serve their own nation.

Shri Shrichand Goel (Chandigarh): I would like to discuss the questions of the posts which are proposed to be taken out of the purview of U.P.S.C. It appears from the report of Public Undertakings that there are manned by the retired personel and the result is that almost all the Public Undertakings are running at a loss. In my opinions the rules recruitment, promotion and retirement should be strictly followed.

Now U. P. S. C. examinations will be conducted in all the regional languages which is a step in the right direction. We should also prepare Terminology of Technical Terms.

From (Appendix 9 of the Report it will be seen) that in 163 cases the Commission could not get suitable hands. You will find that no technical qualification is required for these posts but there could not be filled in because of nepotism.An element of provincialism is quite apparent in the services. At the time of framing the recruitment rules the Departments concerned have some person in their mind and some how they want to select him. The other reason for not filling up these posts appears to be that we are not prepared to offer suitable emoluments which could attract talented persons. There are some cases in which posts which were advertised, the candidates interviewed but letter on they were cancelled which results in huge loss of expenditure. There are cases in which U. P. S. C. have recommended names but the posts are not filled in for a pretty long time. It is not understood why the Departments concerned do not fill in the posts for two or three years especially after the recommendations of U. P. S. C.

I am of the opinion that the concessions meant for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates should continue. So far the question of the Indian students to be recruited from abroad is concerned, I am of the view that Chairman or a Member of the commission should visit the countries concerned and interview them there instead of calling the candidate from abroad for interview only.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : यह कहा जाता है कि सरकार निष्पक्ष प्राधिकार द्वारा, जिसे लोक सेवा आयोग कहा जाता है, भर्ती करती है। परन्तु भर्ती के बाद उनके चरित्र के सत्यापन पुलिस द्वारा करवाया जाता है और यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखने वाला सिद्ध हो जाये तो उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाता है। यह बात उचित नहीं क्योंकि सभी राजनीतिक दल संवैधानिक हैं और यदि कोई पुलिस का मामूली सिपाही यह कह देता है कि इस व्यक्ति का सम्बन्ध साम्यवादी दल अथवा द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम दल से है तो उसकी नियुक्त रद्द कर दी जाती है। आज केन्द्र में कांग्रेस दल का शासन है तो कल किसी और दल का शासन हो सकता है, जैसा कि कुछ राज्यों में हो गया है। अब जिन राज्यों में कांग्रेस दल का शासन नहीं है क्या वहां पुलिस द्वारा चरित्र का सत्यापन करवा कर जिन कर्मचारियों का कांग्रेस दल से सम्बन्ध हो, नौकरी से अलग कर दिया जाये ? कांग्रेस ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया गया है कि यदि वे किसी अमुक दल से सम्बन्ध रखेंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जायेगा। इस प्रकार की बातें हम केरल और बंगाल में कर सकते हैं पर हम ऐसा नहीं करते। हम जनता को धमका कर उनका समर्थन प्राप्त नहीं करना चाहते बल्कि अपने कार्यक्रमों तथा जनता की सेवा के आधार पर उनका समर्थन चाहेंगे। मैं गृह-मन्त्रालय से अनुरोध करूंगा कि वे देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान में उल्लिखित राजनीतिक दलों में से किसी के भी साथ सम्बन्ध रखने की आज्ञा दें। अब वे दिन बीत गये जब कांग्रेस दल के नेताओं में जनता का विश्वास था। इसलिये मैं अपील करता हूँ कि कांग्रेस दल जनता को डराने धमकाने की बातें छोड़ दें। अब जनता उनकी बातों में नहीं आयेगी।

सभापति महोदय : इस प्रस्ताव पर अब वाद-विवाद स्थगित किया जाता है और स्थगन प्रस्ताव के निपटाने के पश्चात इस पर फिर चर्चा की जायेगी।

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

देश में खाद्य-स्थिति

सभापति महोदय : अब सभा स्थगन प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस महत्त्वपूर्ण समस्या के लिये जो समय निर्धारित किया गया है वह बहुत ही कम है। इसलिये मैं अनुरोध करता हूँ कि प्रस्तावक को 25 मिनट और अन्य सदस्यों को 15 मिनट प्रति सदस्य के हिसाब से समय दिया जाय।

सभापति महोदय : इस विषय पर 6.30 म० प० तक चर्चा की जायगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूँ; "कि सभा अब स्थगित हो"।

माननीय खाद्य तथा कृषि मन्त्री ने आज प्रातः सभा पटल पर एक विवरण रखा था जिसमें यह कहा गया था कि देश में अब भी खाद्य स्थिति विषम है, उन्होंने कहा था कि दो वर्ष

निरन्तर सूखा पड़ने के कारण देश में उत्पादन को भारी धक्का पहुँचा है। इसके साथ ही आयात की स्थिति भी अभी स्पष्ट नहीं है। यदि अमरीका के साथ कोई नया इकरार न हुआ तो जुलाई के बाद की स्थिति एकदम अनिश्चित रहेगी। इससे यह स्पष्ट है कि इस स्थिति की जिम्मेदार केवल केन्द्र सरकार है। मैं इस स्थगन प्रस्ताव द्वारा इस सरकार की निन्दा करना चाहता हूँ जिसने बिहार, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, समस्त देश में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न कर दी है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की स्थिति भयानक है बिहार में आज तक 1000 से अधिक व्यक्ति भूख से मर चुके हैं। सरकार के पास इन तथ्यों की जाँच के लिये कोई निष्पक्ष साधन नहीं था। उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य सरकारों ने इस समाचार की पुष्टि की है कि भूख के कारण लोग मरे हैं।

पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति गम्भीर है और केन्द्र सरकार से सहायता माँगी जा रही है। पश्चिम बंगाल ने कम से कम 10,000 टन गेहूँ मांगा है ताकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उसे भेजा जा सके। केवल पुरुलिया जिले में 22 व्यक्तियों के मरने की सूचना मिली है। जितना अनाज श्री पी० सी० सेन के मुख्य मन्त्री रहने के समय दिया जाता था, उससे अब आधा भी नहीं दिया जा रहा।

जब पश्चिम बंगाल में नयी सरकार ने कार्यभार सम्भाला तो उनके पास कलकत्ता के 65 लाख लोगों के लिये केवल 10,000 टन चावल थे। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब पश्चिम बंगाल की सरकार ने प्रधान मन्त्री को बंकुरा और पुरुलिया जिलों में अभाव की स्थिति के बारे में लिखा था तो क्या केन्द्र ने उनको अतिरिक्त अनाज भेजा था? इन जिलों को इसलिये अभाव का सामना करना पड़ा क्योंकि यहाँ की जनता ने श्री अतुल्य घोष के विरुद्ध मत डाले थे। केन्द्र सरकार राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकारों को बदनाम करना चाहती है। और जनता में असंतोष की भावना का प्रसार करना चाहती हैं। वहाँ की जनता यह महसूस करती है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को मत नहीं डाले, इसलिये उन्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में कहा गया था कि केरल को 75,000 टन चावल भेजा जायेगा परन्तु वास्तव में उससे आधा नहीं दिया गया।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

सितम्बर, 1964 में जब दक्षिण जोन समाप्त कर दिया गया था तो केरल को 75,000 टन प्रति मास चावल देने का वचन दिया गया था। परन्तु इतनी मात्रा में कभी भी चावल नहीं दिया गया। आज केरल में भूखमरी की स्थिति है।

उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल यही स्थिति है यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश को अनाज का कोटा फिर से उतना ही दिया जायगा जितना पहले दिया जाता रहा है। परन्तु ऐसा अब तक नहीं हो सका। केन्द्र सरकार ने 6000 टन चीनी भी देने को कहा था, परन्तु वह भी अब तक नहीं दी गई। जिसका अर्थ यह है कि केन्द्र सरकार गैर-कांग्रेसी सरकारों तथा इन राज्यों के लाखों लोगों को भूखा मारना चाहती है।

इसी प्रकार बिहार राज्य की स्थिति है जहाँ अकाल पड़ा हुआ है। जितने अनाज का वचन दिया गया था, उससे कहीं कम मात्रा में अनाज दिया जाता है। कांग्रेस सरकार न तो समस्याओं के बारे में कुछ सुनती है और न उनका कोई समाधान करती हैं। हमें कहा जाता है कि हम मछली और अण्डे अधिक मात्रा में खाएं परन्तु उनका मूल्य भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

इस समस्याओं का समाधान एक है और वह यह कि या तो यह सरकार त्याग-पत्र दे दे या राज्य अनाज का व्यापार अपने हाथों में ले। परन्तु केन्द्र सरकार यह भी नहीं चाहती। दूसरे विक्रय योग्य फालतू अनाज का भण्डार जमा किया जाय। तीसरे किसानों को लाभ-प्रद मूल्य दिये जायें। यदि सरकार ने उक्त प्रश्नों का कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया तो जनता इस सरकार को निश्चय ही समाप्त कर देगी।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : मैं गुजरात राज्य के उस निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित हूं, जो बिहार से बहार खाद्य के मामले में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। इसलिये इस विषय पर बोलने का मुझे भी कुछ हक प्राप्त है। देश में अन्न की स्थिति बिगड़ने के कई कारण हैं। अन्न का दोषपूर्ण वितरण भी इसका एक कारण है। जितना अनाज हमारे पास है उसका समुचित वितरण भी नहीं हो पा रहा है। इसके लिये सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है। परन्तु सरकार का कहना है कि लोग खाते अधिक हैं जब कि अन्न कम मात्रा में उपलब्ध है। यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि तीसरी तथा चौथी योजना के दौरान लोगों की प्रति व्यक्ति आय इतनी कम बढ़ी है कि उसके लिये बढ़ी हुई कीमतों पर अधिक अनाज खरीदना कठिन हो गया है।

अन्न का जमा किया जाना भी अनाज की शोचनीय स्थिति के लिये जिम्मेदार है। यह सच है कि किसान अनाज जमा करता है परन्तु वह केवल इतना अनाज जमा करता है जितने के लिये उसकी आर्थिक स्थिति उसे अनुमति देती है। मेरे विचार से असली जमाखोर तो स्वयं भारत सरकार तथा राज्य सरकारें हैं सरकार द्वारा जमा करने के दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, परन्तु इसके लिये क्षेत्रीय व्यवस्था को भी हटाना होगा जो अनाज के समुचित और समान वितरण में बाधक है। क्षेत्रीय व्यवस्था राष्ट्रविरोधी, एकता-विरोधी समाज-विरोधी और अलाभदायक है।

अनाज न मिलने का दूसरा कारण है सरकार द्वारा लागू की गई अनाज-वसूली की व्यवस्था। यह व्यवस्था अभाव की मनोवृत्ति को जन्म देती है। इससे किसानों का उत्साह भी समाप्त हो जाता है चूंकि वह यह सोचता है कि जो कुछ वह पैदा करेगा, वह सरकार द्वारा उससे छीन लिया जायेगा। इसी धारणा के कारण वह अधिक पैदा करने के लिये प्रयास नहीं करता और जो कुछ पैदा हो जाता है, उसी पर सब्र कर लेता है। इसी के साथ अनाज के निर्यात की बात भी आती है। अपने देश में वस्तुओं का अभाव होने पर भी चावल, कच्ची चीनी आदि का निर्यात किया जाता है।

इस विशाल देश में उत्पादन में थोड़ा बहुत अन्तर आने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर तो अनाज की उपज बहुत अधिक बढ़नी चाहिये और इसके लिये हमें अपनी आर्थिक

नीतियों को पूर्णतः परिवर्तित करना होगा। देश में औद्योगिक अर्थ व्यवस्था के स्थान पर कृषि अर्थव्यवस्था को लाना होगा। अतः मैं सरकार को यह सलाह देता हूँ कि वह क्षेत्रीय व्यवस्था को समाप्त करे, अन्न के मामले में राज्य-व्यापार बन्द करे, सरकार खुले बाजार से अनाज खरीदे तथा अभाव का अनुभव होने पर सरकारी भंडार को बेच डाले, सरकारी क्षेत्र में रुपया बर्बाद न करे तथा उस रुपये को कृषि पर खर्च करे अथवा उस रुपये को छोटी सिंचाई योजनाओं, उर्वरकों, उत्तम बीजों और कृषकों के लिये ऋण सुविधा पर खर्च करे। देश की विद्यमान जटिल समस्याओं को हल करने के लिये सरकार को अपनी सभी नीतियों पर फिर से विचार करना होगा।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) ; Mr. Deputy Speaker, first of all I thank the opposition because they have moved the Adjournment Motion which is a blessing in disguise for congressmen. On account of it we have got an occasion to bring out the facts and give correct information to the public. People highly talk of Bihar. I have personally seen the whole of Bihar. The total foodgrains requirement of Bihar State is said to be about 4 lakh tons per month. The population of Bihar is 5 crores. Only 84./· of the population needs foodgrains. Thus one crore of people require 75000 tons at the rate of average of 8 ozs. I do not understand at what bais the Bihar Govt. is asking for 4 lakhs tons of foodgrains. Secondly there are areas in Bihar where there has been 10 to 45 percent production of foodgrains. According to this calculation Bihar State requires about $2\frac{1}{4}$ lakh tons. In the month of May $2\frac{1}{4}$ lakh tons of foodgrains was supplied to Bihar. In April the quantity of supplied foodgrains was 1 lakh 97 thousand tons.

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : The hon. Member is talking of allotment or of the quantity supplied to Bihar. She is misleading the House by giving wrong facts. She need not blams the Food Minister of Bihar.

Shrimati Tarkeshwari Sinha : I am giving the correct figures. If figures are wrong. the Food Minister may contradictit. Moreover I have full right to speak in the House. The opposition can frequently and largely criticize the Congress Govt., but they are not prepared to hear the criticism of non-Congress Govt.

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।

Shrimati Tarkeshwari Sinha : How can I conclude of the time allotted to me, has been taken by opposition by way of putting interruptions.

The opposition parties in this House do not have a common programme. They should first present a common programme. In regard to Bihar. I want to say, that the distribution system is defective there. I have toured the famine affected areas in my state. I can say that the B. D. Os and other officers are not doing their job properly. The food-grains are not being supplied to the people regularly in many a block. So much so that the loans which were sanctioned by the former Government of the State have not been paid so far. I am surprised to understand that the hon. Members sitting on the opposite side do not know the factual position. They have declared certain areas of Bihar as famine areas but they are not providing the essential help in those areas.

The Central Government has given a total of Rs. 12 Crores for relief. You would be surprised to know that out of this amount a little over Rs. 3 Crores have been spent so far.

The Zonal system was introduced after due consultations with states. It is in their interests that this system is being continued.

श्री अ० क० गोपालन (केसरगोड) : हमारे देश में खाद्य स्थिति बहुत गम्भीर है। यह बात सभी पक्ष स्वीकार करते हैं। इस विषय पर एक महीना हुआ पहले भी चर्चा हो चुकी है। जहां पर पूर्ण रूप से राशन व्यवस्था लागू उन राज्यों में भी गड़बड़ होने का भय है। मेरे विचार में खाद्य स्थिति में सुधार किया जा सकता है यदि अनाज की वसूली तथा उसके वितरण कार्य में आवश्यक परिवर्तन किया जाये। सरकार को यह कार्य अपने हाथ में लेना चाहिये। उत्पाद तो एक अलग प्रश्न है परन्तु जब तक वसूली तथा वितरण कार्य में सुधार करने से खाद्य स्थिति में सुधार हो सकता है। जबतक सरकार अपनी नीति आवश्यक परिवर्तन नहीं करती स्थिति में सुधार होना कठिन है।

केरल में तो कुल आवश्यकता का केवल आधा अनाज उत्पन्न होता है। यदि इस राज्य को कुछ दिन तक अनाज नहीं दिया गया तो वहां पर राशन व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जायेगी। अतः केन्द्रीय सरकार को अपने वचन के अनुसार अनाज की सप्लाई जारी रखनी चाहिये। पश्चिमी बंगाल को 75,000 टन गेहूं तथा 15,000 टन चावल की आवश्यकता है। परन्तु उस राज्य को केवल 19,000 टन गेहूं सप्लाई किया गया है। इस प्रकार यदि पश्चिमी बंगाल को अनाज नहीं भेजा गया तो राज्य में राशन व्यवस्था में गड़बड़ हो जायेगी। वहां पर भूख से कुछ मृत्यु होने के समाचार भी प्राप्त हुए हैं। बिहार तथा उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है।

इस बात से इन्कार नहीं हो सकता कि कमी वाले राज्यों की सहायता करना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है। यदि केन्द्रीय सरकार अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल है तो इसे राज्यों को सीधे विदेशों से अनाज मंगाने की अनुमति देनी चाहिये। आज देश में लोग भूख से मर रहे है। हमें समय की गम्भीरता को देखना और समझना चाहिये। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक से निभाये और अपनी नीति में आवश्यक परिवर्तन करे।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): The food situation in the country is very critical and millions of people are badly affected. The Hon'ble Minister has denied the reports of deaths due to starvation on the plea that these could not be confirmed. Unless we rise above party politics, we cannot solve this problem. I have visited Bihar and I have come to know that many persons have died of hunger. This is nothing but a stigma on the whole nation and not on an individual party. In case the food situation is not brought under control immediately, there may be many more cases of starvation in the next two or three months. When the demand of the State has been considered and the quantum of allotment of food-grains has been decided, then why the States concerned could not get that much quantity of food-grains. I concede that there were some genuine difficulties in supply of foodgrains but the fact remains that the requisite quantity of foodgrains could not be supplied to States concerned. I want to say that the quantity of foodgrains that Government has got with them or they can collect and import in the near future, should be distributed amongst the States and there should not be any dispute on the system of distribution. In spite of change of Governments in the States and new Ministers in the Centre, there does not appear to be any evidence of revolutionary change in the system of distribution or production.

The movement of foodgrains from one State to another is all the more trouble some which also results in disparity in the price-structure. It is not understood why ban

cannot be lifted on the movement of coarse grains ? In case abolition of food zones is not feasible, atleast restrictions on movement of coarse grains should be removed.

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : May I request Shri Vajpayee to ask the States of Punjab and Haryana where they have their own Governments to reconsider the question of zonal sustem as U, P., Haryana and Punjab was one zone but Haryana and Punjab State Governments have got it converted into single State Zones ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : I can say one thing that all the State Governments and all political parties should put their heads together and frame a national food policy. I would like to suggest that the subject of food production should be left to States but procurement and distribution of foodgrains should be taken over by the Central Government. The branches of Food Corporation should be established in all the States and foodgrains should be procured at reasonable rates. We have to appeal to the farmers to sell the surplus stocks to State Governments. If no useful purpose is served by appeals, action has to be taken against them. But before such action is taken, all the political parties should agree not to take any undue advantage from the food situation in the country and Congress Party should take initiative in this direction.

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिये $2\frac{1}{2}$ घन्टे का समय निर्धारित किया गया था। परन्तु विरोधी दलों द्वारा स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कारण इस चर्चा को निर्धारित समय के अन्तर्गत समाप्त करना बहुत कठिन है। इस बारे में क्या किया जाना चाहिये।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : इस वाद-विवाद को आज समाप्त हो जाना चाहिये चाहे हमें 7.00 बजे तक बैंठना पड़े।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्र पाड़ा) : अब तक स्थगन प्रस्ताव के विषय में कांग्रेस की ओर से केवल मंत्री महोदय ही बीच-बीच में बोला करते थे, और केवल विरोधी दल के सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाता था, परन्तु इस बार समय को आधा आधा बांटा जा रहा है, जो उचित नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : विरोधी दल ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और मंत्री महोदय उसका उत्तर देंगे, परन्तु इस आधार पर इस ओर के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने से वंचित नहीं किया जा सकता।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं आपका ध्यान प्रक्रिया सम्बन्धी नियमावली के नियम 62 की ओर दिलाना चाहता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आधा घन्टा समय बढ़ा दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा देखेंगे।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : It is a matter of regret that the area which I represent has not been declared as 'famine area' inspite of the fact that, that area is also facing same difficulties which are being experienced by the area which has been declared as 'famine area;. There has been unequal distribution of foodgrains supplied by the Centre. Bihar Government have limited their activities upto party politics and they have failed to bring to the notice of Central Government the critical food situation in Bihar. They have also not been able to furnish any statement of distribution of foodgrains supplied by the Centre. They have also not reported the cases of starvation in different

areas of the State. The Bihar Government has been in the office for the last few months but they have desperately failed in facing the food problem in the State. There has not been any progress in so far as digging the wells and arrangement for supply of electricity is concerned. There has been utter confusion in their Government. Shri Vajpayee was referring to procurement. Jana Sangh Party is that of small shopkeepers who hoard food-grains. If we are in a position to recover this hoarded stock we will have sufficient food.

When opposition parties indulge in strikes and 'Gheraos'. the supply of foodgrains will naturally be affected. Today it is found that even distribution of milk is not being done honestly. The leaders of various political parties in power in Bihar are more worried about their own offices than the welfare of the people of the State.

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य दक्षिण) : अकाल की स्थिति की चर्चा करते हुए अब तक इतना ही कहा गया है कि बिहार बंगाल और केरल में जितना अनाज भेजने का वचन दिया गया था, उतना नहीं भेजा गया, और इस कारण वहाँ अनाज की कमी का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु बात इतनी ही नहीं, क्योंकि वचन दिये गये अनाज को भेजने का सम्बन्ध तो केवल तत्काल सहायता के प्रश्न के साथ है। वास्तव में अकाल की स्थिति का मुख्य कारण कांग्रेस की सामान्य नीति है। जब देश में पर्याप्त अनाज उत्पन्न होता था तब भी मूल्यों में वृद्धि होती रही और अनाज की कमी भी थी। इस अकाल का सम्बन्ध कांग्रेस दल की वित्तीय नीति से है जिसे बदलने के लिये वह कभी तैयार नहीं। जब देश में अच्छी फसल हुई तो चोर बाजारी और जमाखोरी के कारण कमी हो गई और जब फसल किसी कारण पूरी नहीं हुई तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जब तक कांग्रेस दल जिसके हाथ में केन्द्र सरकार की सत्ता है और वास्तव में जिसके हाथों में वित्त का एकाधिकार है, इस समस्या का समाधान नहीं करती, तब तक कमी और अकाल की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिये इस समस्या के समाधान के लिये वित्तीय साधनों में कमी करनी आवश्यक है ताकि वे जमाखोरों के हाथों में न पहुँच सकें।

जहाँ तक अकाल की स्थिति का प्रश्न है, केन्द्र सरकार गैर कांग्रेसी सरकारों को परेशान कर रही है। जब बिहार सरकार ने कुछ क्षेत्रों को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया तो केन्द्र सरकार ने उनसे कहा था कि 'यदि आपको अधिक धन की आवश्यकता है तो केन्द्र सरकार और धन नहीं देगी'। क्या केन्द्र सरकार का इस प्रकार का रवैया उचित है। इस प्रकार का रवैया इन गैर-कांग्रेसी सरकारों को नीचा दिखाने के लिये अपनाया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार को धन देने से इन्कार करने का कोई अधिकार नहीं। यह धन केन्द्र सरकार का नहीं है। राज्यों की जनता की सहायता के लिये जितनी धन-राशि की आवश्यकता होगी, केन्द्र सरकार को देनी पड़ेगी। वित्त मंत्री इन सरकारों को बदनाम करने के लिये इस नीति को अपना रहे हैं। मुझे आशा है कि कांग्रेसी नेता इन चालों को छोड़ देंगे। जब अकाल पीड़ित क्षेत्रों में सहायतार्थ श्रमिकों की मजदूरी बढ़ा दी तो श्री मोरारजी देसाई ने इस काम के लिये भी अतिरिक्त धन देने से इन्कार कर दिया। इसलिये यह एक तरफा नीति उचित नहीं है।

सहायता के कार्यों के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारियों की बात कही गई थी। ये अधिकारी कांग्रेस मंत्रिमण्डल द्वारा नियुक्त किये गये थे और वे सहायता कार्यों की व्यवस्था में कांग्रेसी नेताओं के कहने पर बाधा डालते हैं। (**व्यवधान**) उन्हें कांग्रेसी नेता तरह तरह के लालच देते हैं। हमने ऐसे कुछ अधिकारियों को नौकरी से अलग करने का प्रयास किया था परन्तु स्थानीय कांग्रेसी नेता ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं।

अब बिजली सप्लाई करने का प्रश्न है। कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने उत्तर बिहार में गंडक परियोजना आरम्भ की, परन्तु सभी इंजीनियर पटना में बैठे थे। नई सरकार ने इस मामले की जांच की और इन सभी इंजिनियरों को काम के स्थान पर जाने के लिये बोला तो वे असन्तुष्ट हो गये और कुछ कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें संरक्षण दिया। एक ठेकेदार को बिना कोई काम किये 65 लाख रुपया दिया गया जिसे अब वसूल किया जा रहा है।

पटना के एक समाचार पत्र में तीन लेख छापे हैं जिनमें बताया गया है कि किस प्रकार नलकूप लगाने तथा वित्तीय सहायता देने का कार्य केवल कागजों तक ही सीमित रहता है। ऐसे कई उदाहरण भी मिले हैं। इसलिए हमें अपनी त्रुटियों को स्वीकार कर लेना चाहिए इसलिये मेरा कहना है कि बिहार, पंजाब, केरल तथा डी० एम० के० सरकार को अकाल का सामना करने के लिए वित्तीय सहायता देने के प्रश्न को एक दलगत प्रश्न नहीं समझा जाना चाहिए।

{ श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C. K. Bhattacharyya *in the Chair* }

डी० एम० के सरकार तथा बिहार, बंगाल तथा केरल की सरकारों को चावल की राज्य सहायता तथा आवश्यक धन राशि उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि वे सरकारें अकाल की स्थिति पर काबू पा सकें।

बिहार तथा अन्य राज्यों के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों से भू–राजस्व नहीं लिया जाना चाहिए। यह बड़े खेद की बात है कि वित्त मंत्री ने इस मामले में आपत्ति की है। यदि इन गरीब किसानों को इस समय भू–राजस्व में रियायत न दी गई तो वह पुनः उचित ढंग से खेती करने में असमर्थ रहेंगे। परन्तु भू–राजस्व पद्धति राज्य सहायता तथा केन्द्र से अन्य वित्तीय सहायता लेने के प्रश्नों को राजनैतिक प्रश्न समझा जा रहा है हालांकि ये बहुत गम्भीर प्रश्न हैं।

अब तक अपनाई गई नीतियों के कारण ही अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई है। परन्तु सरकार अब भी उनमें परिवर्तन करना नहीं चाहती यदि हमें वर्तमान स्थिति में सुधार करना है तो वर्तमान नीतियों में परिवर्तन करना होगा।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

जब तक केन्द्रीय वसूली की नीति को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया जाता, गैर–सरकारी बैंको को अपने नियंत्रण में लेकर व्यापारियों को खाद्यान्न व्यापार के नाम पर दिये गये अग्रिम को कम नहीं किया जाता तथा भू–राजस्व प्रणाली में पूरी तरह परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक वर्तमान अकाल की स्थिति में सुधार तथा भविष्य में अच्छी फसलें उगाने के काम ठीक प्रकार से नहीं चल सकता।

जब जहाजों से खाद्यान्नों को उतारना होता है तो उस समय के लिए गोदियों में घोषित हड़तालों को भी समाप्त कर दिया जाता है। हमारी नीति सदा यही रही है। बम्बई तथा अन्य स्थानों में ऐसा किया गया है। इसलिए तुरन्त सहायता न देने के लिए हड़ताल का बहाना बनाना उचित नहीं है।

अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की क्रय शक्ति का प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए मजदूरों को अधिक मजदूरी देना आवश्यक है। परन्तु सरकार कुछ रियायतें देने के लिए भी तैयार नहीं हो रही है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह तुरन्त वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध करें अन्यथा हम समूचे देश में 'घेराओं' आरम्भ कर देंगे।

श्री सन्त बक्स सिंह (फतहपुर) : भूखमरी के बारे में बोलने के लिये हमें जो अवसर मिला है उसके लिये मैं विरोधी दलों को धन्यवाद देता हूँ यद्यपि स्थगन प्रस्ताव भूखमरी से हुई मृत्युओं के बारे में दिया गया है परन्तु वास्तविक स्थिति के बारे में बहुत कम कहा गया है।

उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री ने, जैसा कि आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है अपने एक बयान में कि राज्य को सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्न की समुचित राशि से वह संतुष्ट है। तथापि इस संदर्भ में मैं कानपुर और इलाहाबाद के बीच स्थित एक छोटे से जिले फतेहपुर की स्थिति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यहां पर एक भी सरकारी नलकूप नहीं है। न वहां कोई सहायता कार्य ही आरम्भ किया गया है। इस क्षेत्र का दौरा करने वाले प्रमुख समाचार पत्रों के पत्र प्रतिनिधियों को वहां के सैकड़ों लोगों ने बताया है कि 24 व्यक्तियों की भूखमरी से मृत्यु हुई है क्योंकि उनको भोजन अथवा कोई खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो सका। इस पर उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री जो कि वामपंथी साम्यवादी हैं उन्होंने यह बयान दिया कि एक संसद सदस्य स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। तब उस इलाके के पांच विधान सभा के सदस्य तथा मैं उनसे मिले तथा उन्हें तथ्य बतलाये तथापि उन्होंने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उन्हें चुनौती दी कि आटे में आज भी सभा के समय यह चुनौती देना चाहता हूं कि यदि जिले में भूखमरी से कोई मृत्यु न हुई हो तो मैं अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा। इस पर मंत्री जी ने यह कहा कि यदि उनकी बात गलत सिद्ध हो जावे तो वे भी इस्तीफा दे देंगे आज भी वहां लोग भूख से मर रहे हैं तथापि कोई सुनने को तैयार नहीं है। तीन सप्ताह गुजर गये हैं परन्तु इस बारे में कोई जांच नहीं की गई है। मेजर रणजीत सिंह, श्री शशिभूषण तथा कई अन्य माननीय सदस्य फतेहपुर गये थे और एक वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि लोग पेड़ों के पत्ते कैथ और बेल खा कर गुजर कर रहे हैं। इन सब के बावजूद भी आज तक कुछ नहीं किया गया है। जनता के दुखों को कम करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री स्थिति में सुधार करने में असफल रहे हैं। जिला अधिकारी लोगों को तथ्य बताने से रोक रहे हैं। सच यह है कि वहां पर लोग भुखमरी से मर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि भुखमरी से हुई मौतों की अदालती जांच कराई जाये।

मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि 16 तथा 17 वर्ष की आयु के नवयुवक 10 रुपये पाने और जीवित रहने के लिये 'नसबन्दी' 'स्टरीलाइजेशन' करा रहे हैं। लोगों की वित्तीय स्थिति की यह दशा है।

मुझे प्रसन्नता है कि श्री वाजपेयी ने कहा है कि खाद्य समस्या को राजनैतिक समस्या नहीं समझा जाना चाहिये। यद्यपि वह अनाज को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाने ले जाने की बातें करते हैं तथापि उत्तर प्रदेश में, जहां कि जनसंघ सब से बड़ा दल है, एक जिले से दूसरे जिले में अनाज ले जाने की अनुमति नहीं है यद्यपि हम में से कई सदस्य श्री स० मो० बनर्जी,

की इस बात से सहमत होंगे कि खाद्यान्नों का राज द्वारा व्यापार होना चाहिये तथापि इसका सबसे पहिले स्वतंत्र पार्टी तथा जनसंघ द्वारा विरोध किया जायेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस समस्या का हल दलगत आधारों पर नहीं किया जाना चाहिऐ ।

अन्त में सर्वश्री गोपलन तथा बनर्जी की मार्फत उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह न्यायिक जांच करायें जिससे पता लगेगा कि लोग कहां भूख से मर रहे हैं । निसंदेह हम इस अभिशाप को नहीं रोक सकते तथापि हमें तथ्यों को छिपाने नहीं चाहिये क्योंकि एक दो महीनों के पश्चात जब रहा सहा अन्न भी समाप्त हो जायेगा तो अवस्था और भी भयानक हो जायेगी और लोक अधिक संख्या में भूख से मरने लगेंगे । अंत में मैं आशा करता हूं कि सभा के माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश की सरकार की फतहपुर की मरणासन्न जनता की दर्द भरी पुकार से अवगत करेंगे ।

श्री राजाराम (सलेम) : डॉ० एम० के दल के किसी भी सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे 15 अथवा 20 मिनट समय बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : सभी दलों को समान समय न देने के कारण ही आपत्ति उत्पन्न हुई है । जिन सदस्यों ने वास्तव में स्थगन प्रस्ताव रखा है उनको भी बोलने का अवसर नहीं दिया गया है । इसलिये चर्चा के समय को बढ़ाना आवश्यक है जिससे कि स्थगन प्रस्ताव रखने वाले सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके अन्यथा स्थगन प्रस्ताव का महत्व ही कुछ नहीं रह जाता ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभी को बोलने का अवसर दिया जाये तो इस चर्चा पर दो दिन से भी अधिक समय लग जायेगा । स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता ।

श्री राजा राम : हम गत दस वर्षों तक उससे भी अधिक समय से इस सभा में देश की खाद्य स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान तथा भूतपूर्व सभी खाद्य मंत्रियों ने यह वक्तव्य दिये हैं कि वे किसानों को अधिक प्रोत्साहन दे रहे हैं । जहां तक भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने भी इस सभा में ऐसा ही कहा है । परन्तु किसी ने भी कृषि की ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि तीन पंच वर्षीय योजनाओं में उद्योगपतियों को ही धन दिया गया है । कांग्रेस सरकार ने गत बीस वर्षों में जो नीतियां अपनाई हैं उनसे कृषि तथा सिंचाई की पूर्णतया उपेक्षा की गई है जिस कारण आज देश को गम्भीर संकट का सामना है ।

मद्रास सरकार ने 70 दिन के थोड़े से समय में जमाखोरों से साढ़े तीन लाख टन चावल वसूल किया है । ये सब लोग कांग्रेसी थे । केवल मद्रास नगर के लिए 15,000 टन चावल की वसूली की गई है । यह बडे शर्म की बात है कि मद्रास के भूतपूर्व कांग्रेसी मुख्य मंत्री ने किसानों को परामर्श दिया है कि वे धान की बुवाई न करके गन्ने की बुवाई करे ।

गत पांच वर्षों में हम चावल के मूल्यों को कम करने के लिए सत्याग्रह करते रहे हैं। सत्ता सम्भालने के तुरन्त पश्चात डी० एम० के दल ने मूल्यों में कमी करने का निर्णय किया। इससे राज्य सरकार को लगभग 8 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। हमने केन्द्रीय सरकार से राज्य सहायता देने के लिये कहा है परन्तु राज्य सरकार को उक्त सहायता नहीं दी जा रही है। केन्द्र सरकार तीन प्रकार के ऋण दे रही है जिसके लिए राज्य सरकार को 22 लाख रुपया व्याज के रूप में दे देना पड़ रहा है।

हमने एक युक्तिसंगत रवैया अपनाया है। केन्द्रीय सरकार को गैर-कांग्रेसी सरकारों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि मूल्यों को कम करने के लिए हमें केन्द्र से राज सहायता प्राप्त होगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Some hon. Members have criticised the present Bihar Government for supporting the Congress here. Even after twenty years of Congress rule poverty prevails in Bihar. It is perhaps the most backward state. Only 5117 tube wells have been installed in Bihar during the last twenty years as compared to 1,35,313 tube wels installed in Madras during the same period.

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{Mr. Deputy Speaker *in the Chair*}

For the last two years Orissa and Bihar are facing drought conditions one after the other but nothing has been done for these areas. The Central Government has made an announcement to the effect that if in any particular area production is less than 75 percent than the normal production then that area should be considered as famine structure area. I do not understand why the Central Government is not issuing the instructions to the State Governments to declare the areas as famine stricken where the production is less than 25 percent the year. When the non-Congress Government of Bihar indicated its desire to follow the said declared principle the Prime Minister and Shri Jagjiwan Ram tried to prohibit them from doing so.

The hon. Food Minister should give statistics to the House showing the commitment mad and the extent to which they have been fulfiled actually. It has been said that Bihar has received 17,000 tons less food grains in March than the committed quantity.

Bihar Government should be advised to implement the Famine Code and according to section 70 of the code, a weekly report should be sent to the Central Government. regarding the famine stricken areas.

श्री समर गुह (कन्टाई) : स्थगन प्रस्ताव रखने का मेरा तात्पर्य सभा का इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना था कि पश्चिम बंगाल सरकार के बार बार प्रार्थना करने पर भी केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बंकुरा, मलगांव तथा दिनाजपुर के जिलों में अभाव तथा अकाल जैसी स्थिति का अनुमान लगाने तथा पश्चिम बंगाल सरकार को समय पर पर्याप्त मात्रा में अनाज देने में असफल रही है।

एक ओर तो पश्चिम बंगाल में राशन व्यवस्था के भंग हो जाने की सम्भावना है तथा दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल के चार जिलों में लगभग अकाल जैसी स्थिति है।

खाद्य स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बारे में केन्द्रीय सरकार को अवगत कर दिया गया है

परन्तु पश्चिमी बंगाल की स्थिति की केन्द्रीय सरकार का ध्यान नहीं गया है। मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम भी बता सकता हूँ कि जिनकी भूख के कारण मृत्यु हो गई है। 4 मई को पश्चिमी बंगाल के सहायता-कार्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था परन्तु खेद की बात है कि प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय सरकार की ओर सहायता का किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है।

पश्चिमी बंगाल को पर्याप्त खाद्यान्न भी नहीं दिये गये हैं। मई के महीने में कलकत्ता बन्दरगाह पर केवल एक जहाज भेजा गया है। कलकत्ता बन्दरगाह की पूरी क्षमता का लाभ नहीं उठाया जा रहा है मुझे भय है कि यदि स्थिति को संभाला न गया तो कहीं राशन व्यवस्था असफल न हो जाये। वहां पर पहले ही डबल रोटी की सप्लाई में कमी हो गई है।

मेरा सुझाव है कि प्रधान मंत्री तथा खाद्य मंत्री तुरन्त पश्चिमी बंगाल का दौरा करें और वहां की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करें। ये लोग ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दे रहे और यहां लाखों लोगों के जीवन के बारे में बात कही जा रही है। केन्द्रीय सरकार को खाद्य समस्या को सुलझाने में सभी दलों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुला कर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करना चाहिये।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश की खाद्य स्थिति बहुत कठिन है। खाद्य समस्या को हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सुलझाना है। पिछले दो वर्ष सूखे के वर्ष थे। पिछले दो सौ वर्षों से ऐसा सूखा नहीं पड़ा। इस सूखे के कारण कई ऐसे राज्यों को भी कमी का सामना करना पड़ रहा है जहाँ सामान्य रूप से फालतू अनाज होता था। मध्य प्रदेश इसका एक उदाहरण है। केन्द्रीय सरकार को आयात किये गये अनाज पर निर्भर करना पड़ रहा है। यह बात ठीक है कि हम किसी भी राज्य की मांग को पूरा नहीं कर सके हैं। यह इसलिये हुआ कि हमें विदेशों से मूल कार्यक्रम के अनुसार अनाज प्राप्त नहीं हुआ है। कलकत्ता बन्दरगाह की गोदियां ऐसी है कि वहां बड़े आकार के जहाजों को खड़ा नहीं किया जा सकता। अतः हमें ऐसे जहाजों को विशाखापटनम बन्दरगाह पर ले जाना पड़ा है। इस बारे में हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि जहाजों से कार्यक्रम के अनुसार अनाज उतारा जाये।

अब राज्यवार स्थिति को लूंगा। केरल के बारे में हमारी वहां के नेताओं तथा मंत्रियों से बातचीत चलती रहती है। केरल को प्रतिमाह 70,000 टन चावल की आवश्यकता होती है। इसका बड़ा भाग आंध्र से पूरा होता है। वहां से अब नियमित रूप से सप्लाई चालू हो गई है। बर्मा से जितने चावल के आने की हमें आशा थी वह नहीं आया है। हमने यही ठीक समझा है कि केरल की चावल की कमी को गेहूँ से पूरा किया जाये। एक बार जब केरल के दो मंत्री मुझे मिलने आये थे तो मुझे सुझाव दिया था कि केरल को गेहूं के स्थान पर साबूदाना (टेपियोका) दे दिया जाये। मैंने अपनी ओर से इसके बारे में सहमति व्यक्त की थी परन्तु हमें इस बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। श्री गोपालन ने किसी प्रकार की कार्यवाही की धमकी दी है। मैं बता देना चाहता हूं कि किसी प्रकार की राजनैतिक कार्यवाही से केरल के लिए चावल उत्पन्न नहीं होगा। हमने केरल को जनवरी में 73,000 टन खाद्यान्न सप्लाई किया है।

श्री उमानाथ : अब जब वहाँ पर गैर-कांग्रेसी सरकार बनी है तो आपने केवल 15,000 टन सप्लाई किया है। यह क्यों ?

श्री जगजीवन राम : मैं इसी बात का हल ढूंढना चाहता हूं। चालू महीने में हम केरल को 63,000 टन चावल सप्लाई कर सकेंगे। मेरा विचार है कि केरल की समस्या का केन्द्रीय सरकार तथा केरल सरकार मिलकर हल निकाल सकती है। केरल को मद्रास तथा आंध्र प्रदेश से मक्का की सप्लाई बढ़ाई जा रही है। वहां की चावल की कमी को गेहूं से पूरा किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल को हमारा वायदा था कि 15,000 टन चावल प्रति मास सप्लाई किया जायेगा। परन्तु आरम्भ में कठिनाई के कारण हमने कुछ कम सप्लाई किया।

पश्चिमी बंगाल को हर मास पूरी सप्लाई दी जा रही है। इस मास भी काफ़ी भाग सप्लाई किया जा चुका है। अब 2,000 या 3,000 मीट्रिक टन शेष है। आशा है कि इस मास के अन्त तक हम यह सप्लाई कर सकेंगे। परन्तु अनाज कम पहुंचने के कारण अप्रैल मास में गेहूं की सप्लाई में कुछ कमी हुई है।

हमारे देश में राज्य किसी क्षेत्र को अपने राज्यों की विधियों के अधीन रहते हुए अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। बिहार सरकार ने वहां अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के पक्ष में यह तर्क दिया कि उन्हें ऐसा करने पर इस देश में तथा विदेशों में सहानुभूति मिल सकेगी।

वित्तीय सहायता कार्यों के सम्बन्ध में बिहार सरकार को कभी यह नहीं कहा गया है कि वित्तीय व्यय के मामले में कोई सीमा है। सहायता के कामों को अधिक बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करना बिहार सरकार पर निर्भर करता है। हमने बिहार सरकार को यह भी कहा था कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि शारीरिक कार्य करने वाले लोगों को कम से कम इतना दैनिक वेतन मिले कि वे खाद्यान्न खरीद सकें।

बिहार के लिए जनवरी का खाद्यान्न का कोटा 1,75,000 मीट्रिक टन है परन्तु उसे 1,66,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न भेजा गया। फरवरी का कोटा 1,79,000 मीट्रिक टन था परन्तु 1,65,000 मीट्रिक टन भेजा गया था। मार्च में 1,72,400 टन भेजा गया था जबकि कोटा 1,78,000 मीट्रिक टन था। अप्रैल में पूरा कोटा अर्थात् 1,97,000 मीट्रिक टन दे दिया गया है। 18 मई तक 1,80,000 टन खाद्यान्न भेजा जा चुका है जबकि पूरे मास का कोटा 2,25,000 मीट्रिक टन था। यह याद रखना चाहिये कि जब केन्द्रीय सरकार राज्यों को खाद्यान्न भेजती है तो उसे विभिन्न जिलों, प्रभावित क्षेत्रों तथा खण्डों में बांटने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर होता है। यह आवश्यक है कि वितरण इस प्रकार हो कि जिन लोगों या वर्गों के लिए उसे भेजा जाता है, वह उन लोगों अथवा वर्गों के पास पहुंच सके।

उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, विशेषतया पूर्वी उत्तर प्रदेश, सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। परन्तु इस वर्ष उत्तर प्रदेश में रबी की फसल बहुत अच्छी हुई है। यह स्वीकार कर लिया

गया है कि नई फसल आ जाने के पश्चात् केन्द्र से उत्तर प्रदेश को भेजे जाने वाले खाद्यान्न में कमी आ जायेगी ताकि हम समान रूप से प्रभावित गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की आवश्यकतायें भी पूरी कर सकें। उत्तर प्रदेश को जनवरी के लिए 1,01,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न के कोटे में से केवल 90,000 मीट्रिक टन दिया गया। फरवरी में 1,25,000 मीट्रिक टन की बजाय 95,000 मीट्रिक टन दिया गया। मार्च में 1,25,000 टन की तुलना में 1,44,000 मीट्रिक टन दिया गया। अप्रैल में 1,25,000 मीट्रिक टन के मुकाबले में 1,12,600 मीट्रिक टन दिया गया। मई के लिए 1,10,000 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है और अब तक लगभग 75,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न पहुँच चुका है।

उड़ीसा फालतू अनाज वाला राज्य है और वह हमें चावल दे रहा है। भारत सरकार ने राज्यों द्वारा अनाज के थोक व्यापार के सम्बन्ध में कभी रुकावट नहीं डाली है। भारत के खाद्य निगम की स्थापना इसी दिशा में एक कदम है। हम विभिन्न राज्यों में सहायक खाद्य निगम बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। व्यापारियों के पास अथवा उत्पादकों के पास जो अनाज है, उसे बाहर निकलवाने के लिए राज्य सरकारें जो भी कार्यवाही करेंगी, केन्द्रीय सरकार उसमें कभी भी बाधक नहीं बनेगी।

गुजरात को [illegible] मीट्रिक टन चावल दिया जाता था, उसे कम कर के 3,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। गैर-कांग्रेसी सरकारों को अधिक खाद्यान्न दिया जा रहा है। खाद्य के प्रश्न को दल का प्रश्न नहीं समझना चाहिए और इसमें राजनीति को भी नहीं लाया जाना चाहिए। यह आरोप कि हम गैर-कांग्रेसी राज्यों के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं, केवल राजनैतिक उद्देश्य से लगाया गया है। हमने राज्य सरकारों को चावल, गेहूं अथवा मिलों उपलब्धता के अनुसार दिया है।

हमें कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी होगी और कृषि का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कृषक बहादुर तथा समझदार हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अधिक पैदावार वाले चावल या गेहूं की उपज आरम्भ की है, उससे यह आशा की जा सकती है कि यह स्थिति बदली जा सकेगी।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : It appears from the speech of the hon. Minister that the Central Government has failed to solve the food problem. We had given certain statistics regarding the supply which should have been made to the States and that which has actually been made. The hon. Minister has tried to refuse those statistics saying that the statistics given by him are correct.

The hon. Minister of Food and Agriculture should have read the statement of the Prime Minister after her visit to Mirzapur in Uttar Pradesh. She said that the situation there excited horror than pity. Every attempt is being made to cause the failure of non-Congress Governments in Uttar Pradesh, Bihar, Kerala and Bengal. The administration of the Congress Governments, which were previously ruling in those States, is responsible for. such a state of affairs in those States, This will lead to Gheraos. The Bengal famine of 1943 will not be allowed to be repeated. (Interruptions). This Government is guilty and it has no right to exist. The time of the House should be extended and the Adjournment Motion should be accepted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित हो ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha Divided

पक्ष में 69; विपक्ष में 126
Ayes 69; Noes 126

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The Motion was negatived

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पहला प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : श्रीमान्, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

संघ लोक सेवा आयोग के वर्ष 1965–66 के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re: REPORT OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, 1964-65 Contd.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : मैं प्रतिवेदन का स्वागत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 24 मई, 1967/3 ज्येष्ठ, 1889 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, May 24, 1967 Jyaistha 3, 1889 (Saka)